

## परिचय

उत्तर प्रदेश विरचविद्यालय (पुनः अधिनियम तथा संशोधन) अधिनियम, १९७४ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २९, १९७४) द्वारा तथा संशोधित और पुनः अधिनियमित और संशुद्ध अधिनियम संख्या-१०) ८१४६/१५-६० (५६)-७४, दिनांक ११ दिसम्बर, १९७४ द्वारा तथा अंगीकृत उत्तर प्रदेश राज्य विरचविद्यालय अधिनियम, १९७३ (राज्य अधिनियम संख्या-१०, १९७३) की धारा ५० की उपधारा (१) द्वारा प्रदात शक्ति का प्रयोग करते, राज्यपाल, तत्पूर्वान्तक संस्कृत विरचविद्यालय, वागमती के लिए निम्नलिखित प्रथम परिनिष्ठावली बनाते हैं—  
तत्पूर्वान्तक संस्कृत विरचविद्यालय, वागमती, प्रथम परिनिष्ठावली—

### अध्याय-१

#### प्रारम्भिक

- १.०१ (१) यह परिनिष्ठावली तत्पूर्वान्तक संस्कृत विरचविद्यालय प्रथम परिनिष्ठावली, १९७८ की अपेक्षा  
(२) यह दिनांक २६ दिसम्बर, १९७८ से प्रवृत्त होगी।  
१.०२ (१) विरचविद्यालय में प्रवृत्त ऐसे सभी विद्यमान परिनिष्ठावली और ऐसे सभी अध्यापक जो इस परिनिष्ठावली से अलग हैं, ऐसी अर्थव्यय को तभी तक प्रत्यक्ष विच्छिन्न करने वाले हैं और तुल्य प्रभावहीन हो जायेंगे, जिसका उन कालों के सम्बन्ध में, जो इस परिनिष्ठावली के प्रारम्भ होने के पूर्व की गई हैं या जो करने में छूट दी गई हैं।  
(२) संशुद्ध अधिनियम संख्या-७२५६/१५-१०-७५-६० (११५)-७३, दिनांक २० अक्टूबर, १९७५ द्वारा एवं समन-समन या पत्राचारवित्त संशुद्ध अधिनियम संख्या-४५४६/१५-१०-७५, दिनांक २५ जुलाई, १९७५ के साथ जारी की गयी उत्तर प्रदेश राज्य विरचविद्यालय प्रथम परिनिष्ठावली (अध्यापकों की अधिनियमित की आयु, वेतनमान और अर्हताएँ) १९७५, तत्पूर्वान्तक संस्कृत विरचविद्यालय, वागमती के सम्बन्ध में इस परिनिष्ठावली के प्रारम्भ के दिनांक से मिला हो जायगी।  
१.०३ इस परिनिष्ठावली में, जब तक कि तत्पूर्व से अन्यथा अर्हता न हो—  
(क) 'अधिनियम' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य विरचविद्यालय अधिनियम (राज्य अधिनियम संख्या १०, १९७३) से है, जैसा कि यह उत्तर प्रदेश विरचविद्यालय (पुनः अधिनियम तथा संशोधन) अधिनियम, १९७४ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २९, १९७४) द्वारा पुनः अधिनियमित है और समन-समन या संशोधित है।  
(ख) 'छन्द' का तात्पर्य परिनिष्ठावली के उक्त छन्द से है, जिसमें उक्त पर आया हो।  
(ग) 'भाषा' का तात्पर्य अधिनियम की भाषा से है।  
(घ) 'विरचविद्यालय' का तात्पर्य तत्पूर्वान्तक संस्कृत विरचविद्यालय, वागमती से है, और  
(ङ) ऐसे शब्दों तथा पदों के जो इस परिनिष्ठावली में प्रवृत्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में उनके लिये दिये गये हैं।  
१.०४ इस परिनिष्ठावली में किसी अध्यापक की आयु के सम्बन्ध में सभी निर्देश सम्बन्ध अध्यापक के उक्त दिनांक के अनुसार आयु के प्रति, जो उसके वर्तमान प्रमाण-पत्र में या उसके सम्बन्ध प्रमाण प्रदात किसी अन्य प्रमाण-पत्र में उल्लिखित हो, निर्देश लागू जायेंगे।

### अध्याय-२

#### विरचविद्यालय के अधिकारी और अन्य कार्यनिर्वाहक

#### कुलपति

- २.०१ (१) कुलपतिवर्ग किसी ऐसे विषय पर जो उक्त धारा ६८ के अधीन निर्दिष्ट किया जान, विचार करने समय, विरचविद्यालय अथवा सम्बन्ध प्रदातों से ऐसे दस्तावेज अथवा सूचना, जिसे वह आवश्यक समझे, माँग सकते हैं, और किसी अन्य मामले में विरचविद्यालय से कोई दस्तावेज या सूचना माँग सकते हैं।  
(२) जहाँ कुलपतिवर्ग छन्द (१) के अधीन विरचविद्यालय से कोई दस्तावेज या सूचना माँग, वहाँ कुलपतिवर्ग का वह सुनिश्चित करना करायेंगे कि ऐसा दस्तावेज या सूचना तुल्य उक्त माँग दी जाय।  
(३) यदि कुलपतिवर्ग को सम में, कुलपतिवर्ग जन्म-मृतक अधिनियम के उपबन्धों को सम्बन्धित नहीं करता है या सम्बन्धित करने से इनकार करता है या अपने में निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है और यदि कुलपतिवर्ग को यह ज्ञात हो कि कुलपतिवर्ग का पर पर बना उक्त विरचविद्यालय के लिये अधिकार है, तो कुलपतिवर्ग ऐसी शक्ति करने के प्रस्ताव, जिसे वह उचित समझे, कुलपतिवर्ग को अर्हता द्वारा हटा सकते हैं।  
(४) कुलपतिवर्ग को छन्द (२) में निर्दिष्ट किसी शक्ति के विचारयोग करने के दौरान अथवा उसके अनुष्ठात करते हुए, कुलपतिवर्ग को नियमित करने की शक्ति होगी।  
२.०१ (क) 'कार्य-परिचर' के तात्पर्य विरचविद्यालय के अधिकारी होंगे।

#### कुलपति

२.०२ कुलपतिवर्ग को किसी सम्बन्ध विरचविद्यालय से अध्यापन, परीक्षा, अनुष्ठापन, विना अथवा महाविद्यालय में अनुष्ठापन अथवा अध्यापन की कार्यसमता को प्रभावित करने वाले किसी विषय के सम्बन्ध में जित दस्तावेज या सूचना को वह उचित समझे, उत्तरी माँगने की शक्ति होगी।

#### विना अधिकारी

२.०३ जब विना अधिकारी का पर रिक्त हो अथवा जब विना अधिकारी अल्पवय, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने पर के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तो उसके पर के कर्तव्यों का पालन कुलपति द्वारा संकायसमूहों में से नाम-निर्दिष्ट किसी एक संकायसमूह द्वारा किया जायगा और यदि किसी कारण से ऐसा करना सम्भव न हो, तो कुलपतिवर्ग द्वारा अथवा ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा किया जायगा, जिसे कुलपति नाम-निर्दिष्ट करें।

२.०४ विना अधिकारी—

- (क) विरचविद्यालय को निर्दिष्टों का सहाय्य पर्यवेक्षण करेगा।  
(ख) किसी विशेष मामले में परामर्श या से सहाय्य या उक्त परामर्श अर्हता होने पर दे सकता है।  
(ग) मकदम तथा बैंक बँचालय को लिखित तथा विनिश्चय को लिखित पर सहाय्य दृष्टि रखेगा।  
(घ) विरचविद्यालय को आम का लेखा और लेखाओं का निष्काय करेगा और उनके लेखी रखेगा।  
(ङ) वह सुनिश्चित करेगा कि भवन, भूमि, फर्नीचर तथा उपकरण के रखरखाव अद्यतन रखे जाते हैं और विरचविद्यालय में उपस्था तथा उपयोग में आने-वाले अन्य सामग्रियों के खर्च को नियमित शक्ति को जारी है।  
(च) किसी को अर्हतायुक्त समय तथा अन्य विशेष अनिश्चितताओं को सम्बन्ध परीक्षा करेगा और उक्त अधिकारों को दोषी मामलों के निरन्तर अनुष्ठापनिक कार्यसमता विषयक सुझाव देगा।  
(छ) विरचविद्यालय के लेखों को निष्काय आन्तरिक सम्पत्ति के रखरखाव का प्रबन्ध करेगा, और उन विनाओं को सम्पत्ति सहाय्य में हो करेगा, जो सहाय्य-सम्बन्धी किसी भी सहाय्य अर्हता द्वारा अर्हता है।  
(ज) विशेष मामलों के सम्बन्ध में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो उसे कार्य-परिचर तथा कुलपति द्वारा सौंपे जायें।  
(झ) अधिनियम और परिनिष्ठावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सम्बन्ध कुलपतिवर्ग (लेखा) के पर से मूल विरचविद्यालय के सम्पत्ति और लेखा अनुष्ठापन के सहाय्य कर्मचारियों पर परिनिष्ठावली २.०२ के छन्द (३) और (३) के अधिनियमित अनुष्ठापनिक निष्काय रखेगा और उपस्थापक कुलपतिवर्ग (लेखा) और लेखा अधिकारों के कार्य का पर्यवेक्षण करेगा।  
२.०५ यदि विना अधिकारी के कृत्यों का निर्वहन करने के सम्बन्ध में किसी विषय पर कुलपति और विना अधिकारी के बीच कोई मतभेद उत्पन्न हो जाय, तो वह सहाय्य राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायगा, जिसका निर्णय अन्तिम होगा और दोनों अधिकारी उक्तै काय्य होंगे।

## कुलसचिव

२.०६ (१) अधिनियम तथा परिनियमवली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कुलसचिव का विश्वविद्यालय के निम्नलिखित कर्मचारियों से भिन्न सभी कर्मचारियों पर अनुसूचित नियंत्रण होगा, अर्थात्—

- (क) विश्वविद्यालय के अधिकारीयता;
- (ख) उप-कुलसचिव और सहायक कुलसचिव;
- (ग) विश्वविद्यालय के अध्यापकता, चाहे वह अध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हों या पारिवारिक वाले किसी पद पर हों या किसी अन्य हीनपद पर, क्या परोक्ष या अनपरोक्ष के रूप में कार्य कर रहे हों।
- (घ) पुस्तकालय।
- (ङ) विश्वविद्यालय के सेवा और सम्पत्ति अनुदान के कर्मचारी।

(२) खण्ड (१) के अधीन अनुसूचित कार्यवाही करने की शक्ति के अन्तर्गत उक्त खण्ड में निर्दिष्ट किसी कर्मचारी को परामर्श करने, हटाने, पं-विन्युक्त करने, प्रतिवर्तित करने, उसके सेवा सम्पन्न करने अथवा उसे अनिर्धार्य रूप से सेवा-निवृत्त करने का आदेश देने की शक्ति होगी, और ऐसे कर्मचारी को बर्खास्त होने तक की अवधि में या बर्खास्त करने के विचार में निम्नलिखित करने की भी शक्ति होगी।

(३) खण्ड (२) के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा, जब तक ऐसी बर्खास्त न कर ली जाए, जिसमें उसे अपने विरुद्ध दोषचरो से अवगत करा दिया गया हो, और उन दोषचरो के सम्बन्ध में सूचनाई का कुतबुक्त अथवा दे दिया गया हो;

परन्तु जहाँ ऐसी बर्खास्त के पश्चात् उस पर कोई शक्ति आरोपित करने की प्रवृत्ति हो, जहाँ ऐसी बर्खास्त के दौरान दिये गये सक्षम के आधार पर ऐसी शक्ति आरोपित की जा सकती है और ऐसे व्यक्ति को प्रत्यक्ष शक्ति के विरुद्ध अभियोग करने का अवसर देना आवश्यक नहीं होगा।

परन्तु यह भी कि वह खण्ड निम्नलिखित मामलों में नहीं लागू होगा, यद्यपि आदेश का आधार कोई आरोप हो (जिसमें दुराचरण का अन्वयण का आरोप भी सम्मिलित है), यदि ऐसे आदेश से प्रत्यक्षतः यह प्रकट न होता हो कि वह ऐसे आधार पर प्रतिष्ठित किया गया था :—

- (क) किसी स्वायत्त प्रोक्त व्यक्ति को उसके मूल पौंड में प्रतिवर्तित करने का आदेश।
- (ख) किसी अस्थायी कर्मचारी को सेवा को समाप्त करने का आदेश।
- (ग) किसी कर्मचारी को, पचास वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् अनिर्धार्य रूप से सेवा-निवृत्त करने का आदेश।
- (घ) निवृत्तन का आदेश।

२.०७ अधिनियम २.०६ में निर्दिष्ट किसी आदेश से व्यक्ति विश्वविद्यालय का कोई कर्मचारी, उस पर ऐसे आदेश के लागू किये जाने के दिनाङ्क से पन्द्रह दिन के भीतर, अधिनियम ८.०१ के अधीन गठित अनुसूचित समिति को (कुलसचिव के माध्यम से) अपील कर सकता है। ऐसी अपील पर समिति का विनिश्चय अन्तिम होगा।

२.०८ अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कुलसचिव का निम्नलिखित कार्य होगा :—

- (क) विश्वविद्यालय की समस्त सम्पत्ति का अभिलेख होगा, जब तक कि कार्य-परिचर द्वारा अन्वया व्यवस्था न की गई हो;
- (ख) धारा १६ (४) में निर्दिष्ट विभिन्न प्राधिकारियों के अधिवेशनों को सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से बुलाने के लिये समस्त सूचनाई जारी करना और ऐसे समस्त अधिवेशनों का कार्यवृत्त (खाना);
- (ग) सभा, कार्य-परिचर तथा विद्या-परिचर के अधिकृत पर-अवधार का सञ्चालन करना;
- (घ) ऐसे समस्त शक्तियों का प्रयोग करना, जो कुलसचिव, कुलसचिव अथवा विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकारियों अथवा निष्ठाओं के, जिसका कार्य वह सचिव के रूप में करता हो, आदेशों को कार्य-निष्ठ करने के लिए आवश्यक या सम्बन्धित हो;
- (ङ) विश्वविद्यालय के द्वारा या विरुद्ध वादों या कार्य-वृत्तियों में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करना, मुकदमों पर हस्तक्षर करना, अधिवेशनों का सञ्चालन करना।

### अनुसन्धान संस्थान का निदेशक

२.०९ अनुसन्धान संस्थान का निदेशक पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा, जो कार्य-परिचर द्वारा प्रयत्न समिति की सिफारिश पर, जिसमें निम्नलिखित होंगे, नियुक्त किया जाएगा :—

- (क) कुलसचिव, जो अध्यक्ष होगा;
  - (ख) कुलसचिव द्वारा नाम-निर्दिष्ट दो ऐसे व्यक्ति जो संस्कृत या पारि या प्रकृत के सम्बन्धित विद्वान् हों और जिन्हें अनुसन्धान कार्य का अनुभव हो।
- २.१० (१) निदेशक, विश्वविद्यालय के समस्त अनुसन्धान प्रकाशनों का, जिसमें विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में संस्कृत की पाण्डुलिपियों का सूची-पत्र भी सम्मिलित है, पर्यवेक्षण करेगा।
- (२) वह कार्य-परिचर द्वारा गठित सम्बन्धित बोर्ड के कार्य-निर्देशन में विश्वविद्यालय की अनुसन्धान-पौंडिका का सञ्चालन करेगा।
- (३) वह विश्वविद्यालय के समस्त अनुसन्धान कार्य-कलापों (अनुसन्धान उपाधियों के लिये व्यक्तियों द्वारा किये गये अनुसन्धान से सम्बन्धित कार्य-कलाप को छोड़कर) के सम्बन्ध में कुलसचिव और विद्या-परिचर को त्रैमासिक रिपोर्ट देगा।

### संकायों के संकायाध्यक्ष

२.११ यदि किसी संकाय के संकायाध्यक्ष के पद में कोई आधुनिक रिक्ति हो, तो ज्येष्ठतम आचार्य और जहाँ उस संकाय में कोई आचार्य उपलब्ध न हो, जहाँ संकाय का ज्येष्ठतम अध्यापक संकायाध्यक्ष के कार्य्यों का पालन करेगा।

२.१२ कोई व्यक्ति उस पद पर न रह जाने पर, जिसके आधार पर संकायाध्यक्ष का पद धारण कर पाया, संकायाध्यक्ष नहीं बना रहेगा।

२.१३ संकायाध्यक्ष के निम्नलिखित कार्य्यों तथा शक्तियाँ होंगी :—

- (१) वह संकाय-बोर्ड के समस्त अधिवेशनों का सञ्चालन करेगा और वह देखेगा कि बोर्ड के विभिन्न विनिश्चय कार्य-निष्ठ किये जाते हैं;
- (२) वह संकाय की वित्तीय तथा अन्य आवश्यकताओं को कुलसचिव की जानकारी में लाने के लिए उत्तरदायी होगा;
- (३) वह संकाय में सम्बन्धित विषयों के पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं तथा अन्य परिसरों को उचित अधिग्रहण तथा अनुसन्धान के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध करेगा;
- (४) उसे अपने संकाय से सम्बन्धित अधिग्रहण बोर्डों के किसी अधिवेशन में उपस्थित होने तथा बोलने का अधिकार होगा, किन्तु जब तक वह उसका सदस्य न हो, उसे उसमें मतदान करने का अधिकार न होगा।

### छात्र-कल्याण के संकायाध्यक्ष

२.१४ छात्र-कल्याण संकायाध्यक्ष की नियुक्ति विश्वविद्यालय के उन अध्यापकों में से, जिन्हें कम से कम दस वर्ष का अध्यापन-कार्य का अनुभव हो और जो उदात्त से निम्न पौंड के न हों, कार्य-परिचर द्वारा कुलसचिव की सिफारिश पर की जावेगी।

२.१५ छात्र-कल्याण के संकायाध्यक्ष के रूप में नियुक्त अध्यापक, अध्यापक के रूप में अपने कार्य्यों के अतिरिक्त संकायाध्यक्ष के कार्य्यों का भी पालन करेगा।

२.१६ छात्र-कल्याण के संकायाध्यक्ष को पदावधि तीन वर्ष के लिए होगी, जब तक कि कार्य-परिचर द्वारा पहले ही समाप्त न कर दी जाय।

२.१७ कार्य-परिचर छात्र-कल्याण के संकायाध्यक्ष की सहायता के लिए एक या उससे अधिक छात्र-कल्याण के सहायक संकायाध्यक्ष नियुक्त कर सकेगा। ऐसे सहायक संकायाध्यक्ष अपने कार्य्यों का निर्वहन अध्यापक के रूप में अपने कार्य्यों के साथ-साथ करेगा।

२.१८ (१) छात्र-कल्याण के संकायाध्यक्ष तथा छात्र-कल्याण सहायक संकायाध्यक्षों का वह कार्य्यों होंगे कि वे छात्रों को ऐसे मामलों में, जिनमें सहायता तथा मार्ग-दर्शन अपेक्षित है, सम्बन्धित सहायता प्रदान करें, तथा विशेषतया, छात्रों तथा पाठ्य छात्रों को—

- (१) विश्वविद्यालय तथा उसके पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने;
- (२) उपयुक्त पाठ्यक्रम तथा अधिष्ठापि का चुनाव करने;
- (३) निवास स्थान चुनने;
- (४) धोखेन व्यवस्था करने;
- (५) चिकित्सकीय सलाह तथा सहायता प्राप्त करने;

- (1) छात्रवृत्तियाँ, कृषि, अंतर्राज्यीय नियोजन तथा अन्य आर्थिक सहायता प्राप्त करने;  
 (2) अयोजना के दिनों तथा शैक्षिक अध्ययन यात्राओं के लिये यात्रा-सुविधाएँ प्राप्त करने;  
 (3) विदेश में अग्रतर अध्ययन की सुविधाएँ प्राप्त करने, और  
 (4) विश्वविद्यालय की परम्पराएँ अक्षुण्ण रहें, इस उद्देश्य से उन्हें विद्या-अध्ययन करने में उचित रूप से संवाहित होने में सहायता करना और सलाहदेना
- (2) छात्र-कल्याण का संकायाध्यक्ष किसी छात्र के संरक्षक से किसी मामले के सम्बन्ध में, जिससे उसकी सहायता अपेक्षित हो, आवश्यकतानुसार सम्पर्क कर सकता है।

२.१९ छात्र-कल्याण का संकायाध्यक्ष शारीरिक शिक्षा के अधीक्षक अथवा सहायक अधीक्षक, यदि कोई हो, तथा विश्वविद्यालय चिकित्साधिकारी पर सामान्य नियन्त्रण रखेगा। वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो कार्य-परिषद् या कुलपति द्वारा उसे सौंपे जायें।

२.२० कुलपति किसी छात्र के विरुद्ध अनुशासनिक आधार पर कोई कार्यवाही करने के पूर्व छात्र-कल्याण के संकायाध्यक्ष से परामर्श कर सकते हैं।

२.२१ छात्र-कल्याण के संकायाध्यक्ष को विश्वविद्यालय की निधियों से ऐसा मानदेय दिया जा सकता है, जैसा कुलपति, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से निश्चित करें।

### विभागाध्यक्ष

२.२२ विश्वविद्यालय में अध्यापन के प्रत्येक विभाग का ज्येष्ठतम अध्यापक उस विभाग का प्रधान होगा।

### पुस्तकाध्यक्ष

२.२३ (१) विश्वविद्यालय, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, एक पूर्णकालिक पुस्तकाध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। पुस्तकाध्यक्ष चयन समिति की, जिसमें निम्नलिखित होंगे, सिफारिश पर कार्य-परिषद् द्वारा नियुक्त किया जायगा, अर्थात्—

(क) कुलपति,

(ख) पुस्तकालय विज्ञान के दो विशेषज्ञ, जो कुलपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे।

(२) जब तक खण्ड (१) के अधीन नियुक्त पुस्तकाध्यक्ष अपने पद का कार्य-भार न सम्भाले, तब तक कार्य-परिषद् ऐसी अर्थात् के लिये, जिसे वह उचित समझे, विश्वविद्यालय के अध्यापकों में से किसी को अर्थात् पुस्तकाध्यक्ष नियुक्त कर सकती है।

२.२४ विश्वविद्यालय के पुस्तकाध्यक्ष, उप-पुस्तकाध्यक्ष तथा सहायक पुस्तकाध्यक्ष की अर्हताएँ—

२.२४ (क) पुस्तकाध्यक्ष

उत्तम शैक्षिक अभिलेख के साथ पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/डाक्यूमेंटेशन पाठ्यक्रम में स्नातक स्तर पर न्यूनतम ५५ प्रतिशत प्राप्ताङ्क अथवा समतुल्य परीक्षा में सात सूत्रीय माप में बी-ग्रेड।

विश्वविद्यालय पुस्तकालय में उप-पुस्तकाध्यक्ष पद पर न्यूनतम १२ वर्ष के कार्य का अनुभव अथवा महाविद्यालय में पुस्तकालयाध्यक्ष पद पर न्यूनतम १८ वर्ष के कार्य का अनुभव।

पुस्तकालय सेवा में अभिनवीकरण तथा प्रकाशित रचना को संगठित करने का प्रमाण।

संगठित अर्हता—पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/डाक्यूमेंटेशन/संरक्षक तथा हस्तलेखों के रख-रखाव में एम.फिल. अथवा पी-एच.डी. उपाधि।

२.२४ (ख) उपपुस्तकाध्यक्ष

(अ) उत्तम शैक्षिक अभिलेख के साथ पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/डाक्यूमेंटरी में स्नातक स्तर पर न्यूनतम ५५ प्रतिशत अङ्क अथवा समतुल्य उपाधि में यू.जी.सी. के साथ सात सूत्रीय वर्ग माप में बी-ग्रेड।

(ब) सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (विश्वविद्यालय) पुस्तकालयाध्यक्ष (महाविद्यालय) के पद पर ५ वर्ष के कार्य का अनुभव।

(स) पुस्तकालय सेवा में अभिनवीकरण का प्रमाण, प्रकाशित रचनाओं और व्यावसायिक प्रतिबद्धता, पुस्तकालय के कम्प्यूटरीकरण का प्रमाण।

संगठित—पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/डाक्यूमेंटेशन/संरक्षक तथा हस्तलेखों के रख-रखाव, पुस्तकालय के कम्प्यूटरीकरण में एम.फिल. अथवा पी-एच.डी. की उपाधि।

नोट—उप-पुस्तकालयाध्यक्ष (विश्वविद्यालय) के पदों के लिए उत्तम शैक्षिक अभिलेख वही होगा, जो कि प्रवक्ता पद हेतु निर्धारित है।

२.२४ (ग) सहायक पुस्तकाध्यक्ष

अभिनवीकरण उत्तम शैक्षिक अभिलेख के साथ पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/डाक्यूमेंटेशन अथवा समतुल्य व्यावसायिक उपाधि में न्यूनतम ५५ प्रतिशत प्राप्ताङ्क अथवा यू.जी.सी. के साथ सात सूत्रीय माप में बी-ग्रेड अथवा पुस्तकालय के कम्प्यूटरीकरण का ज्ञान।

सुसंगत पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/डाक्यूमेंटेशन में राष्ट्रीय पात्र परीक्षा उत्तीर्ण।

नोट—उत्तम शैक्षिक सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (विश्वविद्यालय) एवं पुस्तकालयाध्यक्ष (महाविद्यालय) के पदों के लिए उत्तम शैक्षिक अभिलेख वही होगा, जो प्रवक्ता पद हेतु निर्धारित है।

\*\* स्पष्टीकरण—वर्तमान में जो अभ्यर्थी पूर्व में सूनिवर्सिटी सिस्टम में प्राचार्य, उपाचार्य, पुस्तकालयाध्यक्ष तथा उप-पुस्तकालयाध्यक्ष के पदों पर नियुक्त रूप में चयनित एवं कार्यरत हैं, के लिए सीपी भर्ती के प्राचार्य, उपाचार्य तथा पुस्तकालयाध्यक्ष विश्वविद्यालय पदों के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर ५५ प्रतिशत की अनिवार्यता पर बत न दिया जाय।

२.२५ पुस्तकाध्यक्ष की परिलब्धियाँ ऐसी होंगी जैसी राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित की जायें।

२.२६ विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का अनुरक्षण तथा उसकी सेवा को ऐसी रीति से, जो अध्यापन-कार्य तथा अनुसन्धान-कार्य के हित में सर्वाधिक सहायक हो, संगठित करना पुस्तकाध्यक्ष का कर्तव्य होगा।

२.२७ पुस्तकाध्यक्ष कुलपति के अनुशासनिक नियन्त्रण में रहेगा।

परन्तु उसे अनुशासनिक कार्यवाहियों में अपने विरुद्ध कुलपति द्वारा दिये गये किसी आदेश के विरुद्ध कार्य-परिषद् को अपील करने का अधिकार होगा।

### प्राक्टर

२.२८ प्राक्टर विश्वविद्यालय के अध्यापकों में से, कुलपति की सिफारिश पर, कार्य-परिषद् द्वारा नियुक्त किया जायगा। प्राक्टर कुलपति को विश्वविद्यालय के छात्रों के सम्बन्ध में अनुशासनिक प्रधिकार का प्रयोग करने में सहायता देगा, और अनुशासन के सम्बन्ध में ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन भी करेगा, जो उसे कुलपति द्वारा इस निमित्त सौंपे जायें।

२.२९ प्राक्टर की सहायता के लिए सहायक प्राक्टर होंगे, जिनकी संख्या कार्य-परिषद् द्वारा समय-समय पर निश्चित की जायगी।

२.३० कुलपति प्राक्टर के परामर्श से सहायक प्राक्टर नियुक्त करेंगे।

२.३१ प्राक्टर तथा सहायक प्राक्टर एक वर्ष के लिये पद धारण करेंगे और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे :—

परन्तु जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नियुक्त न हो जाय, प्रत्येक प्राक्टर अथवा सहायक प्राक्टर पद पर बना रहेगा; परन्तु यह और कि कार्य-परिषद् कुलपति की सिफारिश पर प्राक्टर को उक्त अर्थात् की सम्पत्ति के पूर्व हटा सकती है; परन्तु यह भी कि कुलपति किसी सहायक प्राक्टर को उक्त अर्थात् की सम्पत्ति से पूर्व हटा सकते हैं।

२.३२ प्राक्टर तथा सहायक प्राक्टरों को विश्वविद्यालय की निधियों से ऐसा मानदेय दिया जा सकता है, जैसा कुलपति राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से निश्चित करें।



- ३.०१ संकायों के संकायाध्यक्ष, जो धारा २० (१) (ग) के अधीन कार्य-परिषद् के सदस्य होंगे, उसी क्रम में चुने जायेंगे, जिस क्रम में विभिन्न संकायों के नाम परिनिषय ७.०१ में प्रमाणित हैं।
- ३.०२ विश्वविद्यालय के एक आचार्य, एक उपाचार्य और एक प्राध्यापक का, जो धारा २० (१) (घ) के अधीन कार्य-परिषद् के सदस्य होंगे, चयन उनके अपने-अपने संघर्ष में, ज्येष्ठता क्रम में, चक्रानुक्रम से किया जायगा।
- ३.०३ सन्बद्ध महाविद्यालयों के (आयुर्वेदिक महाविद्यालय से निम्न) एक प्राचार्य और एक अध्यापक का, जो धारा २० (१) (घ) के अधीन कार्य-परिषद् के सदस्य होंगे, चयन, पर्याप्तता, ऐसे प्राचार्य या ऐसे अध्यापक के रूप में ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम से किया जायगा।
- ३.०४ धारा २० (१) के खण्ड (घ) के अधीन चुने गये व्यक्ति बाद में विश्वविद्यालय, संस्थान, सन्बद्ध महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के छात्रवास का छात्र होने या उसकी सेवा स्वीकार कर लेने पर कार्य-परिषद् के सदस्य नहीं रह जायेंगे।
- ३.०५ कोई व्यक्ति एक से अधिक हैसियत से कार्य-परिषद् का न तो सदस्य होगा और न सदस्य बना रहेगा, और जब कभी कोई व्यक्ति एक से अधिक हैसियत से कार्य-परिषद् का सदस्य हो जाय, तो वह उसके दो सप्ताह के भीतर यह चुन लेगा कि वह किस हैसियत से कार्य-परिषद् का सदस्य रहना चाहता है और दूसरा स्थान रिक्त कर देगा। यदि वह इस प्रकार चुनाव न करे, तो यह समझा जायेगा कि उसने उस स्थान को, जिस पर समय की दृष्टि से वह पहले से आसीन था, उपर्युक्त दो सप्ताह की अवधि की समाप्ति के दिनाङ्क से रिक्त कर दिया है।
- ३.०६ कार्य-परिषद् अपनी कुल सदस्यता के बहुमत द्वारा पारित संकल्प द्वारा विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकाय को अपनी ऐसी शक्तियाँ, जिन्हें वह ठीक समझे, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये, जिन्हें संकल्प में निर्दिष्ट किया जाय, प्रत्याख्येति कर सकती है।
- ३.०७ कार्य-परिषद् के अधिवेशन कुलपति के निर्देश से बुलाये जायेंगे।
- ३.०८ कार्य-परिषद् ऐसे किसी प्रस्ताव पर, जिसमें वित्तीय प्राविधान अनवरत हों, विचार करने के पूर्व वित्त अधिकारी की राय प्राप्त करेगी।

#### अध्याय-४

##### सभा

##### अध्यापकों आदि का प्रतिनिधित्व

- ४.०१ (१) ऐसे पन्द्रह अध्यापकों का, जो धारा २२ (१) के खण्ड (ग) के अधीन सभा के सदस्य होंगे, चयन निम्नलिखित रीति से किया जायगा :—
- (क) विश्वविद्यालय के दो आचार्य;
- (ख) विश्वविद्यालय के तीन उपाचार्य;
- (ग) विश्वविद्यालय के तीन प्राध्यापक;
- (घ) छात्र-कल्याण के संकायाध्यक्ष;
- (ङ) सन्बद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के दो प्राचार्य तथा एक अध्यापक;
- (च) सन्बद्ध उपाधि महाविद्यालयों के दो प्राचार्य तथा एक अध्यापक।
- (२) उपर्युक्त आचार्यों, उपाचार्यों, प्राध्यापकों, प्राचार्यों तथा अन्य अध्यापकों का चयन, पर्याप्तता, आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक, प्राचार्य अथवा, अन्य अध्यापक के रूप में उनके ज्येष्ठता-क्रम में किया जायगा।

##### स्नातकों का रजिस्ट्रीकरण तथा सभा में उनका प्रतिनिधित्व

- ४.०२ कुलसचिव अपने कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत स्नातकों का एक रजिटर रखेगा, जिसे आगे इस अध्याय में रजिटर कहा गया है।
- ४.०३ रजिटर में निम्नलिखित विवरण होंगे—
- (क) रजिस्ट्रीकृत स्नातकों का नाम तथा पता।
- (ख) उनके स्नातक होने का वर्ष।
- (ग) विश्वविद्यालय या महाविद्यालय का नाम जहाँ से ये स्नातक हुए।
- (घ) रजिटर में स्नातक का नाम दर्ज किये जाने का दिनाङ्क।
- (ङ) ऐसे अन्य व्यक्ति, जिनके बारे में कार्य-परिषद् समय-समय पर निर्देश दे।
- टिप्पणी—ऐसे रजिस्ट्रीकृत स्नातकों के नाम काट दिये जायेंगे, जिनकी मृत्यु हो गई हो।
- ४.०४ विश्वविद्यालय का प्रत्येक स्नातक कार्य-परिषद् द्वारा अनुमोदित प्रपत्र में आवेदन-पत्र देने पर और इक्यावन रूपये की फीस देने पर रजिटर में अपना नाम उस दोस्ताने समारोह के दिनाङ्क से दर्ज कराने का हकदार होगा, जिसमें वह उपाधि प्रदान की गई थी या उसके उत्तरिष्ठ रहने पर प्रदान की गई होती, जिसके आधार पर उसका नाम दर्ज करना है। आवेदन-पत्र स्नातक द्वारा स्वयं दिया जायगा और उसे या तो स्वयं कुलसचिव को दिया जा सकता है या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जा सकता है। यदि दो या उससे अधिक आवेदन-पत्र एक ही आवरण में प्राप्त हों, तो उन्हें अस्वीकार कर दिया जायगा।
- ४.०५ आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर कुलसचिव, यदि यह ज्ञात हो कि स्नातक सम्पू्क रूप से अर्ह है और विहित फीस दे दी गयी है, आवेदक का नाम रजिटर में दर्ज करेगा।
- ४.०६ कोई रजिस्ट्रीकृत स्नातक, जिसका नाम निर्वाचन की अधिसूचना के दिनाङ्क के पूर्ववर्ती ३० जून को एक वर्ष या उससे अधिक अवधि से रजिटर में लिखा हो, रजिस्ट्रीकृत स्नातकों के प्रतिनिधियों के निर्वाचन में मत (वोट) देने का हकदार होगा।
- ४.०७ कोई रजिस्ट्रीकृत स्नातक धारा २२ (१) के खण्ड (ग) के अधीन निर्वाचन में खड़े होने के लिये पात्र होगा, यदि उसका नाम निर्वाचन के दिनाङ्क के पूर्ववर्ती ३० जून को कम से कम तीन वर्ष तक रजिटर में दर्ज रहा हो।
- ४.०८ धारा २२ (१) के खण्ड (ग) के अधीन निर्वाचित रजिस्ट्रीकृत स्नातकों का प्रतिनिधि विश्वविद्यालय या किसी सन्बद्ध महाविद्यालय, छात्रवास की सेवा में प्रवेश करने पर अथवा सन्बद्ध महाविद्यालय, अथवा छात्रवास के प्रबन्धन से सन्बद्ध हो जाने पर अथवा छात्र हो जाने पर सदस्य नहीं रह जायगा, और इस प्रकार रिक्त हुए स्थान को ऐसे उपलब्ध व्यक्ति द्वारा, जिसे पिछले निर्वाचन के समय ठीक बाद में पढ़ने वाले अधिकतम मत प्राप्त हुए हों, शेष कार्यकाल के लिए भरा जायगा।
- ४.०९ कोई रजिस्ट्रीकृत स्नातक, जो पहले से ही किसी अन्य हैसियत से सभा का सदस्य हो, रजिस्ट्रीकृत स्नातकों के प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचन में खड़ा हो सकता है, और इस प्रकार उसके निर्वाचित हो जाने पर परिनिषय ३.०५ के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों सहित, लागू होंगे।
- ४.१० इस अध्याय के अधीन रजिस्ट्रीकृत स्नातकों का निर्वाचन परिशिष्ट 'क' में निर्धारित आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जायगा।
- ४.११ सभा के सदस्यों का कार्यकाल सभा के प्रथम अधिवेशन के दिनाङ्क से प्रारम्भ होगा।

## विद्या-परिषद्

- ५.०१ विश्वविद्यालय के सम्बद्ध महाविद्यालयों से जो तीन प्राचार्य धारा २५ (२) के खण्ड (नग) के अधीन विद्या-परिषद् के सदस्य होंगे, उनका चयन ऐसे महाविद्यालयों के प्राचार्य के रूप में उनके ज्येष्ठता-क्रम में किया जायगा।
- ५.०२ ऐसे पन्द्रह अध्यापकों का, जो धारा २५ (२) के खण्ड (नग) के अधीन विद्या-परिषद् के सदस्य होंगे, चयन निम्नलिखित रीति से किया जायगा
- (क) ज्येष्ठता-क्रम में चक्रानुक्रम से विश्वविद्यालय के चार उपाचार्य।  
 (ख) ज्येष्ठता-क्रम में चक्रानुक्रम से विश्वविद्यालय के चार प्राध्यापक।  
 (ग) ज्येष्ठता-क्रम में चक्रानुक्रम से सम्बद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के चार अध्यापक (जो प्राचार्य न हों)।  
 (घ) ज्येष्ठता-क्रम में चक्रानुक्रम से सम्बद्ध उपाधि महाविद्यालयों के तीन अध्यापक (जो प्राचार्य न हों)।
- टिप्पणी—(१) एक सम्बद्ध महाविद्यालय के दो से अधिक अध्यापक इस परिचयन के अधीन सदस्य नहीं होंगे।  
 टिप्पणी—(२) यदि एक महाविद्यालय के दो से अधिक अध्यापक इस परिचयन के अधीन विद्या-परिषद् के सदस्य होने के हकदार हों, तो दो ज्येष्ठतम अध्यापक विद्या-परिषद् के सदस्य होंगे। ऐसे अध्यापक, जो इस प्रकार रह जायेंगे, उनकी बायीं चक्रानुक्रम से अगली बार आयेंगी।
- ५.०३ शिक्ष क्षेत्र में प्रतिष्ठित पब्लिक व्यक्ति, जो धारा २५ (२) के खण्ड (ग) के अधीन विद्या-परिषद् के सदस्य होंगे, उनका सहयोजन उक्त धारा के खण्ड (१) से (७) में उल्लिखित सदस्यों द्वारा, जिनका अधिवेशन कुलसचिव बुलायेंगे, उन व्यक्तियों में से किया जायगा, जो विश्वविद्यालय, संस्थान, सम्बद्ध महाविद्यालय या छात्रावास के कर्मचारी न हों।
- ५.०४ धारा २५ (२) के खण्ड (न), (नग) और (ग) के अधीन सदस्य तीन वर्ष के लिए पद धारण करेंगे।
- ५.०५ अधिनियम, इस परिचयनवाली तथा अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए विद्या-परिषद् को निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थात्—
- (१) अध्ययन बोर्ड के द्वारा संकायों के माध्यम से प्रेषित पाठ्यक्रम विषयक प्रस्तावों को संवेष्टा करना और उन पर अपनी सिफारिश करना तथा कार्य-परिषद् के विचारार्थ उन सिद्धान्तों और मापदण्डों की सिफारिश करना, जिनके आधार पर परीक्षकों और निरीक्षकों को नियुक्त किया जाय;  
 (२) सभा अथवा कार्य-परिषद् द्वारा उसे निर्दिष्ट किये गये या सौंपे गये किसी भी विषय पर रिपोर्ट देना;  
 (ग) विश्वविद्यालय के किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के प्रयोजनार्थ अन्य विश्वविद्यालयों और संस्थाओं के डिप्लोमा, उपाधियों या प्रमाण-पत्रों को मान्यता देने के विषय में कार्य-परिषद् को सलाह देना;  
 (४) विश्वविद्यालय की विभिन्न उपाधियों तथा डिप्लोमाओं के लिये विषय विशेष में शिक्षण देने वाले व्यक्तियों की अपेक्षित अर्हताओं के सम्बन्ध में कार्य-परिषद् को सलाह देना, और  
 (५) शिक्षा सम्बन्धी विषयों के सम्बन्ध में ऐसे सभी कर्तव्यों का पालन करना और ऐसे सभी कृत्यों को करना, जो अधिनियम, परिचयनों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों को उचित रूप से कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों।
- ५.०६ विद्या-परिषद् का अधिवेशन कुलपति के निर्देश से बुलवा जायगा।

## अध्याय-६

## वित्त-समिति

- ६.०१ धारा २६ (१) के खण्ड (घ) में निर्दिष्ट व्यक्ति की सदस्यता की अवधि एक वर्ष होगी, परन्तु वह अपने उत्तराधिकारी के निर्वाचन तक पद पर बना रहेगा। कोई भी ऐसा सदस्य लगातार तीन बार से अधिक पद धारण नहीं करेगा।
- ६.०२ व्यय की ऐसी नई मदें, जो पहिले से ही वित्तीय अनुमान में सम्मिलित न हों, निम्नलिखित दशाओं में वित्त-समिति को निर्दिष्ट की जायेंगी :—
- (१) अनावर्ती व्यय, यदि उसमें दस हजार रुपये या इससे अधिक का व्यय अन्तर्भूत हो; और  
 (२) आवर्ती व्यय, यदि उसमें तीन हजार रुपये या उससे अधिक का व्यय अन्तर्भूत हो;
- परन्तु यह कि विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी को यह अनुमति न होगी कि वह किसी ऐसे मद को, जो एक बजट शीर्षक के अन्तर्गत आने वाली अनेक भागों में विभाजित की गयी हों, छोटी-छोटी धनराशियों को बहुत-सी नई मानकर कार्य करे और वित्त-समिति के समक्ष प्रस्तुत न करे।
- ६.०३ वित्त-समिति ऐसे दिनाङ्क को या उसके पूर्व, जिसकी अध्यादेशों द्वारा इस निमित्त व्यवस्था की जाय, परिचयन ६.०२ अथवा परिचयन ६.०४ के अधीन उसको निर्दिष्ट की गयी व्यय की समस्त मदों पर विचार करेगी और उन पर अपनी सिफारिशें यथारोप देगी और कार्य-परिषद् को संसूचित करेगी।
- ६.०४ यदि कार्य-परिषद् वार्षिक वित्तीय अनुमान (अर्थात् बजट) पर विचार करने के पश्चात् किसी समय उसमें किसी ऐसे पुनरीक्षण का प्रस्ताव करे, जिसमें परिचयन ६.०२ में निर्दिष्ट आवर्ती या अनावर्ती धनराशि का व्यय अन्तर्भूत हो, तो कार्य-परिषद् वित्त-समिति को प्रस्ताव निर्दिष्ट करेगी।
- ६.०५ वित्त अधिकारी द्वारा तैयार किया गया विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा तथा वित्तीय अनुमान वित्त-समिति के समक्ष विचार के लिये रखा जायगा और तत्पश्चात् कार्य-परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायगा।
- ६.०६ वित्त-समिति के किसी सदस्य को असहमति अपिलिखित करने का अधिकार होगा, यदि वह वित्त-समिति के किसी विनियम से सहमत न हो।
- ६.०७ लेखा की परीक्षा करने तथा व्यय के प्रस्तावों को संवेष्टा करने के लिए वित्त-समिति का प्रतिवर्ष कम-से-कम दो बार अधिवेशन होगा।
- ६.०८ वित्त-समिति के अधिवेशन कुलपति के निर्देश से बुलाये जायेंगे और वित्त अधिकारी द्वारा ऐसे अधिवेशनों को बुलाने के लिए भी नोटिसें जारी की जायेंगी और सभी अधिवेशनों का कार्यवृत्त रखा जायगा।

## अध्याय-७

## संकाय

- ७.०१ विश्वविद्यालय में निम्नलिखित संकाय होंगे, अर्थात्—
- (क) वेद-वेदाङ्ग संकाय।  
 (ख) साहित्य-संस्कृति संकाय।  
 (ग) दर्शन संकाय।  
 (घ) भ्रमणविद्या संकाय।  
 (ङ) आधुनिक ज्ञान-विज्ञान संकाय।  
 (च) आधुनिक संकाय।
- टिप्पणी—आधुनिक महाविद्यालय, वाराणसी से आधुनिक संकाय का गठन होगा।
- ७.०२ वेद-वेदाङ्ग संकाय में निम्नलिखित विभाग होंगे :—
- (१) वेदा  
 (२) धर्मशास्त्र।  
 (३) ज्योतिष।  
 (४) व्याकरण।
- ७.०३ साहित्य-संस्कृति संकाय में निम्नलिखित विभाग होंगे :—
- (१) साहित्य।  
 (२) पुराणेतिहास।  
 (३) प्राचीन राजशासन-अर्थशास्त्र।

७.०४ दर्शन संकाय में निम्नलिखित विभाग होंगे :—

- (१) न्याय-वैशेषिक।
- (२) सांख्य-योग-तन्त्र-आगम।
- (३) पूर्वमीमांसा।
- (४) वेदान्त।
- (५) तुलनात्मक धर्म-दर्शन।

७.०५ श्रमणविद्या संकाय में निम्नलिखित विभाग होंगे :—

- (१) बौद्धदर्शन।
- (२) जैनदर्शन।
- (३) पाप्ती एवं वेरवादा।
- (४) प्रकृत एवं जैनागम।
- (५) 'संस्कृत विद्या-विभाग' १।

७.०६ आधुनिक ज्ञान-विज्ञान संकाय में निम्नलिखित विभाग होंगे :—

- (१) आधुनिक भाषा एवं भाषाविज्ञान।
- (२) सामाजिक विज्ञान।
- (३) शिक्षाशास्त्र।
- (४) विज्ञान।
- (५) इन्ध्यातय विज्ञान।

७.०७ आयुर्वेद संकाय में निम्नलिखित विभाग होंगे :—

- (१) शरीर।
- (२) द्रव्यगुण।
- (३) रसशास्त्र-भैषज्यकल्पना।
- (४) काय-चिकित्सा।
- (५) शल्य-शास्त्रागम।
- (६) प्रसूति, स्त्री, बालरोग तथा अगदतन्त्र।
- (७) आयुर्वेद संहिता और आधारभूत सिद्धान्त।

७.०८ आयुर्वेद संकाय से भिन्न प्रत्येक संकाय का बोर्ड निम्नलिखित प्रकार से गठित किया जाएगा :—

- (१) संकाय का संकायाध्यक्ष, जो अध्यक्ष होगा।
- (२) संकाय के समस्त विभागाध्यक्ष।
- (३) संकाय में पढ़ाये जाने वाले विषयों के समस्त आचार्य और उपाचार्य (जो विभागाध्यक्ष न हों)।
- (४) सम्बद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालयों का एक ऐसा प्राचार्य और सम्बद्ध उपाधि महाविद्यालयों का एक ऐसा प्राचार्य, जो संकाय को सीपे गये विषयों के अध्यापक हों, ज्येष्ठता-क्रम में, चक्रानुक्रम से, एक वर्ष की अवधि के लिए।
- (५) सम्बद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालयों का एक ऐसा अध्यापक (प्राचार्य से भिन्न) और सम्बद्ध उपाधि महाविद्यालयों का एक ऐसा अध्यापक (प्राचार्य से भिन्न), जो संकाय को सीपे गये विषयों के अध्यापक हों, ज्येष्ठता-क्रम में चक्रानुक्रम से एक वर्ष की अवधि के लिए।
- (६) तीन से अनाधिक ऐसे व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय या किसी सम्बद्ध महाविद्यालय की सेवा में न हों और जिनको संकाय को सीपे गये विषयों में विशेष योग्यता रखने के कारण विद्या-परिषद् नाम-निर्दिष्ट करे।

७.०९ आयुर्वेद संकाय का बोर्ड निम्नलिखित प्रकार से गठित किया जाएगा :—

- (१) संकाय का संकायाध्यक्ष, जो अध्यक्ष होगा।
- (२) संकाय के समस्त विभागाध्यक्ष।
- (३) संकाय में पढ़ाये जाने वाले विषयों के समस्त आचार्य और उपाचार्य (जो विभागाध्यक्ष न हों)।
- (४) संकाय के प्रत्येक विभाग का एक प्राध्यापक ज्येष्ठता-क्रम में, चक्रानुक्रम से, एक वर्ष की अवधि के लिए।
- (५) तीन से अनाधिक ऐसे व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय या किसी सम्बद्ध महाविद्यालय की सेवा में न हों और जिनको संकाय को सीपे गये विषयों में विशेष योग्यता रखने के कारण विद्या-परिषद् नाम-निर्दिष्ट करे।

७.१० (१) इस अध्याय में उपबन्धित के सिवाय, संकाय के बोर्ड के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्य, तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

- (२) संकाय के बोर्ड का अधिवेशन, उसके अध्यक्ष के निर्देश से बुलाया जाएगा।

७.११ अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक संकाय के बोर्ड की निम्नलिखित शक्ति होगी, अर्थात्—

- (१) शिक्षा के पाठ्यक्रम के सम्बद्ध अध्यापन बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् विद्या-परिषद् को सिफारिश करना।
- (२) विश्वविद्यालय के अध्यापन और अनुसन्धान कार्य के सम्बन्ध में संकाय को सीपे गये विषयों में विद्या-परिषद् को सिफारिश करना।
- (३) अपने कार्य-क्षेत्र के सम्बन्ध में किसी प्रश्न पर, जो उसे आवश्यक प्रतीत हो और विद्या-परिषद् द्वारा उसे निर्दिष्ट मामले पर विचार करना और विद्या-परिषद् को सिफारिश करना।

७.१२ इस अध्याय की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि विश्वविद्यालय में अध्यापन का कोई विभाग, जो इस परिणियमवली के प्रारम्भ होने पर विद्यमान न हो, खोलने का प्राधिकार है, जब तक कुलाधिपति का पूर्वानुमोदन न प्राप्त कर लिया जाय और उसके लिये, आवश्यक अनुदान सुनिश्चित न हो जाय।

#### अध्याय-८

#### विश्वविद्यालय के प्राधिकारी तथा निकाय

#### अनुशासनिक समिति

८.०१ (१) कार्य-परिषद् विश्वविद्यालय में ऐसी आधि के लिये, जिसे वह उचित समझे, एक अनुशासनिक समिति का गठन करेगी, जिसमें कुलपति और कार्य-परिषद् द्वारा नाम-निर्दिष्ट दो अन्य व्यक्ति होंगे :—

परन्तु यदि कार्य-परिषद् समीचीन समझे तो वह विभिन्न मामलों या मामलों के वर्गों पर विचार करने के लिए ऐसी एक से अधिक समिति गठित कर सकती है।

(२) जिस अध्यापक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही का कोई मामला विचारधीन हो, वह उस मामले के सम्बन्ध में कार्यवाही करने वाली अनुशासनिक समिति के सदस्य के रूप में कार्य नहीं करेगा।

- (३) कार्य-परिषद् कोई मामला एक अनुशासनिक समिति से किसी दूसरी अनुशासनिक समिति को किसी प्रकार पर अन्वित कर सकती है।



८.०२ (१) अनुशासनिक मामलों का निम्नलिखित कृत्य होगा :—

(क) परिचय २.०७ के अधीन विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत की गई किसी अपील पर विनिश्चय करना;

(ख) ऐसे मामलों में जाँच करना, जिसमें विश्व-विद्यालय के किसी अध्यापक या पुस्तकालय के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही अन्तर्गत हो;

(ग) उपखण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी ऐसे कर्मचारी को निलम्बित करने की सिफारिश करना, जिसके विरुद्ध कोई जाँच विचाराधीन हो या करने का विचार हो;

(घ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना, जो उसे समय-समय पर कार्य-परिषद् द्वारा सौंपे जायें।

(२) समिति के सदस्यों में मतभेद होने की दशा में, बहुमत का विनिश्चय अभिभावी होगा।

(३) 'अनुशासनिक समिति का विनिश्चय या उसकी रिपोर्ट यथाशीघ्र कार्य-परिषद् के सम्मुख रखी जायगी, जिससे कार्य-परिषद् मामले में अपना विनिश्चय कर सके'।

#### विभागीय समितियाँ

८.०३ परिचय २.२२ के अधीन नियुक्त विभागाध्यक्ष सहायता के लिये विश्वविद्यालय में, प्रत्येक अध्यापन विभाग में, एक विभागीय समिति होगी।

८.०४ विभागीय समिति में निम्नलिखित होंगे :—

(१) विभागाध्यक्ष, जो अध्यक्ष होगा;

(२) विभाग के समस्त आचार्य, और यदि कोई आचार्य न हो तो विभाग के समस्त उपाचार्य;

(३) यदि किसी विभाग में आचार्य तथा उपाचार्य भी हों, तो ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से तीन वर्ष की अवधि के लिए दो उपाचार्य;

(४) यदि किसी विभाग में उपाचार्य तथा प्राध्यापक भी हों, तो एक प्राध्यापक, और यदि किसी विभाग में कोई उपाचार्य न हो, तो ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से दो प्राध्यापक तीन वर्ष की अवधि के लिये;

परन्तु किसी विषय या विद्याविशेष से विशेषतः सम्बद्ध किसी मामले के लिए उस विषय या विद्याविशेष का ज्येष्ठतम अध्यापक यदि उसे पूर्ववर्ती शर्तों में पहले ही सम्मिलित न किया गया हो, उस मामले के लिये विशेषतः आमन्त्रित किया जायगा।

८.०५ विभागीय समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे :—

(१) विभाग के अध्यापकों में अध्यापन-कार्य के वितरण के सम्बन्ध में सिफारिश करना;

(२) विभाग में अनुसन्धान-कार्य और अन्य कार्यों के समन्वय के सम्बन्ध में सुझाव देना;

(३) विभाग में ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में, जिसके लिए विभागाध्यक्ष नियुक्ति प्राधिकारी हों, सिफारिश करना;

(४) विभाग के सामान्य और विद्याविषयक रुचि के मामलों पर विचार करना।

८.०६ समिति का अधिवेशन एक तिमाही में कम से कम एक बार होगा। इस अधिवेशन के कार्यवृत्त कुलपति को प्रस्तुत किये जायेंगे।

परीक्षा-समिति

८.०७ परीक्षा-समिति, धारा २९ की उपधारा (३) में निर्दिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों या उप-समिति की सिफारिश पर किसी परीक्षार्थी को किसी भावी परीक्षा या परीक्षाओं में बैठने से वंचित कर सकती है, यदि समिति की राय में ऐसा परीक्षार्थी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी परीक्षा में दुरुव्यवहार या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का दोषी हो।

#### अध्याय-९

##### बोर्ड

९.०१ विश्वविद्यालय के संकाय बोर्डों तथा अध्ययन बोर्डों के अतिरिक्त निम्नलिखित बोर्ड होंगे, अर्थात्—

(क) छात्रकल्याण बोर्ड,

(ख) समन्वय बोर्ड,

(ग) अनुसन्धान और प्रकाशन संस्थान का बोर्ड,

(घ) पुस्तकालय बोर्ड,

(ङ) प्रथमा और मध्यमा अध्ययन तथा परीक्षा बोर्ड।

९.०२ परिचय ९.०१ में उल्लिखित बोर्डों की शक्ति, कृत्य तथा गठन ऐसा होगा जैसा अध्यादेशों में निर्धारित किया जाय :

परन्तु उक्त परिचय के खण्ड (क) में निर्दिष्ट छात्रकल्याण बोर्ड में सम्बन्धित अध्यादेशों में छात्रों के प्रतिनिधित्व की भी व्यवस्था होगी और ऐसे छात्र-प्रतिनिधियों का कार्यकाल एक वर्ष होगा।

९.०३ जब तक कि परिचय ९.०२ के अनुसार नये बोर्ड का गठन न हो जाय, तब तक परिचय ९.०१ में उल्लिखित तथा इस परिचयमावली के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व दिनाङ्क को वर्तमान बोर्ड कार्य करता रहेगा।

#### अध्याय-१०

##### भाग-१

#### विश्वविद्यालय के अध्यापकों का वर्गीकरण

१०.०१ विश्वविद्यालय के अध्यापकों के निम्नलिखित वर्ग होंगे :—

(१) आचार्य;

(२) उपाचार्य, और

(३) प्राध्यापक।

१०.०२ विश्वविद्यालय के अध्यापक विषयों के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित वेतनमान में पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किये जायेंगे :

परन्तु अंशकालिक प्राध्यापक उन विषयों के लिये नियुक्त किये जा सकते हैं, जिनमें विद्या-परिषद् की राय में, ऐसे प्राध्यापकों की, अध्यापन-कार्य के हित में अथवा अन्य कारण से, आवश्यकता हो। ऐसे अंशकालिक प्राध्यापक उतना वेतन पा सकते हैं, जितना सामान्यतया उस पद के, जिस पर वे नियुक्त किये जायें, प्रारम्भिक वेतन के आधे से अधिक न हो। अनुसन्धान-सहचर अथवा अनुसन्धान-सहायक के रूप में कार्य करने वाले व्यक्तियों को अंशकालिक प्राध्यापक के रूप में कार्य करने के लिये कहा जा सकता है।

१०.०३ कार्य-परिषद् विद्या-परिषद् की सिफारिशों पर, निम्नलिखित को नियुक्त कर सकती है—

(१) इस निमित्त अध्यादेशों के अनुसार विशिष्ट संविदा शर्तों पर शिक्षा-क्षेत्र में प्रतिष्ठित और उत्कृष्ट योग्यता के आचार्य।

(२) अवैतनिक सेवामुक्त आचार्य—

(क) जो विशिष्ट विषयों पर व्याख्यान देंगे;

(ख) जो अनुसन्धान-कार्य का मार्ग-दर्शन करेंगे;

(ग) जो सम्बद्ध संकाय बोर्ड के अधिवेशनों में उपस्थित होने तथा उसके विचार-विमर्श में भाग लेने के हकदार होंगे, किन्तु मत देने का अधिकार नहीं होगा;

(घ) जिन्हें यथासम्भव, विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों तथा प्रयोगशालाओं में अध्ययन तथा अनुसन्धान-कार्य करने की सुविधाएँ प्रदान की जायेंगी; और

(ङ) जो समस्त दीक्षान्त-समारोह में उपस्थित होने के हकदार होंगे;

परन्तु कोई व्यक्ति केवल विभाग में अवैतनिक सेवामुक्त आचार्य के रूप में आचार्य का पद धारण करने के आधार पर विश्वविद्यालय में या उसके किसी प्राधिकारी या निकाय में कोई पद धारण करने का पात्र नहीं होगा।

१०.०४ शिक्षक अथवा अध्यापन अनुसन्धान सहायक ऐसी शर्तों तथा नियमों पर, जिसकी अध्यादेशों में व्यवस्था की गयी हो, कार्य-परिषद् द्वारा नियुक्त किये जा सकते हैं।

#### भाग-२

#### सम्बद्ध महाविद्यालयों के अध्यापकों का वर्गीकरण

१०.०५ उत्तर प्रदेश में सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्य से भिन्न अध्यापकों के निम्नलिखित वर्ग होंगे :—

(क) स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में :—

- (१) प्रधानाचार्य;
- (२) सहायक आचार्य;
- (३) आचार्य;
- (४) शिक्षक।

(ख) उपाधि महाविद्यालयों में—

- (१) प्रधानाचार्य;
- (२) अध्यापक;
- (३) सहायक अध्यापक।

(ग) उत्तर माध्यमिक विद्यालयों में—

- (१) प्रधानाचार्य;
- (२) अध्यापक;
- (३) सहायक अध्यापक ज्येष्ठ;
- (४) सहायक अध्यापक कनिष्ठ।

(घ) पूर्व माध्यमिक विद्यालय में—

- (१) प्रधान अध्यापक;
- (२) अध्यापक;
- (३) 'सहायक अध्यापक'।

१०.०६ उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर के सम्बद्ध महाविद्यालयों के अध्यापकों को सम्बद्ध सरकार के अनुमोदन से विश्वविद्यालय द्वारा वर्गीकृत किया जा सकता है और उन्हें ऐसे वर्गों में रखा जा सकता है, जिसे कार्य-परिषद् उचित समझे।

१०.०७ सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्य और अन्य अध्यापक सम्बद्ध राज्य सरकार या संघक्षेत्र या स्थानीय निकाय या प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित वेतन-मान में पूर्णकालिक आधार पर नियोजित किये जायेंगे : [ × × × × ] 1

१०.०८ [ × × × × ] 2

१०.०९ परिचय १०.०५ से १०.०७ तक के उपर्युक्त राज्य सरकार या संघ-क्षेत्र या स्थानीय निकाय या प्राधिकारी द्वारा अनन्य रूप से घोषित सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों और अध्यापकों पर ऐसे परिष्कारों सहित लागू होंगे, जो कार्य-परिषद् द्वारा उचित समझे जायें।

#### अध्याय-११

#### भाग-१

#### विश्वविद्यालय के अध्यापकों की अर्हताएँ और नियुक्ति

११.०१ (१) शैक्षिक-संस्कृति, दर्शन, श्रमणविद्या और आधुनिक ज्ञान-विज्ञान (शिक्षाशास्त्र-विभाग के सिवाय) सङ्घों की स्थिति में विश्वविद्यालय में किसी प्राध्यापक के पद के लिए न्यूनतम अर्हताएँ—

- (क) सुसंगत विषय में स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम ५५ प्रतिशत प्राप्ताङ्क अथवा समतुल्य सात सूत्रीय वर्ग माप में बी.प्रेड।
- (ख) उतम शैक्षिक अभिलेख (होगी)।

११.०२ (२) आधुनिक ज्ञान-विज्ञान सङ्घों में शिक्षाशास्त्र-विभाग की स्थिति में विश्वविद्यालय में किसी प्राध्यापक के पद के लिये न्यूनतम अर्हताएँ—

- (क) शिक्षा/एम.एड. में न्यूनतम ५५ प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि अथवा समतुल्य सात सूत्रीय वर्ग माप में बी.प्रेड।
- (ख) किसी स्कूल विषय में स्नातकोत्तर उपाधि।
- (ग) उतम शैक्षिक अभिलेख (होगी)।

विशेष—परन्तु 'किसी प्राध्यापक पद हेतु अर्हताओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए स्नातकोत्तर उपाधियों में न्यूनतम प्राप्ताङ्क ५५ प्रतिशत के स्थान पर ५० प्रतिशत होंगे'।

(३) १९६६ परिचय के प्रयोजन के उतम शैक्षिक अभिलेख—

(क) सामान्य श्रेणी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए उतम शैक्षिक अभिलेख निम्नवत् होंगे—

'सुसंगत स्नातक उपाधि में न्यूनतम ५५ प्रतिशत प्राप्ताङ्क, जो अभ्यर्थी पी-एच.डी. धारक हों, उनके लिए सुसंगत स्नातक उपाधि में अधिकतम ५ प्रतिशत अंकों तक की सीमा की छूट दी जायगी'।

(ख) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए उतम शैक्षिक अभिलेख निम्नवत् होंगे—

'सुसंगत स्नातक उपाधि में से न्यूनतम ५० प्रतिशत प्राप्ताङ्क, परन्तु जो अभ्यर्थी पी-एच.डी. धारक हों, उनके लिए सुसंगत स्नातक उपाधि में अधिकतम ५ प्रतिशत प्राप्ताङ्क तक की सीमा की छूट अनुमत्त होगी'।

(४) प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए केवल वही अभ्यर्थी पात्र होंगे, जो प्राध्यापक के पद के लिये विहित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएँ पूरी करने के अतिरिक्त राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हों अथवा उत्तर-प्रदेश राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हों।

परन्तु किसी अभ्यर्थी से—

(१) जिसने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् या जूनियर रिसर्च फेलोशिप या उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की हो, या

(२) जिसे ३१ दिसम्बर, १९९३ तक एम.फिल. उपाधि प्रदान की गयी हो, या

(३) जिसे सम्बन्धित विषय में ३१ दिसम्बर, २००२ तक पी-एच.डी. की उपाधि प्रदान की गयी हो, या

(४) जिसने सम्बन्धित विषय में पी-एच.डी. उपाधि हेतु शोध-प्रबन्ध (थीसिस) ३१ दिसम्बर, २००२ को या उससे पूर्व प्रस्तुत कर दिया है,



ऐसे अभ्यर्थी से राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायगी।

जिसने सम्बन्धित विषय में पी-एच.डी. उपाधि हेतु शोध-प्रबन्ध (थेसिस) ३१ दिसम्बर, २००२ को या उससे पूर्व प्रस्तुत कर दिया है, किन्तु पी-एच.डी. उपाधि हेतु शोध-प्रबन्ध प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थी यदि पी-एच.डी. की उपाधि प्राप्त करने में असफल रहते हैं, तो उनके लिये राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा या समतुल्य उत्तर-प्रदेश राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

११.०२ वेद-वेदाङ्ग, साहित्य-संस्कृति, दर्शन, प्रमाणविद्या और अधुनिक ज्ञान-विज्ञान संकायों की स्थिति में,

(क) विश्वविद्यालय में उपाचार्य के पद के लिये न्यूनतम अर्हताएँ निम्नलिखित होंगी, अर्थात्—

\*(१) उच्चतम शैक्षिक अभिलेख के साथ डाक्टरेट की उपाधि तथा सुसंगत विषय में स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम ५५ प्रतिशत प्राप्ताङ्क अथवा सात सूत्रीय वर्ग माप में बी.पेड।

\*(२) विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में शिक्षण का न्यूनतम ५ वर्ष का अनुभव तथा शोध के अनुभव के साथ ज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि, जो अभ्यर्थी द्वारा प्रकाशित रचना, शैक्षिक क्षेत्र में अभिनवीकरण, नवीन पाठ्यक्रमों की रूपरेखा में किये गये योगदान, इस हेतु किये गये योगदान, अथवा नवीन पाठ्यक्रमों की रूपरेखा में किये गये योगदान से प्रमाणित हो।

इस परिनिषम के प्रयोजन के लिए उच्चतम शैक्षिक अभिलेख—

उपाचार्य हेतु यह अभ्यर्थी 'उच्चतम शैक्षिक अभिलेख' का धारक माना जायगा, जिसने हाईस्कूल (या समकक्ष) एवं उससे उच्चतर सभी संगत परीक्षाओं में, जिनमें वह उत्तीर्ण हुआ है, न्यूनतम द्वितीय श्रेणी (या सात सूत्री अक्षर वर्ग माप में 'सी' वर्ग) अर्जित की है।

(ख) विश्वविद्यालय में आचार्य के पद के लिये न्यूनतम अर्हताएँ निम्नलिखित होंगी, अर्थात्— या तो—

\* २१०० घण्टा प्रख्यात विद्वान् जिसकी प्रख्यात रचना उच्च कोटि की हो और विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय स्तर के संस्थान में अनुसन्धान-कार्य में सक्रिय रूप से लगे हों तथा जिसे परामर्शात्मक कक्षाओं में दस वर्ष का शिक्षण अनुभव तथा अनुसन्धान के कार्य के मार्गदर्शन का अनुभव भी शामिल हो, या विषय का ख्यातिलब्ध मूर्धन्य विद्वान् जिसने ज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया हो।

११.०३ परिनिषम १.०२ के खण्ड (२) में निर्दिष्ट उत्तर-प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय प्रथम नियमावली (अध्यापकों की अधिवर्धिता की आयु, वेतनमान और अर्हताएँ) १९७५ के आधार पर, जैसा कि यह अधिसूचना संख्या-७२५१/१५-१०-७५-६०(११५)-७३, दिनाङ्क २० अक्टूबर, १९७५ द्वारा संशोधन के पूर्व की, दिनाङ्क १ अगस्त, १९७५ और २० अक्टूबर, १९७५ के बीच किये गये किसी अध्यापक के चयन पर इस परिनिषमावली का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

११.०४ धारा ३१ (१०) में निर्दिष्ट रिक्ति का विज्ञापन सामान्यतया अभ्यर्थियों को रिक्ति के लिए आवेदन-पत्र देने हेतु कम से कम तीन सप्ताह का समय उस दिनाङ्क से देगा, जिस दिनाङ्क को समाचार-पत्र का अङ्क निकाला गया, जिसमें विज्ञापन छपा है।

११.०५ (१) विश्वविद्यालय में अध्यापकों की नियुक्ति के लिए चयन-समिति का अधिवेशन कुलपति के आदेश से बुलाया जायगा।

(२) चयन-समिति विश्वविद्यालय के अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति के नाम पर विचार नहीं करेगी, जब तक कि उसने उसके लिए आवेदन-पत्र न दिया हो; परन्तु किसी आचार्य की नियुक्ति की दशा में, समिति कुलपति के अनुमोदन से, उन व्यक्तियों के, जिन्होंने आवेदन-पत्र न दिये हों, नाम पर विचार कर सकती है।

(३) चयन-समिति का कोई सदस्य, यथास्थिति, समिति या कार्य-परिषद् के अधिवेशन से बाहर चला जायगा, यदि ऐसे अधिवेशन में किसी नालेदार की (जैसा कि धारा २० के स्पष्टीकरण में परिभाषित है) नियुक्ति के प्रश्न पर विचार किया जा रहा हो या विचार किया जाना सम्भाव्य हो।

११.०६—(१) यदि चयन-समिति नियुक्ति के लिए एक से अधिक अभ्यर्थियों के नाम की सिफारिश करे, तो वह स्वविवेकानुसार उनके नाम अधिमान-क्रम में रख सकती है। जहाँ समिति अभ्यर्थियों के नाम अधिमान-क्रम में रखने का विनिरचय करे, वहाँ यह समझा जायगा कि उसने यह इच्छित कर दिया है कि प्रथम अभ्यर्थी के उपलब्ध न होने की दशा में द्वितीय अभ्यर्थी नियुक्त किया जा सकता है और द्वितीय अभ्यर्थी के भी उपलब्ध न होने की दशा में, तृतीय अभ्यर्थी नियुक्त किया जा सकता है और यही क्रम आगे भी चलेगा।

(२) चयन-समिति यह सिफारिश कर सकती है कि कोई उपयुक्त अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है। ऐसी दशा में विज्ञापन पुनः किया जायगा।

११.०७ चयन-समिति की सिफारिशों तथा उनसे सम्बन्धित कार्य-परिषद् की कार्यवाहियाँ अत्यन्त गोपनीय मानी जायेंगी।

११.०८ यदि धारा ३१ (२) के अधीन नियुक्त अध्यापक का कार्य तथा आचरण—

(१) सन्तोषजनक समझा जाय तो कार्य-परिषद् परीक्षा अर्थात् (जिसके अन्तर्गत बढ़ायी गयी अर्थात्, यदि कोई हो, भी है) अन्त में अध्यापक को स्थायी कर सकती है।

(२) सन्तोषजनक न समझा जाय तो कार्य-परिषद् परीक्षा अर्थात् (जिसके अन्तर्गत बढ़ायी गयी अर्थात्, यदि कोई हो, भी है) दौरान अथवा उस-की समाप्ति पर अध्यापक की सेवाएँ धारा ३१ के उपबन्धों के अनुसार समाप्त कर सकती है।

११.०९ चयन-समिति का अधिवेशन विश्वविद्यालय के मुख्यालय पर होगा।

११.१० चयन-समिति के सदस्यों को अधिवेशन की सूचना, जो पन्द्रह दिन से कम की नहीं होगी, दी जायगी और उसकी गणना सूचना भेजे जाने के दिनाङ्क से की जायगी, नोटिस की तारीखी या तो व्यक्तिगत रूप से या रजिस्ट्री डाक द्वारा की जायगी।

११.११ अभ्यर्थियों को चयन-समिति का अधिवेशन होने के पूर्व कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना दी जायगी और उसकी गणना भेजे जाने के दिनाङ्क से की जायगी। सूचना की तारीखी या तो व्यक्तिगत रूप से या रजिस्ट्री डाक द्वारा की जायगी।

११.१२ चयन-समिति के सदस्यों को यात्रा तथा दैनिक भत्ता विश्वविद्यालय द्वारा अध्यादेशों में विहित दरों पर दिया जायगा।

११.१२ (क) 'अत्याधिक विरोध परिस्थितियों में और चयन-समिति की सिफारिश पर कार्य-परिषद् ऐसे अध्यापकों को, जो असाधारण रूप से उच्च शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हों, प्रारम्भिक नियुक्ति के समय पाँच अग्रिम वेतनवृद्धि दे सकती है। यदि किसी मामले में पाँच से अधिक अग्रिम वेतन-वृद्धि देना आवश्यक हो, तो नियुक्ति करने के पूर्व राज्य सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त किया जायगा।'

११.१२ (ख) \*(१) प्रवक्ता से उपाचार्य के पद पर तथा उपाचार्य से आचार्य पद पर प्रोन्नति केवल उन्हीं अध्यापकों को अनुमत्त होगी, जिन्होंने शासनादेश संख्या—५७१४/१५-११-८७-१४ (५)/८७, दिनाङ्क १०-०९-८७ के अन्तर्गत वैयक्तिक प्रोन्नति हेतु निर्धारित समय के अन्दर विकल्प प्रस्तुत किया था।

(२) इस योजना का लाभ उन अध्यापकों को अनुमत्त नहीं होगा जो कैरियर एडवन्समेंट योजना से आच्छादित हैं।

(३) प्रवक्ता से रीटर् के पद पर तथा रीटर् से प्रोफेसर के पद पर वैयक्तिक प्रोन्नति विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ की धारा-३१ एवं परिनिषमों के अधीन विधिक गठित चयन-समिति द्वारा लिये गये साक्षात्कार एवं संस्तुति के उपरान्त देय होगी।

(४) इस योजना के अन्तर्गत वैयक्तिक रूप से प्रोन्नत रीटर्/प्रोफेसर/फेलो के कार्यभार में कोई कमी न होगी, अर्थात् प्रवक्ता के रूप में जिसने वादन (पीरियड) वह पढ़ाता था, उतने ही वादन वह रीटर्/प्रोफेसर/फेलो के पद पर भी वैयक्तिक प्रोन्नति योजना के अन्तर्गत प्रोन्नति पर भी पढ़ाता रहेगा। वह प्रोन्नति सम्बन्धी अध्यापक के लिये वैयक्तिक होगा। इस प्रोन्नति के कारण कोई अतिरिक्त पद सृजित नहीं होगा।

(५) विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित अध्यापक को वैयक्तिक प्रोन्नति योजना के अन्तर्गत देय प्रोन्नति की तिथि से ०३ माह पूर्व ही कार्यवाही कर देनी चाहिए।

(६) वैयक्तिक प्रोन्नति योजना के अन्तर्गत प्रोन्नत रीटर्/प्रोफेसर/फेलो को पदोन्नति का लाभ कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा।

(७) यदि कोई अध्यापक चयन-समिति द्वारा प्रोन्नति के लिये उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो वह दो वर्ष के उपरान्त प्रश्न पर आवेदन कर सकता है।

(९) इस योजना के अन्तर्गत वैयक्तिक रूप से प्रोन्नति अध्यापकों के सेवानिवृत्त होने अथवा अन्य किसी प्रकार से पद रिक्त होने पर नयी नियुक्ति उस पद पर की जायगी, जिस पद पर सम्बन्धित अध्यापक को मौलिक नियुक्ति थी।

(१०) अध्यापकों की खरिदता सम्बन्धित विश्वविद्यालय के परिनिर्णयों के अन्तर्गत निर्धारित की जायगी।

(११) द्वितीय प्रोन्नति का लाभ इस शर्त पर स्वीकृत किया जाता है कि यदि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सहमत नहीं होता है, तो उक्त योजना का लाभ तथा भुगतान की गयी अतिरिक्त धनराशि बसूल कर ली जायगी। इस सम्बन्ध में प्रोन्नति के समय सम्बन्धित शिक्षकों से लिखित आश्वासन प्राप्त कर लिया जाय।

(१२) सम्बन्धित अध्यापक को इस आशय का लिखित आश्वासन (अण्डर टेकिंग) देना होगा कि उसके मौलिक पद के लिये निर्धारित कार्यभार सम्पादित करता रहेगा।

(१३) यह वैयक्तिक प्रोन्नति योजना उत्तर-प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ द्वारा स्थापित एवं नियन्त्रित विश्वविद्यालयों के अध्यापकों पर लागू होगी।

(१४) वैयक्तिक प्रोन्नति योजना के अन्तर्गत द्वितीय प्रोन्नति का लाभ शासनादेश जारी होने की तिथि से अनुमन्य होगा, किन्तु इस वैयक्तिक प्रोन्नति के फलस्वरूप किसी प्राध्यापक अथवा उपाचार्य का वेतन निर्धारित करने का प्रयत्न नहीं उठेगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या—५०१/१५(१५)/८४, दिनांक २५.२.८४ में उल्लिखित अन्य शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

\*११.१२ (ग) कैरियर एडवॉन्समेंट योजना [Career Advancement (Scheme)]—This Career Advancement Scheme applies to the State Universities and Associated/Affiliated Colleges (except the colleges affiliated to Sampurnanand Sanskrit University, Varanasi) It shall come into force from July 27, 1998. Teachers who have become eligible for Senior Scale/Selection Grade/Reader (Promotion)/Professor (Promotion) under the Career Advancement Scheme in force prior to July 27, 1998 shall be covered by the provisions of Govt. Order No. 91-G.I/14:11:88-14 (5):87 dated 7th of January, 1989 and Statutes made earlier in this behalf and Govt. Order No. 1309/15-11-90-32/89 Dated March 17, 1990.

With effect from 27th of July, 1998 teachers shall have the opportunities for Career Advancement Scheme (Promotion) as given hereafter :

1. A Lecturer in University or in an affiliated/associated college will be eligible for placement in Senior Scale. A Lecturer (Senior Scale) may move into the grade of the Lecturer (Selection Grade) or Reader. Minimum length of service for eligibility to move into the grade of lecturer (Senior Scale) would be four years for those with Ph.D. degree, five years for those with M. Phil. degree, six years for others at the level of Lecturer and for eligibility to move into the Grade of Lecturer (Selection Grade)/Reader, the minimum length of service as Lecturer (Senior Scale) shall be uniformly five years.

2. For promotion to the posts of Reader and Professors the minimum eligibility criterion would be Ph.D. or equivalent published work.

3. Only a Reader in the University with a minimum of eight years of service in that grade will be eligible to be considered for appointment as a Professor. Readers in Degree and Post Graduate Colleges will not be eligible for the Post of Professor under Career Advancement Scheme in the colleges.

4. In the case of University, Selection Committee for Lecturer (Selection Grade), Reader and Professor shall be constituted under clause (a) of subsection 4 of section-31 of U.P. State Universities Act 1973.

5. Senior Scale : Constitution of Screening Committee—

Placement in Senior Scale will be through a process of Screening Committee to be constituted as under :

(A) In the case of University the Screening Committee shall consist of—

1. Vice-Chancellor Chairman
2. Dean of Faculty concerned Member
3. Two experts of the subject to be nominated by the Chancellor/Member
4. Head of Department concerned Member
6. Lecturer (Senior Scale)—

A Lecturer will be eligible for placement in a senior scale through the procedure of selection, if she/he has;

(i) Completed 6 years of service after regular appointment with relaxation of one year for those having M.Phil. degree and relaxation of two years for those with Ph.D. degree.

(ii) Participated in one Orientation course and one Refresher course each of three to four weeks duration or engaged in other appropriate continuing education programmes of comparable quality, as may be specified or approved by the University Grants Commission.

Provided that these Lecturers who have a Ph.D. Degree would be exempted from one Refresher Course.

(iii) Consistently satisfactory Annual Academic Progress Report and Performance Appraisal Report as per appendix A&B.

7. Lecturer (Selection Grade)—

Lecturers after completion of five years in the senior scale who do not have Ph.D. degree or equivalent published work and who do not meet the scholarship and research standards, but fulfil the other criteria for the Post of Reader by Direct Recruitment given in these statutes, and have a good record in teaching and, preferably, have contributed in various ways such as to the corporate life of the institution, examination work or through extension activities and have completed two refresher courses each of at least three to four weeks duration will be placed in the selection grade subject to the recommendations of the selection Committee which is the same, as for promotion to the post of Reader. They will be designated as Lecturers in the Selection Grade.

Provided that a Lecturer in the Selection Grade could offer himself/herself for fresh assessment after obtaining Ph.D. degree and fulfilling other requirements for promotion as Reader and if found suitable could be given the designation of Reader.

8. Reader (Promotion)—

A lecturer in the Senior Scale will be eligible for promotion to the post of Reader if she/he has;

(i) Completed 5 years of service in the senior scale.

(ii) Obtained a Ph.D. degree or has equivalent published work.

(iii) Made some mark in the areas of scholarship and research as evidenced by self assessment, reports of referees, quality of publications, contribution to educational innovation, design of new courses and curricula and extension activities.

(iv) Participated in two refresher courses/summer institutes of three to four weeks duration after placement in the Senior Scale, or engaged in other appropriate continuing education programmes of comparable quality as may be specified or approved by the University Grants Commission.

(v) Possesses consistently good Annual Academic Progress Report and Performance Appraisal Report as per appendix A & B respectively.

9. Constitution of selection committee—

Promotion as Reader will be through a process of selection by a Selection Committee to be constituted as under :

(A) In the case of University, Selection Committee shall be constituted under clause (a) of Sub-section (4) of section-31 of the U.P. State Universities Act, 1973.

10. \*Professor (Promotion)—

(1) That a minimum of 8 years experience as a Reader be an eligibility.

(2) That self-appraisal report for the period including five years before the date of eligibility be submitted.

(3) That minimum of five research publication out of which two could be the books be submitted for evaluation/assessment before the interviews.

(4) That the assessment of the research publication, including books, be done by three eminent experts in the subject which shall be different than those called for interview to be conducted later on.

(5) That all the recommendations be positive from the three experts. In case the recommendation of one out of the three is negative, the

the research publication be sent to the fourth expert for evaluation and assessment. In all, there has to be a minimum of three positive recommendations out of the total of four experts, in case the fourth expert has participated in the exercise due to one negative report out of the initially three experts involved in evaluation.

### EXPLANATION---

The requirement of participation in orientation/refresher courses/institute courses, each of at least 3 or 4 weeks duration, and consistently satisfactory Annual Progress Report and Performance Appraisal Report, shall be mandatory requirement for Career Advancement from Lecturer to Lecturer (Senior Scale) and From Lecturer (Senior Scale) to Lecturer (Selection Grade).

Whenever the requirement of Orientation/Refresher courses has remained incomplete, the promotion would not be held up but these requirements must be completed by 31.12.2001.

The requirement for completing these courses would be as follows;

(i) For lecturer to Lecturer (Senior Scale) one orientation course would be compulsory for University and College teachers. Those without Ph.D. would be required to do one refresher course in addition.

(ii) Two refresher courses for Lecturer (Senior Scale) to Lecturer (Selection Grade).

(iii) The senior teachers like Lecturers (Selection Grade) and Readers may opt to attend two seminars/conferences in their subject areas and present papers as one aspect of their promotion/selection to higher level or attend refresher courses to be offered by Academic Staff Colleges for this level.

\*11. If the number of years required in feeder cadre are less than those stipulated above, thus entailing hardship to those who have completed more than the total number of years in their entire service for eligibility in the cadre, may be placed in the next higher cadre if found suitable by the Selection committee after adjusting the total number of years. This is however, not applicable in the case of promotion from Reader to Professor under Career Advancement scheme.

This situation is likely to arise as, in the earlier scheme of January 1, 1989, the number of years required in a feeder cadre were much more than those envisaged under this order.

Counting of service will be done in the following manner---

Previous service, without any break as a Lecturer of equivalent, in a university, college, national laboratory, or other scientific organisations, e.g. CSIR, ICAR, DRDO, UGC, ICSSR, ICHR and as a UGC Research Scientist, should be counted for placement of lecturer in Senior Scale/Selection Grade provided that---

(I) The post was in an equivalent grade/scale of pay as the post of lecturer,

(II) The qualification for the post were not lower than the qualifications prescribed by the UGC for the post of Lecturer.

(III) The candidate who apply for direct recruitment should apply through proper channels;

(IV) The concerned Lecturers possessed the minimum qualifications prescribed by the UGC for appointment as Lecturer;



(V) The Post was filled in accordance with the prescribed selection procedure as laid down by the University/State Government/Central Government/Institution's regulations;

(VI) The appointment was not ad-hoc or in a leave vacancy of less than one year duration. Ad-hoc-service of more than one year duration;

(a) The ad-hoc service was of more than one year duration;

(b) The incumbent was appointed on the recommendation of duly constituted Selection Committee;

(c) The incumbent was selected to the permanent post in continuation to the ad-hoc service, without any break.

12. A teacher of the University who is eligible for career Advancement/Promotion shall submit his application in triplicate along with the Annual Academic Progress Report and the performance Appraisal Report containing information about his satisfactory work to the Registrar of University through the Head of the Department and in the case of teachers of Associated/Affiliated Colleges to the head of the Management/ Director Higher Education through the Principals of the College in the proforma given in appendix A & B annexed herewith.

#### EXPLANATION...

Satisfactory work shall mean the work done with reference to the work expected from a teacher of the University under the University statutes, ordinances or regulations.

13. (i) The Selection Committee constituted, under section 3: of U.P. State Universities Act for Career Advancement/Promotion shall consider all relevant material and record required under the Statutes to be placed before it.

(ii) In case of University the recommendations of Screening/Selection Committee shall be submitted to the Executive council for decision. If the Executive Council does not agree with the recommendation made by the Screening/Selection Committee, the Executive Council shall refer the matter to the Chancellor alongwith the reasons of such disagreement and the Chancellor's decision shall be final.

If the Executive Council does not take a decision on the recommendation of the Screening/Selection Committee within a period of four months from the date of meeting of such Committee, then also the matter shall stand referred to the Chancellor, and his decision shall be final.

(iii) In case of affiliated or associated colleges (other than College maintained exclusively by State Govt.) the recommendations of the Screening/Selection Committee shall be submitted to the Head of the Management of the College for decision of the Management.

If the Management does not agree with the recommendation made by the Screening/Selection Committee, the management shall refer the matter to the Director, Higher Education alongwith the reasons of such disagreement and the decision of the Director, Higher Education shall be final. If the Management does not take a decision on the recommendation of the Screening/Selection Committee within a period of four months then also the matter shall stand referred to the Director, Higher Education and his decision shall be final.

(iv) In the cases of Colleges maintained exclusively by the State Govt. the recommendations of the Screening/Selection Committee shall be submitted to the State Govt. for decision and its decision shall be final.

14. If an incumbent Lecturer/Lecturer in Senior Scale/Lecturer in Selection grade/Reader (Promotion) is found suitable and recommended accordingly for promotion to the next higher Senior Scale/Selection Grade/Reader grade/Professor grade by the duly constituted Screening/Selection Committee at the first instance, the next higher grade would be admissible to him from the date of eligibility or 27th of July 1998 whichever is later, but the designation (if any) shall be given to him from the date of taking over charge.

15. In case the incumbent Lecturer/Lecturer in Senior Scale/Lecturer in Selection Grade/Reader is not found suitable for Career Advancement Promotion in the first instance, he may offer himself again for such advancement/promotion after every one year, and he shall be considered by the Screening/Selection Committee alongwith other candidates who have since become eligible. If he is recommended for promotion in the second or subsequent attempts he will be given the grade as well as the designation (if any), from the date of taking over charge as Lecturer in Senior Scale/Lecturer in Selection Grade/Reader (Promotion)/Professor (Promotion), as the case may be.

16. The posts of Reader or Professor to which promotion is made, shall be deemed to be in addition to the cadre of Reader or Professor as the case may be upto the date of retirement of the incumbent, and thereafter the post will revert back to its original.

17. No selection of any teacher of the University under the then existing statutes through the duly constituted Selection Committee for making appointments/promotions to teaching post by direct recruitment or by personal promotion or by Career Advancement prior to the coming into force of the present statutes, having had the then requisite minimum qualification as was prescribed at that time shall be affected by the present statutes.

18. (i) Subject experts and the nominee (if any) for the Screening/Selection Committee be nominated for each Calendar year by the Vice-Chancellor/the Director Higher Education well in time to facilitate the Member Convenors to initiate the process of convening the meetings of the Committee, constituted under Career Advancement Scheme. The Screening/Selection Committee shall usually meet within six months and in all cases be definitely convened within a year of the date, a teacher is eligible for promotion.

(ii) Screening/Selection Committee shall meet at the head quarters of the University in the case of the teachers of the University and its Affiliated/Associated Colleges (other than Colleges maintained exclusively by the State Govt.) In the case of teachers of the colleges maintained exclusively by State Govt. the Committee shall meet in the office of the Director, Higher Education, U.P.

(iii) The majority of the total membership of the Screening/Selection Committee shall form the quorum of the Committee but the presence of the Chairman and at least one expert shall be necessary.

(iv) No recommendation made by the Screening/Selection Committee shall be considered to be valid unless one of the experts have agreed to the selection.

19. Members of the Selection Committee shall be given not less than 15 days notice of the meeting reckoned from the date of dispatch of such notice. The notice shall be served either personally or by registered post.

20. At least 15 days notice reckoned from the date of dispatch shall be given to the candidates prior to the meeting of the Selection Committee. The Notice shall be served either personally or by registered post.

**21. The work load of Lecturer placed in Selection Grade or Promoted as Reader or Professor under Career Advancement Scheme shall remain unchanged.**



## सम्बद्ध महाविद्यालय के अध्यापकों की अर्हताओं और नियुक्ति

११.१३ परिचय ११.१४ से ११.३२ तक किसी राज्य सरकार या संघ-क्षेत्र या स्थानीय निकाय या प्राधिकारी द्वारा अनन्य रूप से चयनित और प्रस्थित सम्बद्ध महाविद्यालय के अध्यापकों पर लागू न होंगे।

११.१४ सम्बद्ध महाविद्यालयों के अध्यापकों (जिनमें प्राचार्य भी सम्मिलित हैं) की अर्हताएँ ऐसी होंगी, जैसी अध्यापकों में निर्धारित की जायें।

११.१५ प्रबन्धन सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्य और अध्यापकों को सरकार द्वारा अनुमोदित पदों पर, पूर्णकालिक आधार पर और सम्बद्ध राज्य सरकार या संघ-क्षेत्र या स्थानीय निकाय या प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित वेतनमान में चयन-समिति की सिफारिशों पर एतदपरचात् उपस्थित रीति से नियुक्त कराया।

११.१६ (१) किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य की नियुक्ति के लिये चयन-समिति में निम्नलिखित होंगे :—

(क) प्रबन्धन का प्रधान या उसके द्वारा नाम-निर्दिष्ट प्रबन्धन का कोई सदस्य (जो महाविद्यालय का प्राचार्य या अध्यापक न हो), जो अध्यक्ष होगा;

(ख) सम्बद्ध सम्भाग का सम्भागीय उप-निदेशक।

(ग) किसी उपाधि या मानकोंतर महाविद्यालय का एक प्राचार्य, जिसे कम से कम १० वर्ष के अध्यापन का अनुभव हो, जो कुलपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायगा।

(घ) दो विशेषज्ञ, जिनमें कम से कम १५ वर्ष के अध्यापन का अनुभव हो, जिनमें से एक विश्वविद्यालय का अध्यापक या उस महाविद्यालय के जिसके लिए चयन किया जा रहा है, समीप स्थित सम्बद्ध महाविद्यालय में संस्कृत विभाग का प्रधान होगा और दूसरा किसी समान या उच्चतर वर्ग के किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का प्राचार्य या अध्यापक या सम्बद्ध विषय का कोई ऐसा सेवानिवृत्त अध्यापक या अन्य विद्वान् व्यक्ति होगा, जो उप-निदेशक के सम्भाग में निवास करता हो, जिनमें कुलपति द्वारा सम्बन्धित सम्भाग के उप-निदेशक-निदेशक द्वारा तैयार किए गये फैसल में नाम-निर्दिष्ट किया जायगा।

परन्तु आधुनिक विषयों के लिए, इस प्रकार तैयार किये गये फैसल में, कुलपति द्वारा किसी अन्य विश्वविद्यालय से सम्बद्ध ऐसे निकटतम महाविद्यालय से भी, जो सम्बन्धित उप-निदेशक के सम्भाग के आगत हो, विशेषज्ञ सम्मिलित किये जा सकते हैं :

परन्तु यह और कि उत्तर-प्रदेश के बाहर स्थित महाविद्यालयों के सम्बन्ध में कुलपति ऐसे महाविद्यालयों के, जो उस महाविद्यालय के निकट स्थित हों, जिसके लिए चयन किया जाना है, अध्यापकों और उस महाविद्यालय के, जिसके लिए चयन किया जाना है, निकट निवास करने वाले विद्वान् व्यक्तियों के अपने द्वारा तैयार किये गये फैसल में से विशेषज्ञ नाम-निर्दिष्ट कर सकते हैं।

(२) किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के अध्यापक (प्राचार्य से निम्न) की नियुक्ति के लिये चयन-समिति में निम्नलिखित होंगे :—

(क) प्रबन्धन का प्रधान या उसके द्वारा नाम-निर्दिष्ट प्रबन्धन का कोई सदस्य (जो महाविद्यालय का प्राचार्य या अध्यापक न हो) जो अध्यक्ष होगा;

(ख) महाविद्यालय का प्राचार्य;

(ग) सम्बद्ध जिले का जिला विद्यालय निरीक्षक;

(घ) दो विशेषज्ञ, जिनमें कम से कम १० वर्ष के अध्यापन का अनुभव हो, जो उस जिले में, जिसमें महाविद्यालय स्थित हो, विद्यमान जिले में समान या उच्चतर वर्ग के किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का अध्यापक या प्राचार्य या सम्बद्ध विषय का कोई ऐसा सेवानिवृत्त अध्यापक या विद्वान् व्यक्ति होगा, जो उप-निदेशक के सम्भाग में निवास करता हो, जिनमें कुलपति द्वारा सम्बन्धित सम्भाग के उप-निदेशक-निदेशक द्वारा तैयार किये गये फैसल में से नाम-निर्दिष्ट किया जायगा :

परन्तु आधुनिक विषयों के लिये इस प्रकार तैयार किये गये फैसल में, कुलपति द्वारा किसी अन्य विश्वविद्यालय से सम्बद्ध ऐसे निकटतम महाविद्यालय से भी, जो सम्बन्धित उप-निदेशक के सम्भाग के आगत हो, विशेषज्ञ सम्मिलित किये जा सकते हैं : परन्तु यह और कि उत्तर-प्रदेश के बाहर स्थित महाविद्यालयों के सम्बन्ध में कुलपति ऐसे महाविद्यालयों के, जो उस महाविद्यालय के निकट स्थित हों, जिसके लिये चयन किया जाना है, अध्यापकों और उस महाविद्यालय के निकट निवास करने वाले विद्वान् व्यक्तियों के अपने द्वारा तैयार किये गये फैसल में से विशेषज्ञ नाम-निर्दिष्ट कर सकते हैं।

११.१७ चयन-समिति या प्रबन्धन का कोई सदस्य, स्वस्थिति, चयन-समिति या प्रबन्धन के अधिवेशन से बाहर चला जायगा, यदि किसी ऐसे अधिवेशन में सदस्य के नालेदार को (जैसा कि धारा २० के स्पष्टीकरण में परिभाषित है) नियुक्ति के प्रश्न पर ऐसे अधिवेशन में विचार किया जा रहा हो या विचार किया जाना सम्भाव्य हो।

११.१८ चयन-समिति द्वारा की गई कोई सिफारिश तब तक विधिमान्य नहीं समझी जायगी, जब तक कि विशेषज्ञों में से एक विशेषज्ञ ऐसे चयन से सहमत न हो।

११.१९ परिचय ११.१८ के उपबन्धों के अधीन रहते हुये किसी चयन-समिति की कुल सदस्यता के बहुमत में ऐसी समिति की गणपूर्ति होगी।

११.२० चयन-समिति की सिफारिश और उससे सम्बन्धित प्रबन्धन का कार्यकारी गोपनीय होगा।

११.२१ किसी ऐसी रिक्ति में (जो किसी अध्यापक को दस मास से अधिक अवधि के लिये छुट्टी देने जाने के कारण हुई रिक्ति न हो) जिसके छः मास से अधिक बने रहने की सम्भावना हो, नियुक्ति के लिये कोई चयन (कम से कम दो ऐसे समाचार-पत्र में) जिसका सम्बद्ध राज्य या संघ-क्षेत्र में पर्याप्त परिचालन हो, विज्ञापन दिये बिना नहीं किया जायगा और विज्ञापन में उस समाचार-पत्र के, जिसमें विज्ञापन प्रकाशित किया जाय, निकलने के दिनाङ्क से कम-से-कम तीन सप्ताह का समय सम्मान्यतः अभ्यर्थियों को दिया जायगा।

११.२२ (१) यदि चयन-समिति नियुक्ति के लिये एक से अधिक अभ्यर्थियों की सिफारिश करे, तो वह स्वविकल्पानुसार उनके नाम अधिमान-क्रम में रख सकती है। जहाँ समिति नामों की अधिमान-क्रम में रखने का विनिरचय करे, वहाँ वह समझा जायगा कि उसने यह इंगित किया है कि प्रथम अभ्यर्थी के उपलब्ध न होने की दशा में द्वितीय अभ्यर्थी नियुक्त किया जा सकता है और द्वितीय अभ्यर्थी के भी उपलब्ध न होने की दशा में तृतीय अभ्यर्थी नियुक्त किया जा सकता है और यही क्रम आगे भी चलेगा।

(२) चयन-समिति यह सिफारिश कर सकती है कि कोई उपयुक्त अभ्यर्थी नियुक्ति के लिये उपलब्ध नहीं है। ऐसी दशा में पद का विज्ञापन पुनः किया जायगा।

११.२३ किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य या अध्यापक की नियुक्ति की दशा में, यदि प्रबन्धन चयन-समिति द्वारा की गई सिफारिश से सहमत न हो, तो प्रबन्धन ऐसी असहमति के कारणों सहित मामले को कुलपति को निर्दिष्ट करेगा और उसका विनिरचय अन्तिम होगा।

११.२४ किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्यों या अध्यापकों को समस्त नियुक्तियाँ प्रबन्धन द्वारा कुलपति के लिखित अनुमोदन के परचात् ही की जायेंगी। कुलपति नियुक्ति से सम्बन्धित आवेदन-पत्रों और अन्य पत्रादि भेज सकता है और यदि उसकी राय में इस प्रकार नियुक्त अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है, तो वह उस मामले पर पुनः विचार करने और रिपोर्ट देने के लिए उसे प्रबन्धन को वापस कर देगा। कुलपति और प्रबन्धन के बीच मतभेद न होने की स्थिति में वह मामले का कार्य-परिष्कार को निर्दिष्ट किया जायगा और उसका विनिरचय अन्तिम होगा।

११.२५ स्थायी रिक्तियों में नियुक्त प्राचार्य और अध्यापक एक वर्ष के लिए परीक्षा पर रखा जायगा, जिसे एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।

११.२६ जब किसी निम्नतर श्रेणी के सम्बद्ध महाविद्यालय की श्रेणी को बढ़ाया जाय और उसे उच्चतर श्रेणी में रखा जाय, तो ऐसा महाविद्यालय एक मास के भीतर कुलपति को वर्तमान प्राचार्य और अध्यापकों का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करेगा और कुलपति के लिए यह विधिमान्य होगा कि वह वर्तमान प्राचार्य और अध्यापकों को उस उच्चतर श्रेणी में, जिसमें महाविद्यालय रखा गया है, प्राचार्य और अध्यापक के रूप में अनुमोदन करे : परन्तु यदि वह प्राचार्य या अध्यापक ऐसी उच्चतर श्रेणी के महाविद्यालय के लिए प्राचार्य या अध्यापक के लिए परिचयनों या अध्यापकों में विहित अर्हताएँ या अन्य अपेक्षाएँ पूरी न करता हो, तो कुलपति प्रबन्धन से पद का विज्ञापन करने और नया चयन तथा नियुक्ति करने की अपेक्षा करेगा।

११.२७ सम्बद्ध महाविद्यालय के अध्यापकों और प्राचार्यों की नियुक्ति के लिए चयन-समिति का अधिवेशन प्रबन्धन के प्रधान के आदेश से बुलाया जायगा।

११.२८ चयन-समिति के सदस्यों को अधिवेशन की सूचना, जो पन्द्रह दिन से कम की नहीं होगी, दी जायगी और उसकी गणना सूचना भेजे जाने के दिनाङ्क से की जायगी। सूचना को तामोती या तो व्यक्तिगत रूप से या रजिस्ट्री डाक द्वारा दी जायगी।

११.२९ अभ्यर्थियों को चयन-समिति का अधिवेशन होने के पूर्व कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना दी जायगी और उसकी गणना सूचना भेजे जाने के दिनाङ्क से की जायगी। सूचना को तामोती या तो व्यक्तिगत रूप से या रजिस्ट्री डाक द्वारा दी जायगी।

११.३० सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों और अध्यापकों की नियुक्ति के लिए चयन-समिति के सदस्यों का यात्रा तथा भत्ता सम्बद्ध महाविद्यालय द्वारा वहन किया जायगा।

११.३१ मौखिक रूप से या परीक्षा पर नियुक्त किया गया सम्बद्ध महाविद्यालय का कोई प्राचार्य या अध्यापक अधिष्ठाता से निम्न किसी अन्य आधार पर, कुलपति के पूर्वानुमोदन के बिना सेवा से हटाया नहीं जायगा।

११.३२ किसी प्राचार्य या अध्यापक—

(क) ऐसी रिक्ति में जिसके छ: मास से अधिक बने रहने की सम्भावना न हो;

(ख) दस मास से अनधिक अवधि के लिए किसी प्राचार्य या अध्यापक को स्वीकृत छुट्टी के कारण होने वाली रिक्ति में, और

(ग) किसी अस्थायी पद के प्रति अस्थायी रिक्ति में;

स्थानपर या अस्थायी नियुक्ति के लिए कुलचौकी का अनुमोदन आवश्यक न होगा।

११.३३ (१) महाविद्यालय का प्रबन्धन, कुलपति द्वारा इस निमित्त नाम-निर्दिष्ट विद्याविद्यालय के सम्बन्धित विभागाध्यक्ष के परामर्श से, दस मास से अधिक अवधि के लिए किसी पदस्थ को स्वीकृत छुट्टी के कारण हुई रिक्ति में धन-समिति को अभिदेश किये बिना, किसी अध्यापक को स्थानपर रूप से नियुक्त कर सकता है, किन्तु किसी ऐसी रिक्ति या पद को जिसके छ: मास से अधिक बने रहने की सम्भावना हो, बिना ऐसे अभिदेश किये, नहीं भरेगा।

(२) जहाँ कोई अध्यापक किसी ऐसे अस्थायी पद पर, जिसके छ: मास से अधिक बने रहने की सम्भावना हो और तत्परन्तु ऐसा पद स्थायी पद के रूप में परिचालित कर दिया जाय, (धन-समिति को अभिदेश करने के परन्तु) नियुक्त किया जाय, वहाँ प्रबन्धन धन-समिति को पुनः अभिदेश किये बिना ऐसे अध्यापक को उस पद पर मौलिक रूप से नियुक्त कर सकता है।

## अध्याय-१२

### भाग-१

#### सम्बद्ध महाविद्यालयों का वर्गीकरण

१२.०१ विरचविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय निम्नलिखित चार श्रेणियों के होंगे :—

(१) स्नातकोत्तर उत्पत्ति महाविद्यालय—ऐसे सम्बद्ध महाविद्यालय, जो आचार्य पाठ्यक्रम की शिक्षा देने के लिए मान्यता प्राप्त हो और जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हों, विरचविद्यालय के स्नातकोत्तर महाविद्यालय होंगे—

(क) महाविद्यालय में कम से कम '६०'१ छात्र नियमित अध्ययन के लिए नामावलीगत हों;

(ख) विरचविद्यालय की शान्ती और आचार्य परीक्षा में कम से कम १५ छात्र सम्मिलित हों और उनमें से कम से कम ३५ प्रतिशत उक्त परीक्षा में सफल हों।

(२) उत्पत्ति महाविद्यालय—ऐसे सम्बद्ध महाविद्यालय, जो शान्ती पाठ्यक्रम की शिक्षा देने के लिए मान्यता प्राप्त हो और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हों, विरचविद्यालय के उत्पत्ति महाविद्यालय होंगे :—

(क) महाविद्यालय में कम से कम '५०'२ छात्र नियमित अध्ययन के लिए नामावलीगत हों;

(ख) विरचविद्यालय की प्रथमा से शान्ती तक की परीक्षा में कम से कम २० छात्र सम्मिलित हों और उनमें से कम-से-कम १० छात्र शान्ती परीक्षा में सम्मिलित हों और उनमें कम-से-कम ३५ प्रतिशत उक्त परीक्षाओं में सफल हों।

(३) उत्तर माध्यमिक विद्यालय—ऐसे सम्बद्ध महाविद्यालय, जो उत्तर माध्यम पाठ्यक्रम की शिक्षा देने के लिए मान्यता प्राप्त हो और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हों, विरचविद्यालय के उत्तर माध्यमिक विद्यालय होंगे—

(क) महाविद्यालय में कम से कम '४०'३ छात्र नियमित अध्ययन के लिए नामावलीगत हों;

(ख) विरचविद्यालय की प्रथमा से उत्तर माध्यम तक की परीक्षा में कम से कम २५ छात्र सम्मिलित हों और उनमें से कम से कम १० छात्र उत्तर माध्यम परीक्षा में सम्मिलित हों और उनमें से कम से कम ३५ प्रतिशत छात्र उक्त परीक्षाओं में सफल हों।

(४) पूर्व माध्यमिक विद्यालय—ऐसे सम्बद्ध महाविद्यालय, जो पूर्व माध्यम पाठ्यक्रम की शिक्षा देने के लिए मान्यता प्राप्त हो और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हों, विरचविद्यालय के पूर्व माध्यमिक विद्यालय होंगे—

(क) महाविद्यालय में कम से कम '३५'४ छात्र नियमित अध्ययन के लिए नामावलीगत हों;

(ख) विरचविद्यालय की प्रथमा से माध्यम परीक्षाओं में कम से कम १५ छात्र सम्मिलित हों और उनमें से कम से कम ५ छात्र पूर्व माध्यम परीक्षा में सम्मिलित हों, उनमें कम-से-कम ३५ प्रतिशत छात्र उक्त परीक्षा में सफल हों।

१२.०२ वर्तमान सम्बद्ध महाविद्यालय की परिधि १२.०१ के अनुसार बिना दो वर्षों में नामावलीगत छात्रों की संख्या, विरचविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित छात्रों की संख्या और उनके परीक्षाफल के आधार पर, बनावृत्ति, वर्गीकरण या पुनः वर्गीकरण किया जायगा।

१२.०३ यदि सम्बद्ध महाविद्यालय सम्बन्धित श्रेणी के लिए विहित शर्तें पूरी न करत हो या जिसने विहित शर्तें पूरी करना छोड़ दिया हो, तो ऐसे महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता निलम्बित की जा सकेगी।

परन्तु सम्बद्धता पुनर्जीवित की जा सकती है, जबकि सम्बन्धित महाविद्यालय सम्बद्धता के निलम्बन की तिथि से तीन वर्ष के भीतर अपने से सम्बन्धित श्रेणी के लिए विहित शर्तों को पूरा कर ले।

परन्तु यह और कि यदि महाविद्यालय सम्बद्धता के निलम्बन की तिथि से तीन वर्ष की अवधि में विहित शर्तों को पूरा करने में विफल रहता है, तो ऐसे महाविद्यालय को दी गई सम्बद्धता वापस ले ली जायगी।

### भाग-२

#### नवीन महाविद्यालयों को सम्बद्ध करना

१२.०४ किसी महाविद्यालय को सम्बद्धता के लिये प्रत्येक आवेदन-पर इस प्रकार दिया जायगा कि वह वर्ष के, जिससे सम्बद्धता माँगी गयी हो, पूर्ववर्ती ३१ दिसम्बर तक (१०० रुपये विलम्ब शुल्क के साथ ३१ जनवरी तक) कुलसचिव के पास पहुँच जाय।

१२.०५ (१) उत्तर माध्यम तक किसी महाविद्यालय को जिसमें ५०० रुपये की धनराशि का और अन्य मामलों में १००० रुपये की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जो विरचविद्यालय को देय हो;

(२) उप-शिक्षा निदेशक (संस्कृत) की सिफारिश, जो जिला विद्यालय निरीक्षक से जहाँ महाविद्यालय उत्तर-प्रदेश राज्य के भीतर स्थित हो, विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त करने के परन्तु की जायगी।

(३) सम्बद्ध सरकार की सिफारिश और सरकारी अधिकारी की विस्तृत रिपोर्ट, जहाँ महाविद्यालय उत्तर-प्रदेश के बाहर स्थित हो।

१२.०६ सम्बद्धता सहने वाला प्रत्येक महाविद्यालय निम्नलिखित श्रेणियों के सम्बन्ध में विरचविद्यालय का सम्बन्धन करेगा, अर्थात्—

(क) परिधि १२.०३ और १२.०४ के उपबन्धों का अनुपालन किया गया है।

(ख) पाँच किलोमीटर के अर्धवृत्त के भीतर (सामान्य क्षेत्रों में) और एक किलोमीटर के अर्धवृत्त के भीतर (नगर क्षेत्रों में) आवेदित विषय में मान्यता प्राप्त कोई अन्य सम्बद्ध संस्था नहीं है।

(ग) सम्बद्ध प्रबन्धन ने अपनी ऐसी उपयुक्त और पर्याप्त भवन की व्यवस्था की है या उसकी व्यवस्था करने के लिये उसके पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन हैं, जिसमें :

(एक) पर्याप्त पुस्तकालय, प्रयोगशाला, लेखन-सामग्री, सज्जा और प्रयोगशाला सुविधायें हों।

(दो) संस्था के नाम पर पर्याप्त भूमि हो।

(तीन) छात्रों के स्वास्थ्य और मनोरंजन के लिये सुविधाएँ हों।

(घ) निम्नलिखित दर के अनुसार आवेदित निधि और पूर्ण निधि है, जो सम्बद्ध जिला विद्यालय निरीक्षक के पास गिरवी रखा जायगा :—

#### संस्था की श्रेणी पूर्ण निधि आवेदित निधि

१. स्नातकोत्तर २५,००० रुपये या ३,००० रुपये नकद (नकद या सम्पत्ति)

२. स्नातक २०,००० रुपये या २,००० रुपये नकद (नकद या सम्पत्ति)

३. उत्तर माध्यम १५,००० रुपये या १,००० रुपये नकद (नकद या सम्पत्ति)

४. पूर्व माध्यम १०,००० रुपये या ८०० रुपये नकद (नकद या सम्पत्ति)

टिप्पणी : शर्त (घ) राज्य सरकार द्वारा अनन्य रूप से अनुसूचित महाविद्यालय के मामले में लागू नहीं होगी।

१२.०७ सरकार या किसी स्थानीय निकाय या प्राधिकारी द्वारा अनन्य रूप से प्रबन्धित महाविद्यालय से निम्न प्रत्येक महाविद्यालय के संविधान में यह व्यवस्था होगी कि—

(क) महाविद्यालय का प्राचार्य प्रबन्धन का पदेन सदस्य होगा,



(ख) प्रबन्धन के पन्ना प्रतिगत सदस्य अध्यापक हैं (जिसमें प्राचार्य भी सम्मिलित हैं);

(ग) (१) अध्यापक खण्ड (ख) में निर्दिष्ट प्राचार्य को छोड़कर ज्येष्ठताक्रम में, चक्रानुक्रम से, एक वर्ष की अवधि के लिए ऐसे सदस्य हैं;

(ग)-(२) प्रबन्धन का एक सदस्य महाविद्यालय के कृतीय वर्ग के शिक्षण कर्मचारियों में से होगा, जिसका चयन चक्रानुक्रम से ज्येष्ठताक्रम में एक वर्ष की अवधि के लिये किया जाएगा;

(घ) खण्ड (ग) के उपबन्धों के अधीन प्रबन्धन के कोई दो सदस्य या २० के स्वीकार्य के अन्तर्गत एक-दूसरे के नातेदार न होंगे;

(ङ) एक संविधान में कुलपति को पूर्व अनुष्ठान के बिना कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा;

(च) यदि कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो कि प्रबन्धन के सदस्य या पदाधिकारी के रूप में कोई व्यक्ति सम्यक् रूप से चुना गया है या नहीं अथवा उसका सदस्य या पदाधिकारी होने का हकदार है या नहीं या प्रबन्धन वैध रूप से चलाया है या नहीं, तो कुलपति का विनिश्चय अन्तिम होगा;

(छ) महाविद्यालय कुलपति द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह या विरुद्ध विद्यालय द्वारा नियुक्त निरीक्षक पैनल के समूह महाविद्यालय को आय और व्यय से सम्बन्धित सभी मूल दस्तावेजों को ऐसी सोलापट्टी/न्याय/बोर्ड मूल निष्पत्ति के लेखे सहित जो महाविद्यालय को बतला रही हो, रखने को तैयार है।

१२.०८ कोई महाविद्यालय जो किसी ऐसे पाठ्यक्रम में सम्बद्धता चाहता हो, जिसमें प्रयोगशाला-कार्य या व्यावसायिक प्रशिक्षण अपेक्षित हो, विरुद्ध विद्यालय का निम्नलिखित के सम्बन्ध में अपना समाधान करेगा :-

(क) प्रत्येक शाखा के लिए पृथक् प्रयोगशालाओं की व्यवस्था है और उनमें से प्रत्येक उपयुक्त रूप से सुसज्जित है; और

(ख) प्रयोगशाला कार्य करने के लिए पर्याप्त तथा उपयुक्त साधन और उपकरण की व्यवस्था है।

१२.०९ (१) किसी ऐसे पाठ्यक्रम में, जिसमें प्रयोगशाला-कार्य या व्यावसायिक प्रशिक्षण अपेक्षित हो, सम्बद्धता चाहने वाले महाविद्यालय की दृष्टि में यदि कुलपति का पूर्ववर्ती परिनिष्पत्ति में दिये गये विषयों के सम्बन्ध में समाधान हो जाय तो, आवेदन-पर कार्य-परिचर के समूह रखा जाएगा, जो महाविद्यालय का निरीक्षण करने और सभी सुसंगत विषयों के सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए निरीक्षक पैनल नियुक्त करेगा। निरीक्षक पैनल का व्यय सम्बद्धता चाहने वाली संस्था द्वारा वहन किया जाएगा।

(२) खण्ड (१) में उल्लिखित पाठ्यक्रम से निम्न किसी पाठ्यक्रम में सम्बद्धता चाहने वाले महाविद्यालय की दृष्टि में कुलपति महाविद्यालय का निरीक्षण करने और सभी सुसंगत विषयों के सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए या तो निरीक्षक पैनल नियुक्त कर सकता है या, यदि पूर्ववर्ती परिनिष्पत्ति में उल्लिखित विषयों के सम्बन्ध में उसका समाधान हो जाय तो, परिनिष्पत्ति १२.०५ की अपेक्षानुसार आवेदन-पर के साथ की रिपोर्ट को स्वीकार कर सकता है और आवेदन-पर को कार्य-परिचर के समूह रखेगा ;

परन्तु कार्य-परिचर के समूह सम्बद्धता के लिये आवेदन-पर रखे जाने के पूर्व विरुद्ध विद्यालय को महाविद्यालय का निरीक्षण या पुनः निरीक्षण की छूट होगी।

१२.१० साधारणतया सभी निरीक्षण सम्बद्धता के लिए आवेदन-पर को प्रतिनित के दिनाङ्क से चार मास के भीतर पूरा कर दिये जायेंगे। कार्य-परिचर द्वारा सम्बद्धता के लिए कोई आवेदन-पर तब तक स्वीकृत नहीं किया जाएगा, जब तक कि सम्बद्धता चाहने वाले महाविद्यालय की वित्तीय सुविधित और उपलब्ध संसाधनों के सम्बन्ध में उसका समाधान न हो जाय।

१२.११ (१) सम्बद्धता के लिये आवेदन-पर को कार्य-परिचर के समूह रखे जाने के पूर्व, उसका परीक्षा सम्बद्धता समिति द्वारा किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित होंगे :

(क) कुलपति अध्यापक

(ख) कार्य-परिचर का एक नाम निर्दिष्ट व्यक्ति/सदस्य

(ग) शिक्षा निदेशक, उभर-प्रदेश या उसके द्वारा नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति, जो संयुक्त शिक्षा निदेशक के पद से कम का न होगा।

(घ) निदेशक (उपस्थित शिक्षा), उभर-प्रदेश या उसका नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति, जो किसी राजकीय विद्यालय के प्राचार्य के पद से कम का न होगा।

(ङ) कुल-सचिव सदस्य-सचिव

(२) सम्बद्धता के आवेदन-पर पर विनिश्चय साधारणतया उस वर्ष के, जिसमें कक्षा प्रारम्भ करने का प्रस्ताव हो, १५ मई के पूर्व किया जाएगा।

१२.१२ जहाँ किसी महाविद्यालय को कतिपय शर्तों के अधीन रहते हुए सम्बद्धता हो जाय, वहाँ महाविद्यालय तब तक छात्रों को भर्ती का अधिकार नहीं करेगा, जब तक कि कुलपति ने सम्यक् रूप से निरीक्षण के परराज्य प्रमाण-पर जारी न कर दिया हो कि विरुद्ध विद्यालय द्वारा अपेक्षित शर्तें सम्यक् रूप से पूरी कर ली गयी हैं। यदि महाविद्यालय का स्वयं निरीक्षण करने में कुलपति के समूह व्यावहारिक कठिनाईयों हों, तो वह महाविद्यालय का निरीक्षण करने के लिए किसी अर्ध-व्यक्ति अथवा किसी अर्ध-व्यक्तियों को नाम-निर्दिष्ट कर सकता है।

### भाग-३

#### नई उपाधियों अथवा अतिरिक्त विषयों के लिए महाविद्यालयों को सम्बद्धता प्रदान करना

१२.१३ किसी सम्बद्ध महाविद्यालय द्वारा नई उपाधि के लिए अथवा नये विषयों में शिक्षण का पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए प्रत्येक आवेदन-पर इस प्रकार दिया जाएगा कि वह उस धरा की, जिसमें ऐसे पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने का प्रस्ताव हो, ३१ जुलाई के पूर्व कुलसचिव के पास पहुँच जाय ;

परन्तु किसी ऐसे पाठ्यक्रम में, जिसमें प्रयोगशाला-कार्य अपेक्षित हो, या शिक्षाशास्त्र में सम्बद्धता के लिए प्रत्येक आवेदन-पर परिनिष्पत्ति १२.०४ के अनुसार दिया जाएगा और परिनिष्पत्ति १२.०९ के उपबन्ध भी लागू होंगे।

१२.१४ प्रत्येक महाविद्यालय, जो किसी नई उपाधि के लिए या नये विषय में सम्बद्धता के लिए आवेदन-पर दे, अपने आवेदन-पर के साथ प्रत्येक विषय के लिए ५० रु पचा तथा अधिक से अधिक २५० रुपये (दो सौ पचास रुपये) की धनराशि भेजेगा, जो वापस नहीं की जायगी। परिनिष्पत्ति १२.०५ (२) और १२.०५ (३) के उपबन्ध भी लागू होंगे।

१२.१५ किसी नये विषय में सम्बद्धता के लिए किसी आवेदन-पर पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा, जब तक कि कुलसचिव लिखित रूप में यह प्रमाणपत्र न दे दे कि सम्बद्धता और/या पूर्व सम्बद्धता की शर्तों का पूर्ण रूप से पालन कर दिया गया है।

१२.१६ यदि कुलपति का ऐसी सम्बद्धता देने जाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में समाधान हो जाय और यदि महाविद्यालय ने पिछली सम्बद्धता की समस्त शर्तों को पूरा कर दिया हो बराबर पूरा कर रहा हो तो आवेदन-पर सम्बद्धता समिति की सिफारिश से कार्य-परिचर के समूह रखा जाएगा। परिनिष्पत्ति १२.०९ के उपबन्ध भी लागू होंगे।

१२.१७ साधारणतया सभी निरीक्षण १५ सितम्बर तक पूरे कर लिए जायेंगे, जिससे कि विरुद्ध विद्यालय को कार्य-परिचर निरीक्षण रिपोर्ट की संवीक्षा समय से कर सके।

१२.१८ नई उपाधियों अथवा अतिरिक्त विषयों की सम्बद्धता के लिए आवेदन-पर देने वाले सम्बद्ध महाविद्यालय पर परिनिष्पत्ति १२.१२ द्वारा अपेक्षित विनिश्चय लागू होंगे।

### भाग-४

#### सम्बद्धता का बना रहना

१२.१९ प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय, छात्रों के महाविद्यालय में प्रवेश लेने, निवास तथा अनुशासन के सम्बन्ध में विरुद्ध विद्यालय द्वारा निर्धारित विषयों का सख्ती से पालन करेगा।

१२.२० प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय अपने ऐसे भवनों, पुस्तकालयों तथा उपकरण और उपकरण सहित प्रयोगशालायें और अपने ऐसे अध्यापक तथा अन्य कर्मचारियों की सेवाओं को उपलब्ध करायेगा, जो विरुद्ध विद्यालय की परीक्षाओं के सहायन के प्रयोजनार्थ आवश्यक हों।

१२.२१ प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय के अध्यापक-वर्ग में ऐसी अर्हता के अध्यापक होंगे, जिन्हें ऐसी वेतन-श्रेणी दी जायगी और जो सेवा की ऐसी अन्य शर्तों द्वारा नियमित होंगे, जो समय-समय पर अध्यापकों में अल्पतम उचित जागी किये गये सम्बन्धित सरकार के आदेशों में निर्धारित की जायें।

१२.२२ यदि किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य का पद रिक्त हो जाय, तो महाविद्यालय का ज्येष्ठतम अध्यापक प्राचार्य के रूप में तब तक कार्य करेगा, जब तक सम्यक् रूप से चयन किया गया प्राचार्य पर प्रमाण न कर ले, परन्तु ऐसा अध्यापक ऐसी अवधि में वही वेतन आहरित करेगा, जिसे वह अध्यापक के पद पर जाने का हकदार है और उसे प्राचार्य के पद का वेतन नहीं मिलेगा।

१२.२३ प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय परिनिष्पत्ति या अध्यापकों में दो नई शर्तों का अनुपालन करेगा।

परन्तु इस परिनिष्पत्ति के प्रारम्भ होने के पूर्व सम्बद्ध किसी महाविद्यालय की दृष्टि में कुलपति ऐसे महाविद्यालय के प्रबन्धन से परिनिष्पत्ति १२.०५ और १२.०६ में दी गई शर्तों में से ऐसी शर्तों को पूरा करने और उनका अनुपालन करने की अपेक्षा कर सकता है, जिन्हें कुलपति दुर्लभ/समझे/परन्तु वह और कि यदि ऐसे महाविद्यालय का प्रबन्धन पूर्ववर्ती परन्तु के अधीन कुलपति द्वारा जारी की गई अपेक्षाओं की विनिर्दिष्ट समय के भीतर पूर्ण नहीं करता तो कुलपति परिनिष्पत्ति १२.३१ से १२.३५ के अनुसार सम्बद्धता वापस लेने के लिए कार्यवाही कर सकता है।

१२.२४ प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय प्रति वर्ष १५ अगस्त तक प्राचार्य से कुलसचिव को इस आशय का एक प्रमाण-पर प्रस्तुत करेगा कि सम्बद्धता के लिए निर्धारित शर्तें पूरी होती जा रही हैं।



१२.२५ प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय, सम्बद्ध महाविद्यालयों के लिये अर्पित रजिस्ट्रों को रखेगा और समय-समय पर कुलसचिव को ऐसे रजम में, वेंता कि विररविद्यालय द्वारा अर्पित की जाय, विवरण प्रस्तुत करेगा।

१२.२६ महाविद्यालय के अध्यापक-वर्ग के ऐसे सरगत पदों के सम्बन्ध में जो रिक्त हों, सूचना उनके रिक्त होने के दिवस से पन्द्रह दिन के भीतर कुलसचिव, सहायक निरीक्षक संस्कृत पाठशाला, विला विद्यालय निरीक्षक और सम्बद्ध सम्भागीय उप-निरीक्षक को दी जायगी।

१२.२७ किसी सम्बद्ध महाविद्यालय में किसी कक्षा अथवा अनुभाग (सेक्टर) में छात्रों की संख्या, अध्यापन-कक्ष में व्याख्यान के प्रयोजनार्थ ६० से अधिक न होगी और पुस्तकालय के पुस्तकालय के लिये कोई नया अनुभाग प्रारम्भ नहीं किया जायगा।

१२.२८ जब कभी किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के प्रबन्धन के सम्बन्ध में कोई विवाद हो तो उन व्यक्तियों के द्वारा, जिनके सम्बन्ध में 'सम्भागीय उप-निरीक्षक' के द्वारा यह पाया जाय कि महाविद्यालय की समिति वस्तुतः उनके कक्ष और नियन्त्रण में है, अधिनियम तथा इन परिचयनों के प्रयोजनार्थ ऐसे महाविद्यालय को, जब तक कि सक्षम अधिकारिता का न्यायालय कोई अन्यथा आदेश न दे, प्रबन्धन हटा दिया जाने का मान्यता दी जा सकती है।

परन्तु इस परिचयन के अधीन कोई आदेश देने के पूर्व, 'सम्भागीय उप-निरीक्षक' दायेंदारी को लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर देगा।

स्पष्टीकरण—इस बात का अवधारण करने के लिए कि महाविद्यालय की समिति वस्तुतः किसके कक्ष तथा नियन्त्रण में है 'सम्भागीय उप-निरीक्षक' संस्था की तिथियों और उसके वार्षिक प्रवृत्तियों पर, संस्था की समिति से होने वाली आज की तारीख पर नियन्त्रण, ऐसी अन्य सुसंगत परिस्थितियों को, जिनका अवधारणार्थ प्रश्न के लिये महत्त्व हो, ध्यान में रखेगा।

१२.२९ सम्बद्धता का क्या रहना इस बात पर निर्भर करेगा कि अधिनियम, परिचयनों, अध्यादेशों द्वारा निर्धारित शर्तों और विररविद्यालय द्वारा जारी किये गये आदेशों और निर्देशों का बराबर पालन किया जा रहा है।

#### भाग-५

##### सम्बद्ध महाविद्यालयों का निरीक्षण

१२.३० (१) जहाँ कार्य-परिषद्, अथवा कुलसचिव किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का निरीक्षण करायें, वहाँ वह महाविद्यालय को ऐसे निरीक्षण के परिणाम और उसके सम्बन्ध में अपने विचार सूचित कर सकता है और जो जाने वाली कार्यवाही के बारे में प्रबन्धन को निर्देश दे सकता है।

(२) जहाँ किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का प्रबन्धन कार्य-परिषद् के सन्तोषानुसार कार्यवाही न करे, वहाँ परिषद् प्रबन्धन द्वारा प्रस्तुत किये स्पष्टीकरण अथवा अभ्यावेदन पर विचार करने के परवाह ऐसे निर्देश जारी कर सकती है, जो वह उचित समझे और प्रबन्धन ऐसे निर्देशों का पालन करेगा। निर्देशों का पालन न करने पर कार्य-परिषद्, परिचयन १२.३३ के अधीन अथवा अनुसार कार्यवाही कर सकती है।

(३) यदि किसी कारणवश पूर्ववर्ती निरीक्षण के पाँच वर्ष के भीतर विररविद्यालय द्वारा किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का निरीक्षण करना सम्भव न हो तो निरीक्षक, संस्कृत पाठशाला, या सहायक निरीक्षक, संस्कृत पाठशाला या किसी सरकारी अधिकारी द्वारा किये गये निरीक्षण की रिपोर्ट को विररविद्यालय द्वारा किये गये निरीक्षण की रिपोर्ट माना जायगा।

#### भाग-६

##### सम्बद्धता कायम लेना

१२.३१ किसी सम्बद्ध महाविद्यालय को सम्बद्धता समाप्त समझी जायगी, यदि वह लगातार 'तीन वर्षों तक' विररविद्यालय द्वारा सहायित परीक्षा में कोई अन्वय नहीं भेजे।

१२.३२ कार्य-परिषद् किसी महाविद्यालय को किसी विहित कक्षा में छात्रों का प्रवेश न करने का निर्देश दे सकती है, यदि कार्य-परिषद् को यह पता हो कि सम्बद्ध महाविद्यालय द्वारा उस कक्षा को प्रारम्भ करने के लिए निर्धारित शर्तों की उल्लंघना की गई हो। किन्तु कार्य-परिषद् की पूर्वसूचना से उसके सन्तोषानुसार शर्तें पूरी कर लेने पर कक्षाये पुनः प्रारम्भ की जा सकती है।

१२.३३ यदि कोई महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तों को पूरा करने के सम्बन्ध में विररविद्यालय को अनेकानेक उल्लंघनाएँ करे और विररविद्यालय द्वारा नोटिस के जारी किये जाने के बावजूद भी शर्तों को पूरा न करे तो कार्य-परिषद् कुलसचिव की पूर्व सूचना से तब तक के लिए सम्बद्धता निलम्बित कर सकती है, जब तक कि कार्य-परिषद् के सन्तोषानुसार शर्तें पूरी न कर दी जायें।

१२.३४ (१) कार्य-परिषद् कुलसचिव की पूर्व सूचना से, किसी सम्बद्ध महाविद्यालय को या तो पूर्णतः अथवा किसी उपाधि या विषय में सम्बद्धता के विशेषाधिकारों से वंचित कर सकती है, यदि वह कार्य-परिषद् के निर्देशों का अनुपालन न करे या सम्बद्धता की शर्तों को पूरा न करे या धीरे-धीरे कुलसचिव के कारण या किसी अन्य कारण से कार्य-परिषद् की यह राय हो कि महाविद्यालय को ऐसी सम्बद्धता से वंचित किया जाना चाहिए।

(२) यदि अध्यापकवर्ग के वेतन का मुद्दा निर्धारित रूप से न किया जाय, अथवा अध्यापकों को उनका वह वेतन न दिया गया हो, जिसके लिए वे परिचयनों या अध्यादेशों अथवा सम्बद्ध सरकार के आदेशों के अधीन हकदार थे, तो सम्बद्ध महाविद्यालय को सम्बद्धता इस परिचयन के अर्थात्-निरत कायम ली जा सकती है।

१२.३५ कार्य-परिषद् पूर्ववर्ती परिचयनों के अधीन कोई कार्यवाही करने के पूर्व महाविद्यालय से विनिर्दिष्ट अर्थात् के भीतर सम्बद्धता की शर्तों में निर्दिष्ट किसी विषयों के सम्बन्ध में ऐसी कार्यवाही करने की अपेक्षा करेगी, जो उसे आवश्यक प्रतीत हो।

##### विल-सम्मरीक्षा तथा लेखा

१२.३६ (क) प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय के प्रबन्धन को सहायता के लिये एक विल-समिति होगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

- (१) प्रबन्धन का सहायक अध्यक्ष सचिव, जो अध्यक्ष होगा;
- (२) प्रबन्धन के सदस्यों द्वारा अपने-अपने में से निर्वाचित दो अन्य सदस्य;
- (३) प्राचार्य (पदेन);
- (४) प्रबन्धन का ज्येष्ठतम अध्यापक सदस्य (पदेन)।

(ख) महाविद्यालय का प्राचार्य विल-समिति का सचिव होगा और वह अधिवेशन कुलसचिव का हकदार होगा।

१२.३७ विल-समिति महाविद्यालय का वार्षिक बजट (छात्र-निधि को छोड़कर) तैयार करेगी, जिसे प्रबन्धन के समक्ष उसके विचार तथा अनुमोदन के लिये रखा जायगा।

१२.३८ ऐसा नया व्यय, जो महाविद्यालय के बजट में पहले से न हो सम्मिलित हो, विल-समिति को निर्दिष्ट किये बिना नहीं किया जायगा।

१२.३९ बजट में व्यवस्थित अर्थात् व्यय का नियन्त्रण किसी विनिर्दिष्ट निर्देशों के अधीन रहने हुए, जो विल-समिति द्वारा दिये जायें, प्राचार्य द्वारा किया जायगा।

१२.४० सभी छात्र-निधि प्राचार्य द्वारा विभिन्न समितियों को, जैसे कि खेलकूद-समिति, पत्रिका-समिति, अध्यापन-कक्ष-समिति और इसी प्रकार की अन्य समिति, जिसमें सम्बद्ध महाविद्यालयों के छात्रों के प्रतिनिधि भी होंगे, सहायता से प्रशासित होंगे।

१२.४१ छात्र-निधि के लेखों की सम्मरीक्षा प्रबन्धन द्वारा नियुक्त किसी अर्ध-सम्परीक्षक द्वारा, जो उसके सदस्यों में से न होगा, की जायगी। सम्मरीक्षा पंजीय महाविद्यालय की छात्र-निधियों पर विधि-संगत प्रचार होगी। सम्मरीक्षा रिपोर्ट प्रबन्धन के समक्ष रखी जायगी।

१२.४२ छात्र-निधि तथा छात्रावासों से पंजीय सम्बन्धी आय अन्य निधि में अन्तर्गत नहीं की जायगी और इन निधियों से कोई ऋण किसी भी प्रयोजन के लिए नहीं लिया

##### अध्याय-१३

##### अधिष्ठातृवृत्ति, छात्रवृत्ति, निर्धन-छात्रवृत्ति, पदक तथा पारितोषिक

१२.०१ विररविद्यालय अध्यादेशों में निर्धारित उपबन्धों के अनुसार अधिष्ठातृवृत्तियाँ (जिसमें वार्षिक अधिष्ठातृवृत्ति भी सम्मिलित है), छात्रवृत्तियाँ, निर्धन-छात्रवृत्तियाँ, पदक तथा पारितोषिक संविभ और प्रदान कर सकता है।

१२.०२ समस्त विन्यास और वसूली निम्नलिखित रूप में होंगे :—

(क) नकद रूप में कोई धनराशि या ऐसे न्याय प्रतिवृत्ति के रूप में, जिसकी वार्षिक आय ५०० रुपये से कम हो।

(ख) कोई स्थावर सम्पत्ति, जिसका वार्षिक लाभ ५०० रुपये से कम न हो।

१२.०३ सभी न्याय, पहले वह वसूली, इन के रूप में या सम्पत्ति-अन्तर्गत के रूप में हो, उन समस्त मामलों में जिनमें तत्समय प्रयुक्त किसी विधि के उपबन्धों के अधीन एजिडुकारण आवश्यक हो, लिखित रूप में और एजिडुकारण विशेष द्वारा किया जायगा।

१२.०४ कार्य-परिषद् इस निर्मित बन्धों गये अध्यादेशों के अनुसार अधिष्ठातृवृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, निर्धन-छात्रवृत्तियाँ, पदक और पुरस्कार संविभ और प्रदान करने की शर्तें अवधारित करेगी।

**उपाधियों और डिप्लोमा प्रदान करना और वापस लेना**

- १४.०१ इंफ़ॉर्मर ऑफ़ सेंटर्स (डी.सि.एड.) अथवा महाविद्यालयों के सम्बन्ध में उपाधि ऐसे व्यक्तियों को, जिन्होंने सहित्य, दर्शनशास्त्र, कला, संगीत, चित्रकारी अथवा वादयंत्र, साहित्य-संस्कृति, दर्शन, श्रमशास्त्र और आधुनिक ज्ञान-विज्ञान संघर्षों को जीते गये कितने अन्य विषयों की प्रगति में पर्याप्त रूप से योगदान किया हो, अथवा निम्नलिखित शिक्षा के लिए उत्कृष्टतम सेवा की हो, प्रदान की जायगी।
- १४.०२ कार्य-परिचर अतः अथवा विद्या-परिचर को विचारित पर, जो उसकी कुल सदस्यता के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा की जाय, सम्मानित उपाधि प्रदान करने का प्रस्ताव कुलसचिव को धारा १० (२) के अधीन सुविधि के लिए प्रस्तुत कर सकता है।  
परन्तु किसी ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में, जो विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या निकाय का सदस्य हो, ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जायगा।
- १४.०३ विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त या स्वीकृत कितनी उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र को वापस लेने के लिये धारा ६७ के अधीन कोई कार्यवाही करने के पूर्व, सम्बद्ध व्यक्ति को उसके विरुद्ध लगाये गये आरोपों को स्पष्ट करने के लिए अवसर दिया जायगा। कुलसचिव उसके विरुद्ध निर्मित आरोपों की सूचना रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजेगा और सम्बद्ध व्यक्ति से अपेक्षा की जायगी कि वह आरोपों की प्रतियाँ से कम से कम पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे।
- १४.०४ सम्मानित उपाधि को वापस लेने के प्रत्येक प्रस्ताव पर कुलसचिव को पूर्व-स्वीकृति अपेक्षित होगी।

**अध्याय- १५**

**दौक्षान्त-समारोह**

- १५.०१ (१) विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि, डिप्लोमा और विद्या सम्बन्धी अन्य विराहणव्यय प्रदान करने के लिए वर्ष में एक बार ऐसे दिनाङ्क को और ऐसे समय पर, जैसा कार्य-परिचर नियत करे, एक दौक्षान्त-समारोह आयोजित किया जा सकता है।  
(२) कुलसचिव के पूर्वसूचन से विश्वविद्यालय द्वारा विशेष दौक्षान्त-समारोह आयोजित किया जा सकता है।  
(३) दौक्षान्त-समारोह में धारा ३ की उपधारा (१) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति होंगे, जिनसे विश्वविद्यालय का निम्नलिखित निकाय गठित हो।
- १५.०२ सम्बद्ध महाविद्यालय में स्थानीय दौक्षान्त-समारोह प्रचार्य कुलसचिव के लिखित पूर्वसूचन से नियत करे, आयोजित किया जा सकता है।  
परन्तु स्थानीय दौक्षान्त-समारोह का, यदि कोई हो, दिनाङ्क सम्बद्ध वर्ष में विश्वविद्यालय के दौक्षान्त-समारोह के दिनाङ्क के पूर्व न होगा।
- १५.०३ दो या अधिक महाविद्यालयों द्वारा संयुक्त दौक्षान्त-समारोह परिचय १५.०२ में विहित शर्तों से आयोजित किया जा सकता है।
- १५.०४ इस अध्याय में निर्दिष्ट दौक्षान्त-समारोह में वापस की जाने वाली प्रतियाँ और इससे सम्बन्धित अन्य विषय ऐसे होंगे, जैसा अध्यादेशों में निर्धारित हो।
- १५.०५ जहाँ विश्वविद्यालय या किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के लिये परिचय १५.०१ से परिचय १५.०४ के अनुसार दौक्षान्त-समारोह आयोजित करना सुविधाजनक न हो, वहाँ उपाधि, डिप्लोमा और अन्य विद्या सम्बन्धी विराहणव्यय सम्बद्ध सम्बन्धियों को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजी जा सकती है।

**अध्याय- १६**

**भाग- १**

**विश्वविद्यालय के अध्यापकों की सेवा की शर्तें**

- १६.०१ परिचय १०.०२ (१) में निर्दिष्ट नियुक्ति या किसी अध्यापक को १० मास से अनधिक के लिए छुट्टी स्वीकृत किये जाने के कारण हुई रिक्ति में धारा ३१ (३) के अधीन नियुक्ति या धारा १३(६) के अधीन नियुक्ति को छोड़कर, विश्वविद्यालय के अध्यापक परिशिष्ट 'ख' में दिये गये क्रम में लिखित संविदा द्वारा नियुक्त किये जायेंगे।
- १६.०२ विश्वविद्यालय का अध्यापक सर्वप्रथम पूर्ण सन्वत्परिचर एवं कार्यपरिचर खेग और परिशिष्ट 'ग' में दी गयी आचरण-संहिता का पालन करेगा, जो नियुक्ति के समय अध्यापक द्वारा हस्ताक्षर किये जाने वाले करार का एक भाग होगा।
- १६.०३ परिशिष्ट 'ग' में दी गयी आचरण-संहिता के उपबन्धों में से किसी का उल्लंघन परिचय १६.०४ (१) के अधीनगत दुराचरण समझा जायगा।
- १६.०४ (१) निम्नलिखित कारणों में से किसी एक या अधिक कारण से विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक परद्यूत किया या हटाया जा सकता है या उसकी सेवाये समाप्त की जा सकती है :
- (क) कार्यभार को जान-बूझकर उपेक्षा;
  - (ख) दुराचरण;
  - (ग) सेवा-संविदा की किसी शर्त का उल्लंघन;
  - (घ) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के सम्बन्ध में बेईमानी;
  - (ङ) लोकप्रियतादयुक्त आचरण या नैतिक दृष्टि से अधम आचरण के लिये दोषसिद्धि;
  - (च) शारीरिक या मानसिक अनुपयुक्तता;
  - (छ) अक्षमता;
  - (ज) पद की समाप्ति।
- (२) धारा ३१ (२) में की गयी व्यवस्था के विषय संविदा समाप्त करने के लिए, किसी भी पक्ष द्वारा कम से कम तीन मास की नोटिस (या जब नोटिस अक्टूबर मास के पराकाष्ठ की जाय, तब तीन मास की नोटिस या सात सप्ताह होने पर नोटिस, जो भी अधिक हो) दी जायगी, या ऐसी नोटिस के बदले में, वचनस्थिति, तीन मास (या उपर्युक्त अधिक अवधि) का वेतन दिया या वापस किया जायगा।  
परन्तु जहाँ विश्वविद्यालय खण्ड (१) के अधीन विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक को परद्यूत करे अथवा हटायें या उसकी सेवाये समाप्त करे या यदि कोई अध्यापक संविदा को विश्वविद्यालय द्वारा उसकी शर्तों का उल्लंघन किये जाने के कारण समाप्त करे, वहाँ ऐसी नोटिस की आवश्यकता नहीं होगी।
- परिचर यह भी कि पक्षकार अपनी समझौते द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से नोटिस की शर्त का परित्याग करने के लिये स्वतन्त्र होंगे।
- १६.०५ धारा ३२ में निर्दिष्ट नियुक्ति की मूल संविदा नियुक्ति के दिनाङ्क के तीन मास के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिये कुलसचिव के यहाँ जमा की जायगी।
- १६.०६ (१) परिचय १६.०४ के खण्ड (१) में उल्लिखित किसी कारण से विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक को परद्यूत करने, हटाने या उसकी सेवाये समाप्त करने का कोई आदेश (सिवाय नैतिक दृष्टि से अधम आचरण के लिए सिद्ध दोष होने या पद समाप्त किये जाने की स्थिति में) तब तक नहीं दिया जायगा, जब तक कि अध्यापक को, उसके विरुद्ध आरोप लगाकर, उसकी सूचना जिस आधार पर कार्यवाही करने का प्रस्ताव है उसके विचारण सहित न दे दी जाय, और उसको :-
- (१) अपने प्रतिवाद के लिए लिखित बयान प्रस्तुत करने का,
  - (२) व्यक्तिगत सुनवाई का, यदि वह ऐसा चाहे, और
  - (३) अपने प्रतिवाद में ऐसे सक्षिप्तों को बुलाने और परीक्षण करने का जिन्हें वह चाहे, पर्याप्त अवसर न दे दिया जाय।
- परन्तु कार्य-परिचर या उसके द्वारा जीव करने के लिए अधिकृत अधिकारी पर्याप्त कारणों को उचितरूप से उल्लिखित करते हुए, किसी सक्षिप्त को बुलाने से इनकार कर सकता है।
- (२) कार्य-परिचर किसी समय, यदि अधिकारी की रिपोर्ट के दिनाङ्क से साधारणतया दो मास के भीतर सम्बद्ध अध्यापक को सेवा से परद्यूत करने या हटाने का उसकी सेवाये समाप्त करने का प्रस्ताव पारित कर सकता है, जिसमें परद्यूत करने, हटाने या सेवा समाप्त करने के कारण उल्लिखित किये जायेंगे।
- (३) प्रस्ताव की सूचना सम्बद्ध अध्यापक को तुरन्त दी जायगी।
- (४) कार्य-परिचर, अध्यापक को सेवा से परद्यूत करने, हटाने या उसकी सेवा समाप्त करने के बजाय एक या अधिक अपेक्षाकृत हल्का दण्ड देने का संकल्प पारित कर सकता है, अर्थात् अधिक से अधिक तीन वर्ष की विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अध्यापक का वेतन कम करना, किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए उसकी वेतन वृद्धि को रोकना और अध्यापक को उसके निलम्बन की अवधि के यदि कोई हो, वेतन से (किन्तु जीवन-निर्वाह भत्ते से नहीं) वञ्चित करना।
- १६.०७ (१) यदि किसी अध्यापक के विरुद्ध कोई जीव विचारार्थ हो या करने का विचार हो तो परिचय ८.०१ में निर्दिष्ट अनुशासनिक समिति उसको परिचय १६.०४ के खण्ड (१) के उपखण्ड (क) से (ड) तक में उल्लिखित आधार पर निलम्बित करने की सिफारिश कर सकती है। यदि इस आधार पर निलम्बन का आदेश दिया जाय कि अध्यापक के विरुद्ध जीव प्रमाण करने का विचार है, तो निलम्बन आदेश उसके प्रवर्तन के बाद सप्ताह बीत जाने पर समाप्त हो जायगा जब तक कि इस बीच अध्यापक को उस आरोप या उन आरोपों की संतुष्टि न दे दी जाय, जिनके बारे में जीव करने का विचार था।
- (२) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक को—
- (क) यदि किसी अपराध के लिये दोष-सिद्धि की स्थिति में, उसे ४८ घण्टों से अधिक का कारावास का दण्ड दिया जाय और उसे इस प्रकार दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप तुरन्त परद्यूत न किया जाय या सेवा से हटाया न जाय, तो उसकी दोषसिद्धि के दिनाङ्क से,



(ख) किसी अन्य स्थिति में, यदि वह अधिका में विरुद्ध किया जाए, चाहे विशेष किसी आपराधिक आरोप के कारण हो या अन्यथा, उसके विरोध को अवधि तक के लिये, निलम्बित समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस खण्ड के उपखण्ड (क) में निर्दिष्ट ४८ घण्टे की अवधि को गणना दोबलिटि के परवान् करणवात के प्रारम्भ होने से की जायगी और इस प्रयोजन के लिये कारावास को सशिम अवधि पर भी यदि कोई हो, विचार किया जायगा।

(२) वहाँ विरुद्धविद्यालय के किसी अध्यापक को पदच्युत करने या सेवा से हटाने का आदेश अधिनियम या परिनिममावली के अधीन किसी कार्यवाही के परिणामस्वरूप या अन्यथा अचाल कर दिया जाए या न्यून घण्टित कर दिया जाए या हो जाए, और विरुद्धविद्यालय का समुचित अधिकारी, प्राधिकाओं या निश्चय उसके विरुद्ध अचल जाँच करने का विनियमन करे, वहाँ यदि अध्यापक पदच्युत होने या हटाने से ठीक पूर्व निलम्बित था, तो वह समझा जायगा कि निलम्बन का आदेश पदच्युति या हटाने के दून आदेश के दिनाङ्क को और से प्रवृत्त है।

(४) विरुद्धविद्यालय का अध्यापक अपने निलम्बन की अवधि में (समय-समय पर क्यासंशोधित) उत्तर-प्रदेश सरकार के फाइनेन्शियल हेण्डबुक, खण्ड २ के भाग २ के अध्याप ८ के उपबन्धों के अनुसार, जो आवश्यक परिस्थितियों सहित लागू होंगे, निर्वाह-नता पाने का हकदार होगा।

१६.०८ परिनिमम १६.०६ के खण्ड (२) या परिनिमम १६.०७ के खण्ड (१) के प्रयोजनार्थ अधिकतम अवधि की गणना करने में, वह अवधि, जिसमें किसी म्यामालय का कोई स्थान आदेश प्रकान में हो, सम्मिलित नहीं की जायगी।

१६.०९ विरुद्धविद्यालय का कोई अध्यापक किसी कलेण्डर वर्ष में धारा ३४ (१) में निर्दिष्ट किसी परीक्षा के सम्बन्ध में सम्पादित किसी कार्य के लिये उस कलेण्डर वर्ष में अपने वेतन के कुल संग के छठे भाग या तदन हज़ार रुपये से, जो भी कम हो, अधिक कोई परिश्रमिक नहीं लेगा।

१६.१० इस परिनिममावली में किसी बात के होते हुए भी—

(१) विरुद्धविद्यालय का कोई अध्यापक जो संसद या राज्य विधानमण्डल का सदस्य हो, अपने सदस्यता की अवधि पूर्वतन विरुद्धविद्यालय में कोई प्रशासनिक या परिश्रमिकोप पद धरना नहीं करेगा;

(२) यदि विरुद्धविद्यालय का कोई अध्यापक संसद या राज्य विधानमण्डल के सदस्य के रूप में अपने निर्वाचन या नाम-निर्देशन के दिनाङ्क के पूर्व से विरुद्धविद्यालय में कोई प्रशासनिक या परिश्रमिकोप पद धरना किये हो, तो वह ऐसे निर्वाचन या नाम-निर्देशन के दिनाङ्क से या इस परिनिममावली के प्रारम्भ होने के दिनाङ्क से, जो भी परचद्वली हो, उस पद पर नहीं रह जायगा;

(३) विरुद्धविद्यालय के ऐसे अध्यापक से, जो संसद या राज्य विधानमण्डल के लिए निर्वाचित या नाम-निर्दिष्ट किया जाए, अपनी सदस्यता की अवधि में या परिनिमम १६.११ द्वारा नैस उपबन्धित है उसके निश्चय, किसी सदन या उसकी समिति के अधिवेशन में उपस्थित होने के लिये विरुद्धविद्यालय से त्याग-पत्र देने का अपेक्षा नहीं की जायगी।

स्पष्टीकरण—इस परिनिमम के प्रयोजनार्थ विरुद्धविद्यालय के किसी प्राधिकाओं या निश्चय की सदस्यता या किसी संकाय के संकायध्यापक का पद या किसी महाविद्यालय के प्राचार्य का पद कोई प्रशासनिक या परिश्रमिकोप पद नहीं समझा जायगा।

१६.१२ कार्य-परिषद् दिवसों की न्यूनतम संख्या निश्चय करेगी, जब कि ऐसा अध्यापक अपने वैशिक कार्य के लिये विरुद्धविद्यालय में उपलब्ध होगा।

परन्तु वहाँ विरुद्धविद्यालय का कोई अध्यापक संसद या राज्य विधानमण्डल के सार के कारण इस प्रकार उपलब्ध न हो, वहाँ उसे ऐसी छुट्टी पर समझा जायगा, जो उसे देय हो और यदि कोई छुट्टी देय न हो, तो उसे बिना वेतन के छुट्टी पर समझा जायगा।

#### भाग-२

#### विरुद्धविद्यालय के अध्यापकों के लिए छुट्टी सम्बन्धी नियम

१६.१३ छुट्टी निम्नलिखित प्रकार की होंगी :—

(क) आर्कासिक छुट्टी; (ख) विशेषाधिकार की छुट्टी; (ग) बीमारी की छुट्टी; (घ) कार्यव्यय (छट्टी) छुट्टी; (ङ) दीर्घकालीन छुट्टी; (च) असाधारण छुट्टी; (छ) प्रवृत्ति छुट्टी।

१६.१३ आर्कासिक छुट्टी पूर्ण वेतन पर दी जायगी, जो एक मास में सात दिन अथवा एक सत्र में बीस दिन से अधिक न होगी और यह संचित नहीं होगी। यह साधारणतया अवकाश के दिन के साथ मिलती नहीं जा सकेगी, किन्तु विशेष परिस्थितियों में कुलपति उन कारणों से, जो अधिलिखित किये जायेंगे, इस शर्त को अधिलिखित कर सकता है।

१६.१४ एक सत्र में दस कार्य-दिवस तक की विशेषाधिकार की छुट्टी पूर्ण वेतन पर होगी और वह ६० कार्य-दिवस तक संचित की जा सकती है।

१६.१५ बीमारी की छुट्टी, वेतन की चान्द दर और यदि छुट्टी के समय के लिये कोई प्रबन्ध किया जाए, तो उसके कुल व्यय के अन्तर पर, किन्तु कम के कम आधे वेतन पर, एक सत्र में एक मास के लिये दी जायगी और संचित नहीं होगी।

१६.१६ विरुद्धविद्यालय के ऐसे निश्चयों, तदर्थ स्थितियों तथा सम्मेलनों के, जिसमें कोई अध्यापक पदेन सदस्य हो, अथवा जिसमें वह विरुद्धविद्यालय द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया गया हो, किसी अधिवेशन में सम्मिलित होने तथा विरुद्धविद्यालय को परिश्रमों सञ्चालित करने के लिये १५ कार्य-दिवस तक की कार्यव्यय (छट्टी) छुट्टी पूर्ण वेतन पर दी जायगी।

१६.१७ किसी एक सत्र में एक मास के लिए दीर्घकालीन छुट्टी, जो आधे वेतन पर होगी, और जो सात मास तक संचित की जा सकती है, उन कारणों से, जैसे—लम्बी बीमारी, आवश्यक कार्य, अनुमोदित अध्ययन अथवा निवृत्ति-पूर्वक के लिये दी जा सकती है।

परन्तु, ऐसी छुट्टी लम्बी बीमारी को छोड़कर, केवल पाँच वर्ष की लगातार सेवा के परचत् दी जा सकती है।

परन्तु यह और कि लम्बी बीमारी की दरा में छुट्टी कार्य-परिषद् के विनियमानुसार छः मास से अधिक अवधि के लिए पूर्ण वेतन पर दी जा सकती है :

परन्तु यह भी कि ऐसे अध्यापकों को जिनका बचन विरुद्धविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 'अध्यापक अधिष्ठासृति' के लिये या आयोग द्वारा प्रयोजित किसी अन्य योजना के अधीन विदेश में प्रशिक्षण या अध्ययन के लिये किया गया हो, ऐसे विनियमों और शर्तों पर जिनके राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, ऐसी अधिष्ठासृति, प्रशिक्षण या अध्ययन की अवधि के लिए पूर्ण वेतन पर छुट्टी दी जा सकती है।

१६.१८ असाधारण छुट्टी बिना वेतन के होगी। यह प्रारम्भ में ऐसे कारणों से, जिन्हें कार्य-परिषद् उचित समझे, तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिये दी जा सकती है; किन्तु परिनिमम १६.१० में उल्लिखित परिस्थितियों को छोड़कर, वह विशेष परिस्थितियों में दो वर्ष से अधिक अवधि के लिए बढ़ायी जा सकती है।

स्पष्टीकरण—(१) कोई अध्यापक जो कोई स्थायी पद धृत करता हो या जो किसी निम्न पद पर स्थायी होने पर तीन वर्ष से अधिक अवधि से किसी उच्च पद पर स्थान-पत्र रूप से कार्य कर रहा हो, राज्य सरकार की सहमति के अधीन रहते हुये उच्च वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययन के लिये स्वीकृत की गयी असाधारण छुट्टी की अवधि को गणना समय-मान में अपने वेतन-वृद्धि में किये जाने का हकदार होगा।

स्पष्टीकरण—(२) राज्य सरकार की सहमति के अधीन रहते हुये कोई अध्यापक, जो अस्थायी पद धृत करता हो और जिसे ऐसी छुट्टी स्वीकृत की गयी हो, ऐसी छुट्टी से वापस आने पर फाइनेन्शियल हेण्डबुक खण्ड २ भाग २ से ४ फाइनेन्शियल नियम २७ के अनुसार अपना वेतन समय-मान में ऐसे क्रम पर निर्धारित करने का हकदार होगा, जो उसे उस समय मिलता यदि वह ऐसी छुट्टी पर न गया होता, परन्तु यह कि वह अध्ययन, जिसके लिये छुट्टी स्वीकृत की गयी थी, लोक-हित में रहा हो।

१६.१९ अध्यापिकाओं को ऐसी अवधि के लिये प्रवृत्ति छुट्टी, जो प्रवृत्ति के प्रारम्भ होने के दिनाङ्क से तीन मास तक अथवा इसकाव्यय के दिनाङ्क से छः सप्ताह तक, जो भी पहले हो, पूर्ण वेतन पर दी जा सकती है।

परन्तु ऐसी छुट्टी अध्यापिका की सम्पूर्ण सेवा-अवधि में तीन बार से अधिक नहीं दी जायगी।

१६.२० छुट्टी अधिकारस्वरूप नहीं की जा सकती है। परिस्थिति की आवश्यकता को देखते हुए स्वीकृति प्राधिकाओं किसी भी प्रकार की छुट्टी स्वीकृत करने से इनकार कर सकता है और पहले स्वीकृत की गयी छुट्टी को भी रद्द कर सकता है।

१६.२१ किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सक का चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर बीमारी की छुट्टी अथवा लम्बी बीमारी के कारण, दीर्घकालीन छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। यदि ऐसी छुट्टी १४ दिन से अधिक हो तो कुलपति किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत चिकित्सक का, जो उसके द्वारा अनुमोदित हो, दिगीय प्रमाण-पत्र कानों के लिए सक्षम होगा।

१६.२२ दीर्घकालीन छुट्टी तथा असाधारण छुट्टी को छोड़कर, जो कार्य-परिषद् द्वारा स्वीकृत की जायगी, छुट्टी स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकाओं कुलपति होगा।

**भाग- 3**  
**अधिष्ठाता की आयु**

१६.२३ इस भाग में, पर नये 'वेतनमान' का लागू समय-समय पर ब्यासरोहित शासनदेश संख्या-शिक्षा ११-१०४५/१५-१४ (७)-७२, दिनांक २८ दिसम्बर, १९७४ के अनुसार किसी अध्यापक की अनुपम्य वेतनमान से है।

१६.२४ (१) नये वेतनमान द्वारा नियमित विरक्षविद्यालय के किसी अध्यापक की अधिष्ठाता आयु बासट वर्ष होगी।

(२) विरक्षविद्यालय के किसी ऐसे अध्यापक की अधिष्ठाता आयु, जो नये वेतनमान द्वारा नियमित न हो, बासट वर्ष होगी।

विशेष—जो अध्यापक दिनांक ०१-०७-२००३ के परचाय अधिष्ठाता आयु पूर्ण कर समाप्त लाभ पर चल रहे हैं, उन्हें भी अधिष्ठाता आयु-वृद्धि सम्बन्धी लाभ प्रदान किया जाएगा।

(३) इस परिचयवाली के प्रारम्भ के दिनांक के परचाय किसी अध्यापक की सेवा में अधिष्ठाता की आयु के उपरान्त कोई वृद्धि नहीं की जायेगी।

परन्तु यदि किसी अध्यापक की अधिष्ठाता का दिनांक ३० जून न हो, तो वह शिक्षा-सत्र के अन्त तक अर्थात् अनुवर्ती ३० जून तक सेवा में बना रहेगा और अपनी अधिष्ठाता के दिनांक के ठीक अनुवर्ती दिनांक से आगामी ३० जून तक पुनर्निवेशित समझा जायेगा।

परन्तु यह और भी कि शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ ऐसे अध्यापकों को, जिन्हें १९४२ के स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लेने के कारण कारावास का दण्ड दिया गया हो और स्वतन्त्रता संग्राम सेवानी पेंशन मिल रही हो, उनको अधिष्ठाता के दिनांक से आगामी ३० जून के परचाय एक वर्ष की अवकाश अवधि के लिये पुनर्नियुक्त किया जायेगा और उनकी पुनः नियुक्ति की अवधि की समाप्ति के परचाय एक वर्ष की अवधि समाप्त न हुई हो, एक वर्ष की अवकाश अवधि के लिये पुनः नियुक्ति के लिये विचार किया जा सकता है।

१६.२५ विरक्षविद्यालय का ऐसा प्रत्येक अध्यापक जो १ अगस्त, १९७५ को परिचय १६.२४ में विनियमित अधिष्ठाता की आयु के उपरान्त बड़ाही गयी सेवा-अवधि में कार्य कर रहा था और इस प्रकार बड़ाई गई सेवा अवधि तक दिनांक के पूर्व स्वीकृत की गयी थी, उक्त दिनांक को प्रथम परिचयवाली और अध्यापकों के उपरान्त के अनु-सार बड़ाई गयी अवधि की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जायेगा; किन्तु ऐसा अध्यापक नये वेतनमान का लाभ उठाने का हकदार नहीं होगा।

१६.२६ विरक्षविद्यालय के किसी अध्यापक की अधिष्ठाता का दिनांक परिचय १६.२४ के उपरान्त के अधीन रहने हुए उस अध्यापक के बासटवें जन्म के दिनांक के ठीक पूर्व का दिनांक होगा।

**भाग- ४**

**अन्य उपबन्ध**

१६.२७ इस परिचयवाली के प्रारम्भ होने के पूर्व किसी अध्यापक और विरक्षविद्यालय के बीच की गयी कोई नियुक्ति सविदा इस अध्यापक में दिये गये परिचयों के उपरान्त के अधीन होगी और इस अध्यापक के उपरान्त के अनुवर्ती तथा परिशिष्ट 'ग' के साथ परिशिष्ट 'ख' में दिये गये पर की शर्तों के अनुसार परिष्कृत लागू होगी।

१६.२८ परिचय १६.०४ (१) के खण्ड (ख), खण्ड (ग), खण्ड (घ) या खण्ड (ङ) में उल्लिखित किसी कारण से सेवा से परच्युत किया गया विरक्षविद्यालय का कोई अध्यापक, किसी विरक्षविद्यालय या ऐसे किसी विरक्षविद्यालय से सम्बद्ध या सम्बन्धित किसी महाविद्यालय में किसी भी रूप में फिर से नियुक्ति नहीं किया जायेगा।

१६.२९ (१) विरक्षविद्यालय का प्रत्येक अध्यापक परिशिष्ट 'ब' के प्रार ३ में अपनी वार्षिक सैलिक प्रगति रिपोर्ट दो प्रति में तैयार करेगा। मूल रिपोर्ट कुलपति के पास रखी जायेगी और उसकी प्रति अध्यापक अपने पास रखेगा।

(२) मूल रिपोर्ट पर, उसे कुलपति को देने के पूर्व, विभागप्रमुख से निम्न अध्यापक की दशा में सम्बद्ध विभागप्रमुख द्वारा प्रीतिस्तोत्र किया जायेगा।

(३) किसी शिक्षा-सत्र के सम्बन्ध में रिपोर्ट उक्त सत्र के अनुवर्ती जुलाई के अन्त तक, या सत्र समाप्त होने के एक मास के भीतर, जो भी परचायवली हो दी जायेगी।

१६.३० विरक्षविद्यालय का प्रत्येक अध्यापक विरक्षविद्यालय द्वारा सञ्चालित परीक्षाओं के सम्बन्ध में विरक्षविद्यालय के अधिकारियों और अधिकारियों के निर्देशों का अनुपालन करने के लिये कथ्य होगा।

१६.३१ जहाँ अधिष्ठाता द्वारा इस परिचयवाली या अध्यापकों के उपरान्त के अधीन किसी अध्यापक पर कोई नोटिस लामील करना अपेक्षित हो और ऐसा अध्यापक मगर में न हो, वहाँ ऐसी नोटिस उसे उसके अन्तिम डाल वाले पर रजिस्ट्री डाक से भेजी जा सकती है।

**अध्याय- १७**

**भाग- १**

**सम्बद्ध महाविद्यालयों के अध्यापकों की सेवा-शर्तें**

१७.०१ इस अध्यापक के उपरान्त किसी राज्य सरकार या स्थानीय अधिकारी द्वारा अनन्य रूप से पेशित किसी महाविद्यालय के अध्यापकों पर लागू नहीं होगी :

१७.०२ किसी अध्यापक को दस मास से अधिक अवधि के लिये छुट्टी दिये जाने के कारण हुई किसी दिनि में नियुक्ति को छोड़कर सम्बद्ध महाविद्यालय के अध्यापक परिशिष्ट 'ब' में दिये गये ब्यवस्थिति, प्रार (१) या (२) में उल्लिखित सविदा पर नियुक्त किये जायेंगे।

१७.०३ (१) सम्बद्ध महाविद्यालय का अध्यापक सर्वदा सत्यनिष्ठा एवं कर्तव्यनिष्ठ रहेगा और परिशिष्ट 'ग' में दी गयी आचार- संहिता का पालन करेगा, जो नियुक्ति के समय अध्यापक द्वारा हस्ताक्षर किए जाने वाले करार का एक भाग होगा।

(२) परिशिष्ट 'ग' में दी गयी आचार-संहिता के किसी उपबन्ध का उल्लंघन परिचय १७.०४ (१) के अधीनगत दुराचरण समझा जायेगा।

१७.०४ (१) सम्बद्ध महाविद्यालय का कोई अध्यापक (शायर्य को छोड़कर) निम्नलिखित कारणों में से किसी एक या उससे अधिक कारण से परच्युत किया या हटाया जा सकता है या उसकी सेवाने समाप्त की जा सकती है :-

- (क) कर्तव्य की जान-बूझकर उल्लंघन;
- (ख) दुराचरण, जिसके अन्तर्गत शायर्य के आदेशों की अवज्ञा भी है;
- (ग) सविदा की किसी शर्त का उल्लंघन;
- (घ) विरक्षविद्यालय या महाविद्यालय की परीक्षाओं के सम्बन्ध में बेईमानी;
- (ङ) लोकायतदवृत्त आचरण अथवा नैतिक दृष्टि से अपन अपराध के लिये सिद्ध-दोष होना;
- (च) शारीरिक या मानसिक अनुपयुक्तता;
- (छ) अक्षमता;
- (ज) 'सरकार के पूर्वानुमोदन से पर का समाप्त किया जाना।

(२) किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का प्रचार्य खण्ड (१) में उल्लिखित कारणों से किसी एक या अधिक कारण से या महाविद्यालय के निरन्तर कुपबन्ध के कारण परच्युत किया या हटाया जा सकता है या उसकी सेवाने समाप्त की जा सकती है।

(३) सिविल खण्ड (४) में की गयी व्यवस्था के, सेवा-संहिता समाप्त करने के लिये किसी भी पक्ष द्वारा कम से कम तीन मास की नोटिस (या जब नोटिस अख्तर मास के परचाय दी जाय, तब तीन मास की नोटिस या सत्र समाप्त होने तक की नोटिस, जो भी अधिक हो) दी जायेगी, या ऐसी नोटिस के बदले में तीन मास (या उपर्युक्त दीर्घावधि) का वेतन ब्यवस्थिति, दिया या खपन किया जायेगा।

परन्तु प्रबन्धन खण्ड (१) या खण्ड (२) के अधीन किसी अध्यापक को परच्युत करे अथवा हटाने या उसकी सेवाने समाप्त करे या जब कोई अध्यापक प्रबन्धन द्वारा सविदा की शर्तों में से किसी का उल्लंघन किये जाने के कारण उसे समाप्त करे, तो ऐसी नोटिस की आवश्यकता नहीं होगी।

परन्तु यह भी कि पक्षकार आपसी समझौते द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से नोटिस की शर्तों को अधिष्ठाता करने के लिये स्वतन्त्र होंगे।

(४) आचारी या स्थानाध्यक्ष रूप में नियुक्त किसी अन्य अध्यापक की स्थिति में, उसकी सेवाने किसी भी पक्ष द्वारा एक मास की नोटिस या उसके बदले में वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी।

१७.०५ किसी प्रचार्य या अन्य अध्यापकों की नियुक्ति की मूल सविदा नियुक्ति के दिनांक के तीन मास के भीतर रजिष्ट्रीकरण के लिये विरक्षविद्यालय के पास जमा की जायेगी।

१७.०६ (१) परिचय १७.०४ के खण्ड (१) में उल्लिखित किसी कारण से किसी अध्यापक को परच्युत करने, हटाने या उसकी सेवाने समाप्त करने का कोई आदेश (सिद्ध नैतिक दृष्टि से अपन अपराध के लिये सिद्ध-दोष होने या पर के समाप्त किये जाने की दशा में) तब तक नहीं दिया जायेगा, जब तक कि अध्यापक के विरुद्ध आरोप लागू न दिया जाय और जिस आधार पर कार्यवाही करने का प्रस्ताव है, उसका विवरण उस अध्यापक को न दे दिया जाय और उसे—



(ग) अपने प्रतिवाद के लिए लिखित बयान प्रस्तुत करने का, (गग) व्यक्तिगत सुनवाई का, यदि वह ऐसा चाहे, और (गग) अपने प्रतिवाद में ऐसे साक्षियों को बुलाने और परीक्षा करने के लिए, जिन्हें वह चाहे, पर्याप्त अवसर न दे दिया जाय;

परन्तु प्रबन्धन या उसके द्वारा जाँच करने के लिए प्रतिकूल अधिकारी अधिलिखित किये जाने वाले पर्याप्त कारणों से किसी सक्षी को बुलाने से इनकार कर सकता है।

(२) प्रबन्धन किसी समय, साधारणतया जाँच अधिकारी को रिपोर्ट के दिनाङ्क से दो मास के भीतर, सम्बद्ध अध्यापक को सेवा से पदच्युत करने या हटाने या उसकी सेवायें समाप्त करने का संकल्प पालित कर सकता है, जिसमें पदच्युत करने, हटाने या सेवा समाप्त करने का कारण उल्लिखित होगा।

(३) संकल्प की सूचना सम्बद्ध अध्यापक को तुरन्त ही जायगी और अनुमोदन के लिए कुलपति को उसकी रिपोर्ट की जायगी और वह तब तक प्रवर्तनीय न होगा, जब तक कि कुलपति उसका अनुमोदन न कर दे।

(४) प्रबन्धन, अध्यापक को सेवा से पदच्युत करने, हटाने या उसकी सेवायें समाप्त करने के बजाय निम्नलिखित एक या अधिक अपेक्षाकृत हल्का दण्ड देने का संकल्प पालित कर सकता है, अर्थात्—

(१) विनिर्दिष्टावधि के लिए वेतन कम करना;

(२) तीन वर्ष से अधिक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए वार्षिक वेतन-वृद्धि रोकना; तथा

(३) उसको निलम्बन की अवधि में, यदि कोई हो, वेतन से, जिसके अनन्तत निबन्ध भला नहीं है, रोकित करना।

प्रबन्धन द्वारा ऐसा दण्ड देने के संकल्प की सूचना कुलपति को ही जायगी और वह तभी प्रवर्तनीय होगा जब और जिस सीमा तक कुलपति द्वारा अनुमोदित किया जाय। १७.०४ यदि किसी अध्यापक के विरुद्ध कोई जाँच विचारधेन हो या करने का विचार हो तो प्रबन्धन उसको परिनिषम १७.०४ के खण्ड (१) के उपखण्ड (क) से (ड) तक में उल्लिखित आधार पर निलम्बित करने के लिए शक्ति-सम्पन्न होगा। किसी अत्यन्त स्थिति में (श्रावण से भिन्न किसी अध्यापक की स्थिति में) इस शक्ति का प्रयोग प्रबन्धन के अनुमोदन की श्रावण में श्रावण द्वारा किया जायगा। श्रावण ऐसे मामले की सूचना प्रबन्धन को सौंप देगा। यदि इस आधार पर निलम्बन का आदेश दिया जाय कि अध्यापक के विरुद्ध जाँच प्रारम्भ करने का विचार है, तो निलम्बन आदेश जारी किये जाने के परचाय चार सप्ताह की समाप्ति पर बहू हो जायगा जब तक कि इस बीच अध्यापक को उस आरोप या आरोपों की सूचना न दे दी जाय, जिसके बारे में जाँच कराये जाने का विचार था।

१७.०८ परिनिषम १७.०६ के खण्ड (२) और परिनिषम १७.०७ के प्रत्येकन्यार् अधिकतम अवधि की गणना करने में ऐसे कोई अवधि, जिसमें किसी न्यायालय का स्वयन आदेश कायम हो, सम्मिलित नहीं की जायगी।

१७.०९ सम्बद्ध महाविद्यालय का कोई अध्यापक, किसी कलेक्टर वर्ष में धारा ३४ (१) में निर्दिष्ट किसी परीक्षा के सम्बन्ध में सम्पादित किसी कार्य के लिये उस कलेक्टर वर्ष में अपने वेतन के छठे भाग का तीन हजार रुपये से, जो भी कम हो, अधिक कोई पारिश्रमिक नहीं लेगा।

१७.१० इस परिनिषमवली में किसी बात के होते हुए भी—

(ग) किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का कोई अध्यापक, जो संसद या राज्य विधानमण्डल का सदस्य हो, अपनी सदस्यता की अवधि पर्यन्त महाविद्यालय या विरचविद्यालय में कोई प्रशासनिक या पारिश्रमिकीय पद परगन नहीं करेगा;

(गग) यदि सम्बद्ध महाविद्यालय का कोई अध्यापक संसद या राज्य विधानमण्डल के सदस्य के रूप में अपने निर्वाचन या नाम-निर्देशन के दिनाङ्क के पूर्व से महाविद्यालय या विरचविद्यालय में, कोई प्रशासनिक या पारिश्रमिकीय पद धारण किये हो, तो वह ऐसे निर्वाचन या नाम-निर्देशन के दिनाङ्क से या इस परिनिषमवली के आरम्भ होने के दिनाङ्क से, जो भी परचायद्वती हो, उस पद पर नहीं रह जायगा।

(गग) सम्बद्ध महाविद्यालय के ऐसे अध्यापक से, जो संसद या राज्य विधानमण्डल के लिए निर्वाचित या नाम-निर्दिष्ट किया जाय, अपनी सदस्यता की अवधि में या परिनिषम १७.११ द्वारा उपबन्धित के लिये, किसी सदन या उसकी समिति के अधिवेशन में उपस्थित होने के लिये, महाविद्यालय से त्याग-पत्र देने या छुट्टी लेने की अपेक्षा नहीं की जायगी।

स्पष्टीकरण—इस परिनिषम के प्रत्येकन्यार् विरचविद्यालय के किसी अधिकारी या निवास की सदस्यता या किसी संघस्य के संस्थापकत्व का पद या किसी महाविद्यालय के श्रावण का पद कोई प्रशासनिक या पारिश्रमिकीय पद नहीं समझा जायगा।

१७.११ किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का प्रबन्धन कुलपति के पूर्वानुमोदन से उनसे न्यूनतम दिन निष्का करेगा, जितने दिन ऐसा अध्यापक अपने शैक्षिक कार्यों के लिए महाविद्यालय में उपलब्ध होगा।

परन्तु जहाँ महाविद्यालय का कोई अध्यापक संसद या राज्य विधान-मण्डल के सत्र के कारण इस प्रकार उपलब्ध न हो, वहाँ उसे ऐसी छुट्टी पर समझा जायगा, जो उसे देय हो, और यदि कोई छुट्टी देय न हो, तो उसे किन्तु वेतन के छुट्टी पर समझा जायगा।

## भाग-२

### सम्बद्ध महाविद्यालयों के अध्यापकों के लिए छुट्टी सम्बन्धी नियम

१७.१२ विरचविद्यालय के अध्यापकों के लिए छुट्टी सम्बन्धी नियम से सम्बद्ध परिनिषम १६.१२ से १६.२२ के उपबन्ध सम्बद्ध महाविद्यालय के सम्बन्ध में इस प्रकार लागू होंगे, माने क्रमशः शब्द 'कार्य-परिचय' और 'कुलपति' के स्थान पर शब्द 'प्रबन्धन' और 'श्रावण या निर्देशक' रखे गये हों।

## भाग-३

### अतिरिक्ति की आयु

१७.१३ विरचविद्यालय के अध्यापकों की अतिरिक्ति की आयु से सम्बन्धित परिनिषम १६.२३ से १६.२६ के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों सहित किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के अध्यापकों पर लागू होंगे।

## भाग-४

### अन्य उपबन्ध

१७.१४ इस परिनिषमवली के आरम्भ होने के पूर्व सम्बद्ध महाविद्यालय के श्रावण या अन्य अध्यापक और प्रबन्धन के बीच की गयी कोई नियुक्ति सँविष्ट इस अध्यापक में दिये गये परिनिषमों के उपबन्धों के अधीन होंगे, और इस अध्यापक के उपबन्धों के अनुसार तथा परिशिष्ट 'ग' के साथ पठित परिशिष्ट 'घ' में दिये गये यथास्थिति प्रथम (१) या (२) की शर्तों के अनुसार प्रतिकूल समझी जायगी।

१७.१५ परिनिषम १७.०४ (१) के खण्ड (ख), खण्ड (ग), खण्ड (घ) या खण्ड (ङ) में उल्लिखित किसी कारण से सेवा से पदच्युत किया गया सम्बद्ध महाविद्यालय का कोई अध्यापक किसी विरचविद्यालय अथवा ऐसे विरचविद्यालय से सम्बद्ध या सहस्युक्त किसी महाविद्यालय में किसी भी रूप में फिर से नियुक्ति नहीं किया जायगा।

१७.१६ परिनिषम १६.०७ के खण्ड (२) से (४), परिनिषम १६.२९, १६.३० और १६.३१ के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों सहित, किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के प्रत्येक अध्यापक पर निम्नलिखित परिचय के साथ लागू होंगे, अर्थात्—

(क) परिनिषम १६.०७ के खण्ड (२) से (४) में, क्रमशः 'कुलपति' और 'कार्य-परिचय' के स्थान पर शब्द 'प्रबन्धन' और 'कुलपति' रख दिये जायेंगे।

(ख) परिनिषम १६.२९ में शब्द 'कुलपति' और 'विभागाध्यक्ष' के स्थान पर शब्द 'श्रावण' रख दिया जायगा।

## अध्याप-१८

### भाग-१

#### विरचविद्यालय के अध्यापकों की ज्येष्ठता

१८.०१ इस अध्यापक के परिनिषमों से इस परिनिषमवली के आरम्भ होने के पूर्व विरचविद्यालय में नियोजित अध्यापकों की परस्पर ज्येष्ठता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

१८.०२ कुलपतिव्यय का यह कार्य होगा कि वह आगे जाये हुए उपबन्धों के अनुसार विरचविद्यालय के प्रत्येक श्रेणी के अध्यापकों के सम्बन्ध में एक पूर्ण और अद्यावधि ज्येष्ठता सूची तैयार करे और रखे।

१८.०३ संशयों के संस्थापकत्व में ज्येष्ठता का अवधारण उनके द्वारा संघस्य के संस्थापकत्व के रूप में की गयी सेवा की कुल अवधि से किया जायगा;

परन्तु जब दो या इससे अधिक संस्थापकत्व उक्त पद पर समान समकालीन तक रहे हों, तो आयु में ज्येष्ठ संस्थापकत्व इस अध्यापक के प्रत्येकन्यार् ज्येष्ठ समझा जायगा।

१८.०४ विभागाध्यक्षों में ज्येष्ठता का अवधारण उनके द्वारा विभागाध्यक्ष के रूप में की गयी सेवा की कुल अवधि से किया जायगा;

परन्तु जब दो या इससे अधिक विभागाध्यक्ष उक्त पद पर समान समकालीन तक रहे हों, तो आयु में ज्येष्ठ विभागाध्यक्ष इस अध्यापक के प्रत्येकन्यार् ज्येष्ठ समझा जायगा।

१८.०५ विरचविद्यालय के अध्यापकों की ज्येष्ठता अवधारित करने में निम्नलिखित नियमों का पालन किया जायगा।

(क) किसी आचार्य को प्रत्येक उपचार्य से ज्येष्ठ समझा जायगा, और किसी उपचार्य को प्रत्येक अध्यापक से ज्येष्ठ समझा जायगा।

(ख) 'एक ही संवर्ग में वैधानिक पदोन्नति या सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त अध्यापकों की पारस्परिक ज्येष्ठता ऐसे संवर्ग में सेवा की अवधि के अनुसार अवधारित की जायगी,

परन्तु जहाँ संघों वहाँ द्वारा एक से अधिक नियुक्तियों एक ही समय में की गयी हों और कार्य-परिचर, चयन-समिति या कार्य-परिचर द्वारा अधिकांशता का योग्यता का क्रम निर्णय किया गया हो, वहाँ इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक ज्येष्ठता इस प्रकार निर्णयित होगी:

परन्तु यह और कि जहाँ एक से अधिक नियुक्तियों एक ही बार में परदेर्षित द्वारा की गयी हों, वहाँ इस प्रकार नियुक्त अध्यापकों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही होगी, जो परदेर्षित के समय उनके द्वारा दत्त पद पर थी।

(ग) जब (सम्पूर्णतः संयुक्त विश्वविद्यालय, वागमयी से निम्न) किसी विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय या किसी संस्थान में 'चाहे वह उत्तर-प्रदेश राज्य में या उत्तर-प्रदेश के बाहर स्थित हो' २ मौलिक पद धारण करने वाला कोई अध्यापक विश्वविद्यालय में तत्कालीन पॉलि की श्रेणी के पद पर 'चाहे पहली अप्रैल १९८१ के पूर्व या उसके परवात्' नियुक्त किया जाय, उन अध्यापक द्वारा ऐसे विश्वविद्यालय में उस श्रेणी पॉलि में की गयी सेवा-अवधि को उनके सेवा-काल में सम्मिलित किया जायगा।

(घ) जब किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या सहपुस्तक किसी महाविद्यालय में मौलिक पद धारण करने वाला कोई अध्यापक 'चाहे इस परिनिष्ठावर्ती के सम्बन्ध में ३१ (३) के अर्थ में 'या उसके परवात्' विश्वविद्यालय में अध्यापक नियुक्त किया जाय, तब उस अध्यापक को ऐसे महाविद्यालय में मौलिक रूप में की गयी सेवा-अवधि को आधी अवधि को उसकी सेवा-अवधि में सम्मिलित किया जायगा।

(ङ) किसी विश्वविद्यालय या संस्थान में प्रशासकीय नियुक्ति के इति की गयी सेवा की गणना ज्येष्ठता के प्रयोजनार्थ नहीं की जायगी।

स्पष्टीकरण—इस अध्याय में, पद 'प्रशासकीय' नियुक्ति का तात्पर्य धारा १३ की उपधारा (६) के अर्थ में की गयी नियुक्तिसे है।

(च) ऐसे अत्याधीन पद पर अनवरत सेवा की, जिस पर कोई अध्यापक चयन-समिति को निर्देश किये जाने के परवात् नियुक्त किया जाय, और यदि उसके परवात् धारा ३१ (३) (ख) के अधीन उस पद पर मौलिक रूप में नियुक्त किया जाय, गणना ज्येष्ठता के लिये की जायगी।

१८.०६ जहाँ एक ही संघों के एक से अधिक अध्यापक समान अवधि की अनवरत सेवा की गणना किये जाने के हकदार हों, वहाँ ऐसे अध्यापकों की सापेक्ष ज्येष्ठता निम्नलिखित प्रकार से अवधारित की जायगी—

- (१) आचार्यों की स्थिति में, उपाचार्य के रूप में की गयी मौलिक सेवा की अवधि पर विचार किया जायगा।
- (२) उपाचार्यों की स्थिति में, अध्यापक के रूप में की गयी मौलिक सेवा की अवधि पर विचार किया जायगा।
- (३) उन आचार्यों की स्थिति में, जिनको उपाचार्य के रूप में की गयी सेवा की अवधि उत्तरी ही हो, तो अध्यापक के रूप में उनकी सेवा की अवधि पर विचार किया जायगा।

१८.०७ जहाँ एक से अधिक अध्यापक समान अवधि की सेवा की गणना किये जाने के हकदार हों और उनकी सापेक्ष ज्येष्ठता किसी पूर्ववर्ती उपबन्धों के अनुसार अवधारित नहीं की जा सकती है, वहाँ ऐसे अध्यापकों की ज्येष्ठता प्रयोज्यता के आधार पर अवधारित की जायगी।

१८.०८ (१) किसी अन्य परिनिष्ठा में किसी बात के होने हुए भी, यदि कार्य-परिचर—

(क) चयन-समिति की सिफारिश से सहमत हो, और एक ही विभाग में अध्यापकों के रूप में नियुक्ति के लिये दो या अधिक व्यक्तियों के नाम को अनुमोदित करे, तो वह ऐसा अनुमोदन अनिश्चित करने समय ऐसे अध्यापकों का योग्यता-क्रम अवधारित करेगी।

(ख) चयन-समिति की सिफारिशों से सहमत न हो, और धारा ३१ (८) (क) के अधीन मामला कुलापिपति को निर्दिष्ट करे, तो कुलापिपति उन मामलों में, जहाँ एक ही विभाग में दो या अधिक अध्यापकों की नियुक्ति अनर्हता हो, ऐसे निर्देश का अवधारण करते समय ऐसे अध्यापकों का योग्यता-क्रम अवधारित करेगी।

(२) ऐसे योग्यता-क्रम की, जिसमें खण्ड (१) के अधीन दो या अधिक अध्यापक रखे जाय, सूचना सम्बद्ध अध्यापकों को उनकी नियुक्ति के पूर्व दी जायगी।

१८.०९ (१) कुलापिपति समय-समय पर एक या अधिक ज्येष्ठता समिति गठित करेगी, जिसमें/जिनमें अध्यक्ष के रूप में कुलापिपति और कुलापिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जाने वाले दो संकायाध्यक्ष होंगे।

परन्तु उस संकाय का, जिससे अध्यापकों का (जिनकी ज्येष्ठता विवादग्रस्त हो) सम्बन्ध हो, संकायाध्यक्ष सापेक्ष ज्येष्ठता समिति का सदस्य नहीं होगा।

(२) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक की ज्येष्ठता के बारे में प्रत्येक विवाद ज्येष्ठता समिति को निर्दिष्ट किया जायगा, जो विनिश्चय के कारण उल्लिखित करते हुए, उसे लिखित करेगी।

(३) ज्येष्ठता समिति के विनिश्चय से व्यक्ति कोई अध्यापक ऐसा विनिश्चय संसुचित किये जाने के दिनाङ्क से सात दिन के भीतर कार्य-परिचर को अपील कर सकता है। यदि कार्य-परिचर समिति से सहमत न हो तो वह ऐसी असहमति के कारण बतायेगा।

## भाग-२

### सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों और अध्यापकों की ज्येष्ठता

१८.१० सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों और अन्य अध्यापकों की ज्येष्ठता अवधारित करने में निम्नलिखित नियमों का पालन किया जायगा :—

- (क) प्राचार्य महाविद्यालय के अन्य अध्यापकों से ज्येष्ठ समझा जायगा।
- (ख) उत्कल श्रेणी के किसी सम्बद्ध महाविद्यालय या प्राचार्य निम्नतर श्रेणी के किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य से ज्येष्ठ समझा जायगा।
- (ग) उत्कल श्रेणी के किसी संघों का कोई अध्यापक निम्नतर श्रेणी के किसी महाविद्यालय के ऐसे संघों के अध्यापक से ज्येष्ठ समझा जायगा।
- (घ) सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों और अध्यापकों की ज्येष्ठता उसी श्रेणी के सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों और अध्यापकों में अवधारित की जायगी।
- (ङ) सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्यों और अध्यापकों की ज्येष्ठता मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने के दिनाङ्क से अनवरत सेवा-काल के अनुसार अवधारित की जायगी।
- (च) प्रत्येक हीनपद में (उदाहरणार्थ प्राचार्य या अध्यापक के रूप में) की गई सेवा की गणना मौलिक नियुक्ति के अनुसार कार्य-परिचर प्रणय करने के दिनाङ्क से की जायगी।
- (छ) विश्वविद्यालय से सम्बद्ध उसी श्रेणी के किसी अन्य महाविद्यालय में मौलिक रूप से की गई सेवा को उनके सेवाकाल में सम्मिलित किया जायगा; परन्तु ऐसे अन्य महाविद्यालय की सेवा उसी संघों और उसी श्रेणी की हो।
- (ज) एक ही श्रेणी के महाविद्यालयों के अध्यापकों में उत्कल संघों या श्रेणी का अध्यापक निम्नतर संघों या श्रेणी के अध्यापक से ज्येष्ठ समझा जायगा।
- (झ) अन्यतर सेवा के लिए ती गई छुट्टी की अवधि की गणना ज्येष्ठता के लिए नहीं की जायगी।

१८.११ जहाँ एक से अधिक अध्यापक समान अवधि की अनवरत सेवा की गणना किये जाने के हकदार हों, वहाँ ऐसे अध्यापकों की सापेक्ष ज्येष्ठता निम्नलिखित प्रकार से अवधारित की जायगी :—

- (१) प्राचार्यों की स्थिति में निम्नतर श्रेणी के किसी महाविद्यालय में प्राचार्य के रूप में की गई मौलिक सेवा की अवधि पर विचार किया जायगा।
- (२) अध्यापकों की स्थिति में, निम्नतर श्रेणी के किसी महाविद्यालय में उसी संघों में की गई मौलिक सेवा की अवधि पर विचार किया जायगा।
- (३) यदि दो या अधिक प्राचार्य अथवा अध्यापक समान अवधि की मौलिक सेवा की गणना किये जाने के हकदार हों, और उनकी सापेक्ष-ज्येष्ठता पूर्ववर्ती किसी उपबन्धों के अधीन अवधारित न की जा सके तो ऐसे ज्येष्ठता आगु की ज्येष्ठता के अनुसार अवधारित की जायगी।

१८.१२ जहाँ विश्वविद्यालय के प्राचार्यों में प्राचार्य या अध्यापक के रूप में प्रतिनिधित्व करने या नियुक्ति के प्रयोजनार्थ किसी व्यक्ति की ज्येष्ठता अवधारित की जानी हो, वहाँ केवल प्राचार्य या ऐसे अध्यापक के रूप में की गई सेवा की गणना की जायगी और जहाँ दो या अधिक प्राचार्य या अध्यापक इस प्रयोजन के लिए समान अवधि की मौलिक सेवा की गणना किये जाने के हकदार हों, वहाँ उनकी सापेक्ष-ज्येष्ठता आगु की ज्येष्ठता के अनुसार अवधारित की जायगी।

१८.१३ (१) जब दो या अधिक व्यक्ति एक ही विभाग में या एक ही विभाग के लिए अध्यापक नियुक्त किये जाय, तब उनकी सापेक्ष-ज्येष्ठता उस अधिकांशता या योग्यता-क्रम में, जिसमें चयन-समिति द्वारा उनके नाम की सिफारिश की गई थी, अवधारित की जायगी।

(२) यदि अधिक अध्यापकों की ज्येष्ठता खण्ड (१) के अधीन अवधारित की गई हो तो उसकी सूचना प्रबन्धन द्वारा अध्यापकों को उनकी नियुक्ति के पूर्व दी जायगी।

१८.१४ एक ही महाविद्यालय के अध्यापकों (प्राचार्य से निम्न) की ज्येष्ठता के सम्बन्ध में समस्त विवाद महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा विनिश्चय किये जायेंगे, जो विनिश्चय के कारण उल्लिखित करेगा। प्राचार्य के विनिश्चय से व्यक्ति कोई अध्यापक ऐसा विनिश्चय संसुचित किये जाने के दिनाङ्क से सात दिन के भीतर कुलापिपति को अपील कर सकता है। यदि कुलापिपति, प्राचार्य से सहमत न हो तो वह ऐसी असहमति के कारण उल्लिखित करेगी।

१८.१५ सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों की ज्येष्ठता के सम्बन्ध में समस्त विवाद कुलापिपति द्वारा विनिश्चय किये जायेंगे, जो विनिश्चय के कारण उल्लिखित करेगा। कुलापिपति के विनिश्चय से व्यक्ति कोई प्राचार्य ऐसा विनिश्चय संसुचित किये जाने के दिनाङ्क से सात दिन के भीतर कार्य-परिचर को अपील कर सकता है। यदि कार्य-परिचर कुलापिपति से सहमत न हो तो वह ऐसी असहमति के कारण उल्लिखित करेगी।

१८.१६ (१) परिनिष्ठा १८.०८ के उपबन्ध, अध्यापक परिचरों में सहित, सम्बद्ध महाविद्यालयों के अध्यापकों पर लागू होंगे, सिवाय इसके कि क्रमशः 'कार्य-परिचर' और 'कुलापिपति' के स्थान पर शब्द 'प्रबन्धन' और 'कुलापिपति' रख दिये जायेंगे।

(२) एक ही महाविद्यालय के अध्यापकों को तर्पण-ज्येष्ठता सूची इस अध्यापक परिनिष्पत्तियों के उपबन्धों के अनुसार महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा तैयार की जावनी और रखी जावनी।

(३) एक ही महाविद्यालय के अध्यापकों में उच्चतर संवर्ग या श्रेणी का अध्यापक निम्नतर संवर्ग या श्रेणी के अध्यापक से ज्येष्ठ समझा जावगा।

(४) इस अध्यापक में दिये गये परिनिष्पत्तियों से इस परिनिष्पत्तियों के प्रारम्भ होने के पूर्व महाविद्यालय में नियोजित एक ही महाविद्यालय के अध्यापकों को परस्पर ज्येष्ठता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

#### अध्यापक - ११

##### छात्रावास

११.०१ विररविद्यालय अपने छात्रों के निवास के लिए छात्रावास या छात्रावासों का अनुसंधान करेगा।

११.०२ कार्य-परिचर, पूर्ववर्ती परिनिष्पत्तियों में निर्दिष्ट छात्रावास या छात्रावासों का नियन्त्रण और प्रबन्ध करेगा। छात्रावास का आन्तरिक प्रशासन और अनुशासन एक वार्डन में निहित होगा, जो कुलपति द्वारा तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए नियुक्त किया जावेगा। वार्डन के रूप में नियुक्त किया गया व्यक्ति पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा। वार्डन के पद पर कोई आकस्मिक रिक्ति सेवा अवधि के लिए कुलपति द्वारा भरी जावनी।

११.०३ विररविद्यालय द्वारा अनुसंधान छात्रावास में निवास करने के लिये तर्ती अध्यापकों द्वारा विहित की जावनी और प्रत्येक छात्रावास का निरीक्षण छात्रावास्य के संकायाध्यक्ष, कुलपति या कार्य-परिचर द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत विररविद्यालय के किसी अधिकारी द्वारा किया जावगा।

११.०४ छात्रावास्य का संकायाध्यक्ष ऐसे छात्रों के, जिन्हें छात्रावास में स्थान न मिल सके, अन्य विद्यालय-स्थानीय को मान्यता प्रदान करने के लिये कार्य-परिचर को सिफारिश कर सकता है।

११.०५ प्रत्येक ऐसे छात्र को, जो किसी छात्रावास या मान्यता-प्राप्त निवास स्थान में निवास न करता हो, शिक्षकीय सहायता और अनुशासनिक पर्यवेक्षण और ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिये जो अध्यापकों में विहित किये जावें, किसी छात्रावास से सम्बद्ध रहेगा।

#### अध्यापक - १०

##### अध्यापकों और शिक्षा संस्थाओं की मान्यता

२०.०१ विद्या-परिचर को सिफारिश पर कार्य-परिचर उन अध्यापकों को जो लक्ष्यनिष्ठ विद्वान् हैं—

(क) विररविद्यालय की परीक्षाओं के लिए विद्यार्थी को प्रश्न और तैयार करने,

(ख) विररविद्यालय को अनुसन्धान उपधि के लिए अभ्यापकों को अनुसन्धान-कार्य के लिए मार्ग-दर्शन करने और तैयार करने के लिए मान्यता दे सकता है।

२०.०२ विद्या-परिचर को सिफारिश पर कार्य-परिचर किसी शिक्षा-संस्था को विररविद्यालय को अनुसन्धान उपधि के लिये अभ्यापकों को, जो परिनिष्पत्तियों २०.०१ के अधीन विररविद्यालय द्वारा मान्यताप्राप्त अध्यापक के मार्गदर्शन में अपना अनुसन्धान-कार्य करेंगे, तैयार करने की मान्यता दे सकता है।

२०.०३ परिनिष्पत्तियों २०.०१ और २०.०२ के अधीन अध्यापकों या किसी विररविद्यालय या किसी शिक्षा संस्थान को मान्यता देने की रीति अध्यापकों द्वारा विहित की जावनी।

#### अध्यापक - ११

##### प्रकीर्ण

२१.०१ विररविद्यालय के किसी अधिकारी या निवास के सभी निर्वाचन आनुपतिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा परिशिष्ट 'क' में निर्धारित रीति से होंगे।

२१.०२ धारा ७ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, विररविद्यालय किसी व्यक्ति को विररविद्यालय द्वारा सञ्चालित किसी परीक्षा में प्राइवेट अध्यापकों के रूप में बैठने की अनुमति दे सकता है, परन्तु—

(क) ऐसा व्यक्ति अध्यापकों में निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा करता हो, और

(ख) ऐसी परीक्षा ऐसे विषय या शिक्षा पाठ्यक्रम से सम्बन्धित न हो, जिसमें व्यावहारिक परीक्षा पाठ्यक्रम का भाग हो।

२१.०३ परिनिष्पत्तियों २१.०२ का उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित परचार पाठ्यक्रम पर लागू होगा।

२१.०४ इस परिनिष्पत्तियों या विररविद्यालय के अध्यापकों में दो गयी किसी बात के होने हुए भी—

(१) किसी विद्या वर्ष में ३१ अगस्त के परचाय कोई प्रवेश नहीं किया जावेगा।

(२) विररविद्यालय द्वारा सञ्चालित सभी परीक्षाएँ ३० अगस्त तक पूरी हो जावनी, और

(३) १५ जून तक परीक्षाफल घोषित कर दिये जावने :

परन्तु १९८६-८७ के विद्या-वर्ष के लिये विररविद्यालय की सभी परीक्षाएँ १५ जून, १९८७ तक पूरी की जा सकती हैं और सभी परीक्षाफल ३१ जुलाई, १९८७ तक घोषित किये जा सकते हैं और सब १९८७-८८ के लिये प्रवेश १५ सितम्बर, १९८७ तक पूरे किये जा सकते हैं।

२१.०५ किसी अभ्यापकों को अपने परीक्षाफल में सुधार करने की दृष्टि से विररविद्यालय को अगली निर्धारित परीक्षा में पूर्व स्नातक परीक्षा के किसी भाग के एक विषय में और बी.एड. परीक्षा एत.एत.बी. के किसी एक वर्ष की परीक्षा के या स्नातकोत्तर परीक्षा के एक भाग एक प्रश्न-पर की परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जा सकती है।

२१.०६ (१) सम्पूर्णानन्द संस्कृत विररविद्यालय अथवा इससे सम्बद्ध ऐसे महाविद्यालय/विद्यालय, जो राज्य सरकार से सहायता-प्राप्त हैं और अशासकीय हैं, में सेवारत शिक्षकों/शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के अधिकारों को विररविद्यालय/महाविद्यालय/विद्यालय में इस परिनिष्पत्तियों के परिशिष्ट 'ब' में उपबन्धित 'सेवाकाल में मृत शिक्षकों/शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के अधिकारों की शर्तें नियमावली' के अनुसार सेवायोजन प्रदान किया जावगा।

(२) इस नियमावली के प्रवृत्त होने के परचाय 'उत्तर-प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवाओं के अधिकारों की शर्तें नियमावली १९९४, में उत्तर-प्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर किये गये संशोधन/परिवर्तनों के अनुरूप इस नियमावली को स्वतः संशोधित/परिवर्तित समझा जावगा।

२१.०७ (१) सम्पूर्णानन्द संस्कृत विररविद्यालय से सम्बद्ध राज्य सहायताप्राप्त अशासकीय संस्कृत महाविद्यालयों/विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों/शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को इस परिनिष्पत्तियों के संलग्न परिशिष्ट 'क' में उल्लिखित नियमावली के अनुसार मृत्यु तथा सेवाविवृत्त आनुवंशिक लाभ प्रदान किया जावेगा।

(२) इस नियमावली के प्रवृत्त होने के परचाय उत्तर-प्रदेश शासन द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा समय-समय पर किये गये संशोधन/परिवर्तनों के अनुरूप इस नियमावली को स्वतः संशोधित/परिवर्तित समझा जावेगा।

२१.०८ (१) सम्पूर्णानन्द संस्कृत विररविद्यालय से सम्बद्ध राज्य सहायताप्राप्त अशासकीय संस्कृत महाविद्यालयों/विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को इस परिनिष्पत्तियों के परिशिष्ट 'क' में विहित कार्यकारी सिद्धान्त के अनुसार सामान्य भविष्य-निधि की सुविधा प्राप्त होगी।

(२) सामान्य भविष्यनिधि के लाभ की अनुमत्या, उसके लेखों के रख-रखाव एवं सञ्चालन तथा अन्य विषय, किन्तु उत्प्रेषण परिशिष्ट 'क' में नहीं है, के सम्बन्ध में यही नियम व प्रक्रिया लागू होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्धारित की जावगी।

#### अध्यापक - ११

##### अधिभार परिभाषाएँ

२२.०१ जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस परिनिष्पत्तियों में—

(१) 'परीक्षक' का तात्पर्य स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर-प्रदेश से है।

(२) सरकार का तात्पर्य उत्तर-प्रदेश सरकार से है।

(३) विररविद्यालय का अधिकारी का तात्पर्य अधिनिष्पत्तियों की धारा ९ के खण्ड (ख), (ग) और (घ) से (ज) तक के किसी भी खण्ड में उल्लिखित अधिकारी और परिनिष्पत्तियों २.०१—क के अधीन इस रूप में घोषित अधिकारियों से है।

२२.०२ (१) किसी भी ऐसे मामले में, जिसमें परीक्षक की राय हो कि किसी अधिकारी की उपेक्षा या अवधार के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप विररविद्यालय के किसी धन या सम्पत्ति की हानि, अपव्यय या दुरुपयोग जिसके अनर्गल पुर्नियोग या अनुचित व्यय भी है, हुआ है, तो वह अधिकारी से लिखित रूप में स्पष्टीकरण देने के लिए वह सकता है कि क्यों न ऐसे अधिकारी पर ऐसे धनराशि की हानि, धन के अपव्यय या दुरुपयोग के लिये या ऐसे धनराशि के लिये जो सम्पत्ति की हानि, अपव्यय या दुरुपयोग के कारण हो, अधिभार लगाया जाव और ऐसा स्पष्टीकरण सम्बद्ध व्यक्ति को ऐसी अपवेक्षा के संसृष्ट किये जाने के दिनाङ्क से दो मास से अधिक अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जावगा :

परन्तु कुलपति से निम्न किसी भी अधिकारी से स्पष्टीकरण कुलपति के माध्यम से माँगा जावगा।



टिप्पणी :—(१) परोक्ष द्वारा या इस प्रयोजन के लिये उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा प्राथमिक तौर के लिये अपेक्षित कोई सूचना और समस्त सम्बन्धित पत्रों और अभिलेख अधिकारी द्वारा (या यदि ऐसी सूचना, पत्रों या अभिलेख उक्त अधिकारी से भिन्न व्यक्ति के कब्जे में हों, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा) किसी भी स्थिति में दो सप्ताह से अधिक मुक्तिमुक्त समय के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा और दिखाना जाएगा।

(२) खण्ड (१) में दिये गये उपबन्धों की व्याख्या पर प्रतिकूल प्रभाव डालने बिना, परोक्ष निम्नलिखित मामलों में स्पष्टीकरण माँग सकता है—

(क) जहाँ व्यय दस परिनिधानियों के या अधिनियम के या इसके अधीन बनाये गये अध्यादेशों या विनियमों के उपबन्धों के उल्लंघन में किया गया हो;

(ख) जहाँ हानि पर्याप्त अभिलेखित कारणों के बिना कोई उच्च टैण्डर स्वीकार करने से हुई हो;

(ग) जहाँ विरयविधायक को देय किसी धनराशि का परिहार इस परिनिधानियों के या अधिनियम के या इसके अधीन बनाये गये अध्यादेशों या विनियमों के उल्लंघन में किया गया हो;

(घ) जहाँ विरयविधायक को अपने देयों को वसूल करने में उषेका के कारण हानि हुई हो;

(ङ) जहाँ विरयविधायक को निधि या सम्पत्ति को, ऐसे धन या सम्पत्ति को अभिरक्षा के लिए मुक्तिमुक्त समयपानी न बनाने के कारण हानि हुई हो।

(३) उस अधिकारी को, जिससे स्पष्टीकरण माँग गया हो, लिखित अध्यादेश पर विरयविधायक उसे सम्बन्धित अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिये आवश्यक सुविधाएँ देगा। परोक्ष, सम्बद्ध अधिकारी के आवेदन-पत्र पर, उसे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिये समय को मुक्ति-मुक्त अवधि तक बढ़ा सकता है, यदि उसका यह समझान हो जाय कि अपेक्षित अधिकारी अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के प्रयोजन के लिये सम्बन्धित अभिलेखों का निरीक्षण अपने नियन्त्रण से पौ कारणों से नहीं कर सका।

स्पष्टीकरण—अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये परिनिधानों या अध्यादेशों का उल्लंघन करके कोई नियुक्ति करने को अवरुद्ध करना सम्झा जाएगा और ऐसी अभिलेखित निरुक्ति के कारण सम्बद्ध व्यक्ति को वेतन या अन्य देयों का मुताबत विरयविधायक के धन की हानि, दुर्व्यवस्था, दुरुपयोग समझा जायेगा।

२२.०३ विहित अवधि को समाप्त के परचातु और स्पष्टीकरण पर, यदि समय के भीतर प्राप्त हो, विचार करने के परचातु, परोक्ष अधिकारी पर सम्पूर्ण धनराशि या उक्त के किसी भाग के लिए, जिसके लिए ऐसा अधिकारी उसको राय में उत्तरदायी हो, अधिभार लगा सकता है :

परन्तु यदि दो या अधिक अधिकारियों की उषेका या अवरुद्ध के परिणामस्वरूप हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग हो तो प्रत्येक ऐसा अधिकारी संयुक्त और एकद्वन्द्वदार होगा :

परन्तु यह भी कि कोई अधिकारी किसी ऐसे हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग के दिनाङ्क से दस वर्ष की समाप्ति के परचातु या उसके ऐसा अधिकारी न रह जाने के दिनाङ्क से छः वर्ष की समाप्ति के परचातु इसमें जो भी परचातुवर्ती हो, किसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग के लिये उत्तरदायी न होगा।

२२.०४ परोक्ष द्वारा दिये गये अधिभार के आदेश से व्यक्ति अधिकारी, उस मण्डल के आयुक्त को, जिसमें विरयविधायक स्थित हो, ऐसा आदेश संतुष्टि किये जाने के दिनाङ्क से तीन दिन के भीतर अपील कर सकता है। आयुक्त परोक्ष द्वारा दिये गये आदेश को पुष्ट, विद्यमान या परिवर्तित कर सकता है या ऐसा आदेश दे सकता है, जैसा वह उचित समझे। इस प्रकार दिया गया आदेश अन्तिम होगा और इसके विरुद्ध कोई अपील न हो सकेगी।

२२.०५ (१) अधिकारी, जिस पर अधिभार लगाया गया हो, ऐसा आदेश संतुष्टि किये जाने के दिनाङ्क से साठ दिन के भीतर या ऐसे अग्रत समय के भीतर जो उक्त दिनाङ्क से एक वर्ष से अधिक न हो, जैसा परोक्ष द्वारा अनुमति दी जाय, अधिभार की धनराशि का मुताबत करेगा :

परन्तु यदि परोक्ष द्वारा दिये गये अधिभार के आदेश के विरुद्ध परिनिधान २२.०४ के अधीन कोई अपील प्रस्तुत की गयी हो, तो अपील प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति से धनराशि को वसूल के लिए समस्त कार्यवाहियाँ आयुक्त द्वारा ऐसी की जा सकती हैं, जब तक कि अपील का अन्तिम रूप से विनिरुध्न्य न हो जाय।

(२) यदि अधिभार की धनराशि का मुताबत खण्ड (१) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, तो वह भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किये जाने योग्य होगा।

२२.०६ जहाँ अधिभार के विरुद्ध आदेश पर अपील करने के लिये किसी न्यायालय में कोई वाद संस्थित किया जाय और ऐसे वाद में परोक्ष का राज्य सरकार प्रतिबन्धी हो, वहाँ वाद का प्रतिकार करने में उपगत समस्त खर्च का मुताबत विरयविधायक द्वारा किया जायगा और विरयविधायक का यह कार्य होगा कि वह इसका मुताबत बिना किसी विसम्भ के करे।

#### परिशिष्ट-‘क’ (परिनिधान ४.१० और २१.०१ देखिए)

#### आनुषांगिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचन

##### भाग-१ सामान्य

१. जब तक कि आनुषांगिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किसी निर्वाचन के प्रति निर्देश से विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो—

(१) ‘अभ्यर्थी’ का तात्पर्य निर्वाचन लड़ने के लिए सम्बद्ध रूप से अर्ह, ऐसे व्यक्ति से है, जो सम्बद्ध रूप से नाम-निर्दिष्ट किया गया हो;

(२) ‘अनवरत अभ्यर्थी’ का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो न तो निर्वाचित हुआ हो और न किसी सम्बन्धितोप पर मतदान से अपरवर्तित हुआ हो;

(३) ‘निर्वाचक’ का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो निर्वाचन में अपना मत देने के लिए सम्बद्ध रूप से अर्ह हो;

(४) ‘निःशेष पत्र’ का तात्पर्य ऐसे मत-पत्र से है, जिस पर किसी अनवरत अभ्यर्थी के लिए कोई अग्रत अधिमान अभिलेखित न हो, परन्तु कोई पत्र तब भी निःशेषित समझा जायगा, यदि—

(क) उसमें दो अथवा अधिक अभ्यर्थियों के नाम, चाहे वे अनवरत हो या न हों, समान अङ्क से चिह्नित हों और उनका स्थान अधिमान-क्रम में अग्रत हो; या

(ख) अधिमान-क्रम में अग्रत अभ्यर्थी का नाम, चाहे वह अनवरत हो या न हो—

(१) ऐसे अङ्क से चिह्नित हो, जो मतपत्र में किसी अन्य अङ्क के परचातु क्रमनुसार न हो; या

(२) दो अथवा अधिक अङ्कों से चिह्नित हो।

(५) ‘प्रथम अधिमान मत’ का तात्पर्य ऐसे अभ्यर्थी के पक्ष में मत से है, जिसके नाम के सामने मतपत्र में अङ्क ‘१’ लिखा हो, ‘द्वितीय अधिमान मत’ का तात्पर्य ऐसे अभ्यर्थी के पक्ष में मत से है, जिसके नाम के सामने अङ्क ‘२’ लिखा हो, ‘तृतीय अधिमान मत’ का तात्पर्य ऐसे अभ्यर्थी के पक्ष में मत से है, जिसके नाम के सामने अङ्क ‘३’ लिखा हो और इसी क्रम में आगे भी लिखा हो;

(६) किसी अभ्यर्थी के सम्बन्ध में ‘मूल मत’ का तात्पर्य ऐसे मत-पत्र द्वारा प्राप्त मत से है, जिस पर उस अभ्यर्थी के लिये प्रथम अधिमान अभिलेखित हो;

(७) ‘कोटा’ का तात्पर्य मतों के उस न्यूनतम मूल्याङ्क से है, जो किसी अभ्यर्थी के निर्वाचित होने के लिए पर्याप्त हो;

(८) ‘अधिभय’ का तात्पर्य उस संख्या से है, जितने से किसी अभ्यर्थी के मूल और संश्लिषित मतों का मूल्याङ्कन कोटा से अधिक हो;

(९) किसी अभ्यर्थी के सम्बन्ध में, ‘संक्रमित मत’ का तात्पर्य ऐसे मत-पत्र द्वारा प्राप्त मत से है, जिस पर उस अभ्यर्थी के लिए, द्वितीय अथवा उसके बाद वाला कोई अधिमान लिखा हो और जिसका मूल्याङ्कन या मूल्याङ्क का भाग उस अभ्यर्थी के पक्ष में जोड़ा जाय;

(१०) ‘निःशेष पत्र’ का तात्पर्य ऐसे मतपत्र से है, जिस पर किसी अनवरत अभ्यर्थी के लिए अग्रत अधिमान अभिलेखित हो।

२. कुलसचिव निर्दिष्ट अधिकार होगा, जो सभी निर्वाचनों के सञ्चालन के लिये उत्तरदायी होगा।

३. कुलसचिव—

(१) प्रत्येक निर्वाचन के विभिन्न प्रक्रमों के लिए परिनिधान के उपबन्धों के अनुरूप दिनाङ्क नियत करेगा तथा उसे आभासिक स्थिति में इन दिनाङ्कों में परिवर्तन करने की, सिवाय उस दशा के जब ऐसे परिवर्तन से परिनिधान के उपबन्धों का उल्लंघन होता हो, शक्ति होगी।

(२) सन्देश की दशा में किसी अभिलेखित मत को वैधता अथवा अवैधता का विनिश्चय करेगा।

४. तथा के परिवर्तित स्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों का निर्वाचन (तथा अन्य ऐसे निर्वाचन जिनके विषय में कुलसचिव सुविधा तथा मितव्ययता के कारण निर्देश दे) डाक द्वारा मत-पत्र से किया जायगा। अन्य निर्वाचन सम्बन्धित अधिकारियों अथवा निकायों के अधिदेशों में किया जायगा।

५. मतपत्र निम्नलिखित प्रकार में होगा—

विरयविधायक का नाम निर्वाचन-क्षेत्र द्वारा निर्वाचन—

अभ्यर्थियों के नाम तथा अधिमान-क्रम १, २, ३ इत्यादि अङ्कों द्वारा (रिक्त स्थान में) इंगित किये जायेंगे।

६. निर्वाचक अपना मत देने में—

(१) अपने मतपत्र पर अङ्क १ उक्त अभ्यर्थी के सामने लिखेगा, जिसको कि वह अपना मत दे, और

(२) इसके अतिरिक्त जितने अन्य अभ्यर्थियों को वह चाहे, अपने मतपत्र या अधिमानता को उन अभ्यर्थियों के नाम के सामने क्रमशः २, ३, ४ तथा इसी प्रकार अधिभय अङ्कों द्वारा लिखकर व्यक्त कर सकता है।

७. वह मतपत्र अधिमान्य होगा—

(ग) जिस पर अट्ट १ न लिखा हो, या

- (1) जिस पर एक से अधिक अर्धवर्षों के नाम के आगे अट्ट १ लिखा हो, या
- (2) जिस पर एक ही अर्धवर्षों के नाम के आगे अट्ट १ तथा कोई अट्ट लिखा हो, या
- (3) जिस पर अट्ट १ ऐसा लिखा हो जिससे यह स्पष्ट हो कि, यह किस अर्धवर्षों के लिये अभिमत है, या
- (4) मतपत्र द्वारा निर्वाचन की दशा में, जिस पर कोई ऐसा चिह्न बना हो, जिससे कि मतदाता मत में परिवर्तन जा सके, या
- (5) जिस पर मतदाता के अधिमान को व्यक्त करने वाला अट्ट लिट गया हो या उसमें परिवर्तन किया गया हो, या
- (6) जो एक प्रयोजन के लिए सम्बन्धित प्रश्न में न हो।

## भाग-२

### डाक मत-पत्र द्वारा सम्हालित निर्वाचन

८. डाक मत-पत्र द्वारा भरी जाने वाली गिनतियाँ होने के वक्त से कम तीन माल पहले कुलसचिव प्रत्येक अर्ध मतदाता के पास, उसके रजिस्ट्रीकृत पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक से नोटिस भिजवावेगा, जिसमें उसमें नोटिस भेजे जाने के पन्द्रह दिन के भीतर नाम-निर्देशन-पत्र प्रस्तुत करने को कहा जायगा। नोटिस के साथ निर्वाचकों की एक सूची होगी। ९. कुलसचिव को, मतदाताओं की सूची को प्रत्येक ऐसी अट्टाडि तथा लॉच को, जो उसकी जानकारी में लाया जाय, टोक करने को शक्ति होगी। यदि किसी व्यक्ति का नाम सूची में निकाल दिया जाय तो उसके मत की गणना नहीं की जायगी, बल्कि जो उसे मतपत्र मिल गया हो और उसमें अपना मत दे दिया हो और एक प्रमाण-पत्र कि ऐसा किया गया है, कुलसचिव तथा निर्वाचन तैयार करने में उससे सम्बद्ध व्यक्तियों द्वारा, यदि कोई हो, अभिलिखित किया जायगा।

१०. प्रत्येक निर्वाचक को भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से अधिक अर्धवर्षों का नाम-निर्देशन करने का विकल्प होगा।

११. प्रत्येक नाम-निर्देशन-पत्र पर प्रस्तावक द्वारा जो स्वयं निर्वाचक होगा, हस्ताक्षर किया जायगा; और उसके साथ निर्वाचन के लिए नाम-निर्दिष्ट अर्धवर्षों की सहमति होगी, जो या तो लिखित होगी या नाम-निर्देशन-पत्र पर हस्ताक्षर द्वारा की गई होगी। उसमें नाम-निर्देशन के समर्थकों के रूप में अन्य निर्वाचकों के हस्ताक्षर हो सकते हैं। किन्तु कोई भी अर्धवर्ष किसी ऐसे नाम-निर्देशन-पत्र पर, जिसमें उसका नाम अर्धवर्षों के रूप में लिखा हो, प्रस्तावक या अनुमोदक के रूप में हस्ताक्षर नहीं करेगा।

१२. नाम-निर्देशन-पत्र नोटिस में उल्लिखित समय के भीतर कुलसचिव को बन्द लिखावे में या तो स्वयं प्रस्तावक या किसी ऐसे निर्वाचक द्वारा दिया जायगा, जो नाम-निर्देशन का समर्थन करता हो या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जायगा।

१३. कोई अर्धवर्ष निर्वाचन से अपना नाम वापस लेने की लिखित सूचना, जिस पर उसके हस्ताक्षर होंगे और जो किसी वैतनिक मजिस्ट्रेट, राजकीय अधिकारी या विश्वविद्यालय से सहायक या सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा अनुमोदित होगा, कुलसचिव को इस प्रकार भेजकर कि वह नाम-निर्देशन की शक्ति के लिए अन्तिम दिन के रूप में लिखित दिन तथा समय के पूर्व पहुँच जाय, निर्वाचन से अपना नाम वापस ले सकता है। अनुमोदित अधिकारी की मुहर लगी होने चाहिये।

१४. कुलसचिव नाम-निर्देशन-पत्रों के लिखावे को खोलने का स्थान, दिनाङ्क और समय अधिसूचित करेगा। ऐसे अर्धवर्षों या निर्वाचक, जो उपस्थित होना चाहें, उस अवसर पर उपस्थित हो सकते हैं।

१५. कुलसचिव विधिमन्त्र नाम-निर्देशनों की एक सूची तैयार करेगा। यदि कोई नाम-निर्देशन-पत्र कुलसचिव द्वारा अस्वीकृत किया जाय, तो वह अस्वीकृत करने के कारणों की सूचना अर्धवर्षों को दो दिन के भीतर देगा। वह अर्धवर्षों पर निर्भर होगा कि वह ऐसा संयुक्तन की शक्ति के तीन दिन के भीतर आवेदनपत्र भेजे कि समस्त कुलसचिव को निर्दिष्ट किया जाय, तत्पश्चात् वह समस्त कुलसचिव को निर्दिष्ट किया जायगा, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

१६. यदि सम्बद्ध रूप से नाम-निर्दिष्ट अर्धवर्षों की संख्या भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से अधिक न हो तो कुलसचिव उन्हें निर्वाचित घोषित कर देगा। यदि कोई स्थान भरने से रह जाय तो उसे भरने के लिये प्रत्येक रीति में तथा निर्वाचन किया जायगा और ऐसा निर्वाचन समान्य निर्वाचन का भाग समझा जायगा।

१७. यदि सम्बद्ध रूप से नाम-निर्दिष्ट अर्धवर्षों की संख्या भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से अधिक हो तो निर्वाचन किया जायगा।

१८. कुलसचिव संवेष्टा पूरी होने के १५ दिन के भीतर प्रत्येक निर्वाचक को रजिस्ट्रीकृत डाक से उसके रजिस्ट्रीकृत पते पर एक मतपत्र के साथ एक लिखावा भेजेगा, जिस पर केवल निर्वाचन-क्षेत्र का नाम लिखा होगा और एक बड़ा लिखावा भी भेजेगा, जिसके बाकी और निर्वाचन समारंभ में निर्वाचक की संख्या, निर्वाचन-क्षेत्र का नाम और दफिनी और विश्वविद्यालय के कुलसचिव का पता लिखा जायगा। कुलसचिव अधिष्ठान का एक प्रमाण-पत्र भी संलग्न करेगा।

१९. (1) निर्वाचक अधिष्ठान के प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करेगा और उसे निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसी एक से सम्बद्ध रूप से अनुमोदित करावेगा—

(क) तत्समय भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय का कुलसचिव,

(ख) किसी ऐसे विश्वविद्यालय से सहायक या सम्बद्ध महाविद्यालय का प्राचार्य अथवा उस विश्वविद्यालय के अध्यापन विभाग का अध्यक्ष,

(ग) सरकार का कोई राजकीय अधिकारी।

(2) अनुमोदक अधिकारी अपने पूर्ण हस्ताक्षर और अपनी मुहर से अनुमोदित करेगा।

(3) निर्वाचक मतपत्र को बिना अपने नाम अथवा हस्ताक्षर के सम्बद्ध रूप से भरकर छोटे लिखावे में बन्द करेगा और तब उसे सम्बद्ध रूप से हस्ताक्षरित और अनुमोदित अधिष्ठान के प्रमाण-पत्र के साथ बड़े लिखावे में बन्द कर देगा और उसे सम्बद्ध रूप से मुहरबन्द करके या तो रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा कुलसचिव के देगा या उन्हें स्वयं देगा।

२०. मतपत्र कुलसचिव के पास निरक्षर समय और दिनाङ्क तक अवश्य पहुँच जाना चाहिये। यदि मत-पत्र निरक्षर समय और दिनाङ्क के पश्चात् प्राप्त हो तो वह उसके द्वारा अस्वीकृत कर दिया जायगा।

२१. यदि दो या उससे अधिक मतपत्र एक ही लिखावे में भेजे जाय, तो उनकी गणना नहीं की जायगी।

२२. कोई मतदाता, जिसे अपना मत-पत्र तथा अन्य सम्बन्धित पत्रदि प्राप्त न हुए हो अथवा जिससे वे छोटे गये हो अथवा जिसके पत्रदि कुलसचिव को वापस किये जाने के पूर्व अनवरतानुसार विकृत हो गये हों, इस आशय का स्पष्टतापूर्ण घोषणा-पत्र कुलसचिव को भेजकर उनसे प्राप्त न हुए, छोटे गये अथवा विकृत पत्रदि के स्थान पर पत्रदि की दूसरी प्रती भेजने का अनुरोध कर सकता है। कुलसचिव प्राप्त न हुए, छोटे गये या विकृत पत्रदि के स्थान पर यदि उसका समाधान हो जाय 'द्वितीय प्रती' अर्जित करके दूसरी प्रती जारी कर सकता है।

२३. कुलसचिव मत-पत्रों को उनकी संवेष्टा के लिये निश्चित दिनाङ्क और समय तक मुहरबन्द तथा बिना खोले सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा।

२४. संवेष्टा के दिनाङ्क, समय तथा स्थान की सम्बद्ध सूचना कुलसचिव द्वारा सभी अर्धवर्षों को दी जायगी; जिन्हें संवेष्टा के समय उपस्थित होने का अधिकार होगा; परन्तु किसी अर्धवर्षों को किसी मत-पत्र का निरीक्षण करने की शक्ति देने का हक न होगा।

२५. कुलसचिव को यदि आवश्यक हो तो ऐसे अन्य व्यक्तियों द्वारा सहायता दी जायगी, जिन्हें कुलसचिव संवेष्टा कार्य में सहायता देने के लिये नियुक्त करें।

२६. निरक्षर दिनाङ्क, समय तथा स्थान पर कुलसचिव मतपत्रों के लिखावे खोलेंगा तथा उनको संवेष्टा करेगा और जो विधिमन्त्र न हो, उन्हें अलग कर देगा।

२७. विधिमन्त्र मतपत्रों को छोटकर उनकी पारसल बनायी जायगी। एक पारसल में समस्त मतपत्र होंगे, जिसमें किसी विशिष्ट अर्धवर्षों के लिए प्रथम अधिष्ठान अभिलिखित हो।

२८. इस परिचयपत्र द्वारा निश्चित प्रक्रिया को सुगम बनाने के प्रयोजन से प्रत्येक मतपत्र का मूल्याङ्कन एक ही समझा जायगा।

२९. परिचयपत्र के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये कुलसचिव—

(1) सभी जिलों की उपेक्षा करेगा;

(2) निर्वाचित हो चुके अथवा मतदान से अपरक्षित अर्धवर्षों के लिये अभिलिखित सभी अधिष्ठानों पर ध्यान न देगा।

३०. कुलसचिव तब समस्त पारसलों के मतपत्रों के मूल्याङ्कन का योग निकालेगा। उस योग को ऐसी संख्या से भाग देगा, जो कि भरी जाने वाली गिनतियों की संख्या से एक अधिक हो तथा भागफल में एक जोड़ेगा। इस प्रकार प्राप्त संख्या 'कोटा' होगी।

३१. यदि किसी समय उतनी संख्या में अर्धवर्षों कोटा प्राप्त कर लें, जितने कि निर्वाचित होने हैं तो ऐसे अर्धवर्षों को निर्वाचित समझा जायगा और आगे कोई कार्यवाही नहीं की जायगी।

३२. (1) प्रत्येक ऐसा अर्धवर्ष जिसके पारसल का मूल्याङ्कन प्रथम अधिष्ठान गिनने पर कोटा के बराबर अथवा उससे अधिक हो, निर्वाचित घोषित कर दिया जायगा।

(2) यदि किसी ऐसे पारसल में मतपत्रों का मूल्याङ्कन कोटा के बराबर हो तो वे मतपत्र अन्तिम रूप से बरते गये के रूप में अलग रख दिये जायेंगे।

(3) यदि किसी ऐसे पारसल में मत-पत्रों का मूल्याङ्कन कोटा से अधिक हो तो अधिष्ठात उन अनवरत अर्धवर्षों को इस परिचयपत्र में आगे दो हुई रीति से संक्रमित कर दिया जायगा, जो कि मतपत्रों में निर्वाचक के अधिष्ठान-क्रम में निकटतम अनुक्रमों के रूप में होता है।

३३. (1) यदि उपर्युक्त परिचयपत्र द्वारा निश्चित किसी प्रयोग के फलस्वरूप जब कभी किसी अर्धवर्षों को कुछ अधिक्य प्राप्त हो तो वह अधिक्य इस परिचयपत्र के उपबन्धों के अनुसार संक्रमित किया जायगा।



(ग) यदि एक से अधिक अभ्यर्थी को अधिकतम अधिकतम पहले बरतना तथा परिणाम के अनुसार क्रम के अनुसार दूसरों से बरतना; परन्तु मंती को प्रथम गणना में उद्भूत प्रत्येक अधिकतम दूसरी गणना में उद्भूत अधिकतम से पहले बरतना और यही क्रम आगे भी चलेगा।

(घ) यदि दो अथवा उससे अधिक अधिकतम बराबर हों तो कुलतत्विच उपर्युक्त उपखण्ड (ग) में विहित रीति के अनुसार यह विनिरचय करेगा कि जिसके सम्बन्ध में पहले बरतना जाय।

(ङ) यदि किसी अभ्यर्थी का संक्रमित किया जाने वाला अधिकतम केवल मूल मंती में उद्भूत हो, तो कुलतत्विच उस अभ्यर्थी के, जिसका कि अधिकतम संक्रमित किया जाने वाला हो, पारसल के सब मतपत्रों को जांच करेगा और अनि.रोष-पत्रों को उनमें अभिलिखित निरुद्धतम अनुक्रमों अधिमंती के अनुसार उप-पारसलों में विभाजित करेगा। यह नि.रोष-पत्रों का भी एक पृथक् उप-पारसल बनानेगा।

(च) यह प्रत्येक उप-पारसल के मत-पत्रों का तथा अनि.रोष मतपत्रों का मूल्यांकन अभिविधित करेगा।

(ज) यदि अनि.रोष मत-पत्रों का मूल्यांकन अधिकतम के बराबर अथवा उससे कम हो तो वे सब अनि.रोष मतपत्रों को उस मूल्यांकन पर, जिस पर कि वे उस अभ्यर्थी को प्राप्त हुए थे, जिसका अधिकतम संक्रमित किया जा रहा हो, संक्रमित करेगा।

(झ) यदि अनि.रोष-पत्रों का मूल्यांकन अधिकतम से अधिक हो तो यह अनि.-रोष-पत्रों के उप-पारसलों का संक्रमण करेगा और यह मूल्यांकन, जिस पर प्रत्येक मतपत्र संक्रमित किया जाएगा, अधिकतम को अनि.रोष-पत्रों की कुल संख्या से विभाजित करके अभिविधित किया जाएगा।

(ञ) यदि किसी अभ्यर्थी का संक्रमित किया जाने वाला अधिकतम संक्रमित तथा मूल मंती से उद्भूत हुआ हो तो कुलतत्विच अभ्यर्थी को सबसे अन्त में संक्रमित उप-पारसल के समस्त मतपत्रों को पुनः जांच करेगा तथा अनि.रोष-पत्रों को उन पर अभिलिखित अनुक्रमों अधिमंती के अनुसार उप-पारसलों में विभाजित करेगा। तदुपरांत यह उप-पारसलों से उसी रीति से बरतना जैसा कि पूर्वगामी अन्तिम उपखण्ड में निर्दिष्ट उप-पारसलों के सम्बन्ध में व्यवस्थित है।

(ट) प्रत्येक अभ्यर्थी के संक्रमित मतपत्र ऐसे अभ्यर्थी के पहले के ही मतपत्रों में उप-पारसल के रूप में गिना दिये जायेंगे।

(ठ) निर्वाचित अभ्यर्थी के पारसल अथवा उप-पारसलों के वे सब मतपत्र, जो इस खण्ड के अधीन संक्रमित न किये गये हों, अन्तिम रूप से बरते गये के रूप में अलग रख दिये जायेंगे।

३४. (१) यदि उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार सब अधिकतमों के संक्रमित कर दिये जाने के परचात अपेक्षित संख्या से कम अभ्यर्थी निर्वाचित हो तो कुलतत्विच मतदान के निम्नतम अभ्यर्थी को मतदान से अपरचित कर देगा और उसके अनि.रोष-पत्रों को अनवरत अभ्यर्थियों में उन अनुक्रमों अधिमंती के अनुसार वितरित कर देगा, जो उन पर अभिलिखित हों। कोई नि.रोष-पत्र अन्तिम रूप में अलग रख दिया जाएगा।

(२) उन पत्रों को, जिनमें अपरचित अभ्यर्थी का मूल मत अन्वेषित हो, अनवरत संक्रमित किया जाएगा, प्रत्येक मतपत्र का संक्रमण मूल्यांकन एक ही होगा।

(३) फिर उन पत्रों को, जिनमें किसी अपरचित अभ्यर्थी के संक्रमित मत हों, संक्रमण के उसी क्रम में संक्रमित किया जाएगा, जिस क्रम में और जिस मूल्यांकन पर उसे प्राप्त हुए हैं।

(४) ऐसा प्रत्येक संक्रमण पृथक् संक्रमण समझा जाएगा।

(५) मतदान में एक के बाद दूसरे निम्नतम अभ्यर्थियों के अपरचयन पर इस खण्ड द्वारा निर्देशित प्रक्रिया तब तक दोहराई जायगी जब तक कि अन्तिम रिक्ति की पूर्ति किसी अभ्यर्थी के कोटा प्राप्त कर लेने पर निर्वाचन द्वारा अथवा आगे के उपर्युक्त के अनुसार न हो जाय।

३५. यदि मतपत्रों के संक्रमण के फलस्वरूप अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त मंती का मूल्यांकन कोटा के बराबर अथवा उससे अधिक हो जाय, तो संक्रमण को कार्यवाही पूरी की जायगी, और अन्तर कोई मतपत्र उसे संक्रमित नहीं किया जाएगा।

३६. (१) यदि एक खण्ड के अधीन किसी संक्रमण के पूरा होने के परचात, किसी अभ्यर्थी के मंती का मूल्यांकन कोटा के बराबर अथवा उससे अधिक हो जाय, तो उसे निर्वाचित घोषित किया जाएगा।

(२) यदि किसी ऐसे अभ्यर्थी के मंती का मूल्यांकन कोटा के बराबर हो जाय, तो सभी मतपत्र, जिन पर ऐसे मत अभिलिखित हों, अन्तिम रूप से बरते गये के रूप में अलग रख दिये जायेंगे।

(३) यदि किसी ऐसे अभ्यर्थी के मतपत्रों का मूल्यांकन कोटा से अधिक हो जाय, तो तदुपरांत किसी अन्य अभ्यर्थी को अपरचित करने के पूर्व उसका अधिकतम एतदुपर्युक्त व्यवस्थित रीति से वितरित कर दिया जाएगा।

३७. (१) जब अनवरत अभ्यर्थियों की संख्या घटकर अपूर्ण रिक्त स्थानों की संख्या के बराबर रह जाय, तो अनवरत अभ्यर्थियों को निर्वाचित घोषित किया जाएगा।

(२) जब केवल एक रिक्त स्थान अपूर्ण रह जाय और किसी अनवरत अभ्यर्थी के मतपत्रों का मूल्यांकन अन्य अनवरत अभ्यर्थियों के सभी मंती के मूल्यांकन के पूर्ण योग तथा असंक्रमित अधिकतम से अधिक हो जाय, तो वह अभ्यर्थी निर्वाचित घोषित किया जाएगा।

(३) जब केवल एक ही रिक्ति अपूर्ण रह जाय और केवल दो अनवरत अभ्यर्थी हों और उन दोनों में से प्रत्येक के मंती का मूल्यांकन एक बराबर हो और संक्रमण के योग्य कोई अधिकतम न रह जाय, तो अगले खण्ड के अधीन एक अभ्यर्थी को अपरचित तथा दूसरे को निर्वाचित घोषित किया जाएगा।

३८. जब कभी एक से अधिक अधिकतम वितरण के लिये हों, और दो या उससे अधिक अधिकतम बराबर हों अथवा यदि किसी समय किसी अभ्यर्थी को अपरचित करना आवश्यक हो जाय और दो या उससे अधिक अभ्यर्थी मतदान में निम्नतम हों और उनके मतपत्रों का मूल्यांकन बराबर हो, तो प्रत्येक अभ्यर्थी के मूल मंती पर ध्यान दिया जाएगा, और जिस अभ्यर्थी के सबसे कम मूल मत हों, तो वंचित किया जाएगा, उसका अधिकतम पहले वितरित किया जाएगा अथवा उसको पहले अपरचित किया जाएगा। यदि उसके मूल मतपत्रों का मूल्यांकन बराबर हो तो कुलतत्विच पक्षी डालकर यह विनिरचय करेगा कि अभ्यर्थी का अधिकतम वितरित किया जाय अथवा जिसको अपरचित किया जाय।

३९. पुनर्गणना—यदि कुलतत्विच प्रथम गणना को सुझाव के विषय में सन्तुष्ट न हो, तो यह या तो स्वतः या किसी अभ्यर्थी के अनुरोध पर मंती को पुनर्गणना एक या उससे अधिक बार कर सकता है :

परन्तु यहाँ दो गयी किसी बात से कुलतत्विच के लिये यह सम्भव नहीं होगा कि वह उन्हीं मंती को एक से अधिक बार पुनर्गणना करायें।

४०. संवेक्षण पूरी हो जाने के परचात, कुलतत्विच निर्वाचन परिणाम की रिपोर्ट कुलतत्विच को सुनाने देगा।

४१. कुलतत्विच नाम-निर्देशन-पत्र तथा मतपत्रों को सुहरबन्द पैकेट में रखेगा, जिनमें एक वर्ष की अवधि के लिए सुरक्षित रखा जाएगा।

## भाग-२

### अधिवेशनों में निर्वाचनों का किया जाना

४२. विरचविद्यालय प्राधिकारी या निश्चय के किसी अधिवेशन में, अपेक्षित किसी निर्वाचन की स्थिति में दाय्य तथा अपरचित आमन्त्रित करने के प्रयोजन से पहले से निर्वाचक नामपत्रों को प्रकाशित करना अथवा नाम-निर्देशन आमन्त्रित करना आवश्यक नहीं होगा। सम्पूर्ण रूप से बुलाये गये अधिवेशन में सम्बद्ध प्राधिकारी या निश्चय के उपस्थित सदस्यगण निर्वाचन में भाग लेंगे। निर्वाचन के लिये नाम अन्तिम रूप से अथवा अधिवेशन में प्रस्तुत किये तथा वापस किये जा सकते हैं। मतदानों को दिये गये मतपत्रों में वे नाम होंगे, जिनकी सूचना छात्रों के लिये ठीक समय पर प्राप्त हो गई हो तथा उसमें अन्य नाम जिसके अनर्गत अधिवेशन में प्रस्तुत नाम भी है, बहाने के लिये रिक्त स्थान होगा। कुलतत्विच प्रत्येक सदस्य को ऐसे अधिवेशन को, जिसमें निर्वाचन होगा, सूचना भेजेगा, और उसमें सदस्यों को सूची के साथ ऐसे अधिवेशन का समय, दिनांक और स्थान का उल्लेख होगा। सूचना की अवधि कुलतत्विच द्वारा निर्दिष्ट की जायगी।

(परिचय १६.०१ देखिए)

विरचविद्यालय के अध्यापक-वर्ग के सदस्यों के साथ करार का प्रथम

यह करार आज दिनांक..... २००..... को श्री/श्रीमती/कुमारी..... प्रथम पक्ष तथा..... विरचविद्यालय (जिसे आगे 'विरचविद्यालय' कहा गया है)

दूसरे पक्ष के मध्य किया गया :

एतद्द्वारा निम्नलिखित करार किया जाता है—

१. विरचविद्यालय, एतद्द्वारा, प्रथम पक्ष के फलकार श्री/श्रीमती/कुमारी..... को दिनांक..... से जब प्रथम पक्ष का फलकार, जिसे आगे अभ्यापक कहा गया है, अपने पद के कर्तव्यों का कार्यभार ग्रहण करता है, विरचविद्यालय का अध्यापक नियुक्त करता है, और अध्यापक एतद्द्वारा नियुक्त स्वीकार करता है और विरचविद्यालय के ऐसे कर्तव्यों में भाग लेने तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करने का वचन देता है, जिनको उससे अपेक्षा की जाय, जिसके अनर्गत विरचविद्यालय को सम्पत्ति या विधियों का प्रथम और संरक्षण, शिक्षण का संगठन, औपचारिक या अनौपचारिक अध्यापन और छात्रों का प्रोत्साहन, अनुरोधन बनाने रखना, और किसी पाठ्य-पत्रों या वैयक्तिक कार्य-कलाप के सम्बन्ध में छात्र-कल्याण की प्रेरणा और विरचविद्यालय के ऐसे अन्य पाठ्यव्यवस्थित कर्तव्यों का पालन करना भी है, जो उसे सौंपे जायें, तथा ऐसे अधिकारियों को अधीनस्थ स्वीकार करता है, जिसके अधीन वह विरचविद्यालय के प्राधिकारियों द्वारा तत्काल रखा जाय और विरचविद्यालय द्वारा निर्धारित अध्यापकों को आचरण-संज्ञित का, जैसा कि समय-समय पर उसे संशोधित किया जाय, पालन करेगा और उसके अनुरूप चलेगा,



पानु अध्यापक प्रथमतः एक वर्ष की अवधि के लिये परीक्षा पर रहेंगे और कार्य-परिचर, खासिकेकायुक्त परीक्षा-अवधि एक वर्ष के लिए बड़ा सकते हैं।

२. अध्यापक विरक्षविद्यालय के परिनिषमों के उपरन्धी के अनुसर संक-निवृत्त होगा।

३. अध्यापक के वर वर, वित्त पर वर नियुक्त किया गया है, वेतनमान..... होगा। अध्यापक को वर दिनाङ्क से जब से वर अपने उक्त कार्यओं का भार ग्रहण करता है, उपर्युक्त वेतनमान में.....रुपया प्रतिमास की दर से वेतन दिया जाएगा और वर, जब तक कि परिनिषमों के उपरन्धी के अनुसर वार्षिक वेतन-वृद्धि रोकें नहीं जाती है, अनुवर्षी वृद्धि पर वेतन प्राप्त करेगा :

पानु वहाँ समयमान में कोई वरका-रोक विहित है, वहाँ वरका-रोक के उपर अगली वेतन-वृद्धि अध्यापक को वेतन-वृद्धि रोकने के लिए सरल अधिकारी की स्वेकृति के बिना नहीं दी जाएगी।

४. अध्यापक विरक्षविद्यालय के किसी ऐसे अधिकारी, अधिकारी या निरक्षर के, जिसकी अधिकारिता के अर्थात् वह, जब वह वरार न्यून हो, उक्त अधिनियम या उसके अ-र्थात् बनने गये किसी परिनिषमों के अर्थात् हो, विविधुर्ग निर्देशों का पालन करेगा और अपनी सर्वोच्च योग्यता से उसे कार्यनिवृत्त करेगा।

५. अध्यापक एतद्द्वारा विरक्षविद्यालय द्वारा निर्धारित अध्यापकों की आचरण संहिता का, जैसा कि समय-समय पर उसे संशोधित किया जाय, पालन करने और उसके अनुसर चलने का वधान देता है।

६. किसी भी कारण से वरार की समाप्ति पर अध्यापक विरक्षविद्यालय की समस्त पुस्तकें, लिपि, अभिलेख और अन्य वस्तुएं, उसके कर्म में हो, विरक्षविद्यालय को दे देगा।

७. समस्त मामलों में, इन पक्षकारों के अपनी अधिकार और दायित्व समस्त प्रकृत विरक्षविद्यालय के परिनिषमों और अध्यापकों द्वारा, जिन्हें इसमें सम्बन्धित और उसी प्रकार से इस प्रकार का भार समझा जाएगा, इसमें प्रत्युत्पन्नित विधि गये हैं, और उक्त-प्रदेश राज्य विरक्षविद्यालय अधिनियम, १९७३ के उपरन्धी द्वारा नियन्त्रित होंगे। जिसके लक्ष्य में इन पक्षकारों ने प्रथम उपरिनिश्चित दिनाङ्क तथा वर्ष को अपने हस्ताक्षर किये और मुहर लगाई।

सक्षी— १..... २.....

.....  
अध्यापक के हस्ताक्षर

### परिशिष्ट-‘ग’

(परिनिषम १९.०२.१९.०३, १९.२० और १०.१४ देखिए)

#### अध्यापकों के लिए आचरण-संहिता

वतः जो अध्यापक अपने उत्तरदायित्व के प्रति तथा युवकों के चरित्र-निर्माण एवं ज्ञान, बौद्धिक स्वतन्त्रता और सामाजिक प्रगति को अपसर करने के सम्बन्ध में, जो विरक्षान उसमें निहित किया गया है, उसके इति जागरूक है, उस अध्यापक से इस बात का अनुभव करने की आशा की जाती है कि वह नैतिकता सम्बन्धी नेतृत्व की अपनी भूमिका का निर्वाह समर्थता, नैतिक निष्ठा तथा मन, वचन एवं कर्म में परिश्रम की भावना से अति-प्रति रहकर उपरेश की अपेक्षा आचरण द्वारा अधिक कर सकता है।

अतः उसकी युक्ति की गरिमा के अनुसर यह आचरण-संहिता बनाई जाती है कि इसका पालन कर्तुः निष्ठापूर्वक किया जाय :

१. प्रत्येक अध्यापक अपने नैतिक कार्यओं का पालन पूर्ण निष्ठा एवं कर्तव्य-परायणता से करेगा।
२. कोई भी अध्यापक छात्रों का अधिनियंत्रण करने में न तो कोई पक्षपात या पूर्वोक्त प्रदर्शित करेगा, न उन्हें उत्तेजित करेगा।
३. कोई भी अध्यापक किसी छात्र को अन्य छात्र के विरुद्ध या अपने साथी या विरक्षविद्यालय के विरुद्ध नहीं उतेजित करेगा।
४. कोई भी अध्यापक जति, मत, पन्थ, धर्म, लिङ्ग, राष्ट्रियता या भाषा के आधार पर शिक्षों में भेद-भाव नहीं करेगा। वह अपने सहिष्णु, अधीनस्थ व्यक्तियों तथा छात्रों में भी ऐसे प्रवृत्तियों को हतोत्साहित करेगा और अपने अधिनियंत्रण की उरति के लिये उपर्युक्त विधियों का प्रयोग करने की चेष्टा नहीं करेगा।
५. कोई भी अध्यापक, कार्यनिवृत्ति, विरक्षविद्यालय या महाविद्यालय के समुचित निरक्षरों तथा कुल्यकारियों के विनिश्चयों को कार्यनिवृत्त करने से इनकार नहीं करेगा।
६. कोई भी अध्यापक, कार्यनिवृत्ति, विरक्षविद्यालय या महाविद्यालय के कार्य-कलापर से सम्बन्धित कोई संघर्षीय युक्तन किसी ऐसे व्यक्ति पर प्रकट नहीं करेगा जो उसके सम्बन्ध में अधिकृत न हो।

### परिशिष्ट-‘घ’

(परिनिषम १०.०२ और १०.१४ देखिए)

#### (१) सम्बन्ध महाविद्यालयों में (प्राचार्य से विरक्ष) अध्यापक के साथ कारण का प्रथम

वह कारण आज दिनाङ्क.....२००.....को.....प्रथम पक्ष, जिसे आगे अध्यापक बड़ा गया है, तथा प्राचार्य/सचिव के माध्यम से.....महाविद्यालय.....के प्रबन्धतन्त्र इतिवृत्त पक्ष, जिसे आगे महाविद्यालय बड़ा गया है, के मध्य किया गया। महाविद्यालय ने अध्यापक को, आगे दी गयी शर्तों और निबन्धों पर महाविद्यालय में कार्य करने के लिए.....के रूप में नियुक्त किया है। अतः अब यह कारण इस बात का सक्षी है कि अध्यापक और महाविद्यालय, एतद्द्वारा संविदा करते हैं और निम्नलिखित के लिये सहमत हैं :—

१. नियुक्ति दिनाङ्क.....२००.....से प्रारम्भ होगी और एतद्द्वारा व्यवस्थित रीति से अवधार्य होगी।
२. अध्यापक प्रथमतः एक वर्ष की परीक्षा अवधि पर नियोजित है और उसे.....रुपये का वार्षिक वेतन दिया जाएगा। परीक्षा अवधि उतनी और अवधि के लिए बड़ाई जा सकती है, जिसमें कि महाविद्यालय उचित समझे, किन्तु परीक्षा की कुल अवधि किसी भी निवृत्ति में दो वर्ष से अधिक न होगी।
३. परीक्षा अवधि के पश्चात् स्वामी किये जाने पर महाविद्यालय अध्यापक को उसकी सेवाओं के लिए.....रुपये (केवल.....रुपये) प्रति मास की दर से देगा, जिसे.....रुपये की वार्षिक वेतन-वृद्धि से बड़ाकर.....रुपये प्रतिमास कर दिया जाएगा। वेतन-मान ऐसे पुनरीक्षण के अधीन होगा, जो समय-समय पर राज्य सरकार के अनुमोदन से विरक्षविद्यालय द्वारा किया जाय।
४. उक्त वार्षिक वेतन, वित्त मास में वह अर्जित किया जाय, उसके अगले मास के प्रथम दिनाङ्क को देय हो जाएगा और महाविद्यालय प्रत्येक मास के अधिक से अधिक पन्द्रहमे दिनाङ्क तक अध्यापक को उसका भुगतान कर देगा।
५. अध्यापक विरक्षविद्यालय या प्रबन्धतन्त्र के किसी सदस्य को कोई अन्यायवेदन नहीं देगा, सिवाय प्राचार्य के माध्यम से, जो उसे उक्त अधिकारियों के पास भेज देगा।
६. अध्यापक सचरण कार्यओं के अतिरिक्त, ऐसे कार्यओं का पालन करेगा, जो उसे प्राचार्य द्वारा महाविद्यालय के आन्तरिक प्रशासन या कार्य-कलाओं के सम्बन्ध में सौंपे जा
७. अन्य समस्त मामलों में इन पक्षकारों के अपनी अधिकार और दायित्व समय-समय पर वरारसंशोधित विरक्षविद्यालय के परिनिषमों द्वारा और उक्त-प्रदेश राज्य विरक्षविद्यालय अधिनियम, १९७३ के उपरन्धी द्वारा नियन्त्रित होंगे।

आज दिनाङ्क.....२००.....को.....द्वारा प्रबन्धतन्त्र की ओर से हस्ताक्षरित,

निम्नलिखित की उपस्थिति में अध्यापक द्वारा :

सक्षी— १..... २.....

#### (२) सम्बन्ध महाविद्यालय के प्राचार्य के साथ कारण का प्रथम

वह कारण आज दिनाङ्क.....२००.....को.....(जिसे आगे प्राचार्य बड़ा गया है) प्रथम पक्ष, तथा सभापति के माध्यम से.....महाविद्यालय

है.....(जिसे आगे प्रबन्धतन्त्र बड़ा गया है) इतिवृत्त पक्ष के मध्य किया गया।

प्रबन्धतन्त्र ने प्रथम पक्ष के पक्षकार को आगे दी गयी शर्तों पर महाविद्यालय के प्राचार्य का कार्य करने के लिए नियुक्त किया है। अब यह कारण इस बात का सक्षी है कि प्राचार्य और प्रबन्धतन्त्र एतद्द्वारा निम्नलिखित संविदा करते हैं और उसके लिए सहमत हैं :—

१. यह सेवा-संविदा दिनाङ्क.....२००.....से प्रारम्भ होगी और आगे व्यवस्थित रीति से अवधार्य होगी।
२. प्राचार्य, प्रथमतः एक वर्ष की अवधि पर नियोजित है और उसे.....रुपये का वार्षिक वेतन दिया जाएगा। परीक्षा अवधि प्रबन्धतन्त्र के स्वधिके से और एक वर्ष के लिए बड़ाई जा सकती है।
३. परीक्षा अवधि के पश्चात् स्वामी किये जाने पर प्रबन्धतन्त्र प्राचार्य को.....रुपये के वेतनमान में केवल.....रुपये (.....रुपये) प्रति मास की दर से देगा। वेतनमान ऐसे पुनरीक्षण के अधीन होगा, जो समय-समय पर राज्य सरकार के अनुमोदन से विरक्षविद्यालय द्वारा किया जाय।
४. उक्त वार्षिक वेतन, वित्त मास में वह अर्जित किया जाय, उसके अगले मास के प्रथम दिनाङ्क को देय हो जाएगा और प्रबन्धतन्त्र प्रत्येक मास के अधिक से अधिक पन्द्रहमे दिनाङ्क तक प्राचार्य को उसका भुगतान कर देगा।
५. प्राचार्य ऐसे समस्त कार्यओं का पालन करेगा, जो किसी सम्बन्ध महाविद्यालय के प्राचार्य से सम्बन्धित हो तब ऐसे कार्यओं के सम्बन्ध रूप से पालन के लिये उत्तरदायी होगा। प्राचार्य उक्त महाविद्यालय के आन्तरिक प्रबन्ध तथा अनुसन्धान के लिये पुनरीक्षण से उत्तरदायी होगा, जिसके अन्तर्गत ऐसे मामलों भी हैं जैसे कि सम्बन्धित विभाग के

ज्वेष्ठतम अध्यापक के परामर्श से पाठ्य-पुस्तकों का चयन, महाविद्यालय की अध्यापन शरणा की व्यवस्था, महाविद्यालय के अध्यापक-वर्ग के समस्त सदस्यों को कार्य वितरण, बार्डिंग, प्रकटरी, खेल-कूद अधीक्षकों आदि की नियुक्तियाँ, कर्मचारियों को सुदृढ़ स्वीकृत करना, निम्न श्रेणी के कर्मचारियों, क्या चपरासी, दफ्तरी, माली, तकनीक-सामान आदि की नियुक्ति, पदोन्नति, उन पर नियन्त्रण तथा उन्हें हटाना, प्रबन्धन द्वारा स्वीकृत संख्या के भीतर छात्रों की नि:शुल्कता और अर्द्धनि:शुल्कता स्वीकृत करना, बार्डिंग के माध्यम से महाविद्यालय के छात्रवासों का नियन्त्रण करना, छात्रों का प्रवेश करना, उन पर अनुरागन करना और उन्हें दण्ड देना तथा खेल-कूद और अन्य कार्यक्रमों को संगठित करना। यह छात्रों को समस्त विधियों, क्या खेल-कूद विधि, पब्लिक-विधि, संध (यूनिवर्स) विधि, वाचनालय-विधि, परीक्षा-विधि आदि का प्रबन्ध अपने द्वारा नियुक्त समिति को सहायता से, तथा समय-समय पर विरचविद्यालय से प्राप्त निर्देशों के अनुसार तथा प्रबन्धन द्वारा किसी अर्थ लेखाकार द्वारा, जो प्रबन्धन के सदस्यों में से न होगा, उक्त लेखों की सम्परीक्षा तथा संश्लेष के अधीन रहते हुए, करेगा। लेखाकार की बीस महाविद्यालय को छात्र-विधियों पर परामर्श प्रदाय होगा।

उसको इस प्रयोजन के लिये, सभी आवश्यक शक्तियाँ होंगी, जिससे आचारविद्यालय में अध्यापकों या कर्मचारियों सहित कर्मचारियों के सदस्यों को, प्रबन्धन को सुविधा दिये जाने और उसके द्वारा विनिश्चय करने तक निलम्बित करने की शक्ति भी सम्मिलित है। यह अपने निजी उत्तरदायित्व के क्षेत्र में महाविद्यालय के प्रशासन के सम्बन्ध में विरचविद्यालय अथवा सरकार से प्राप्त निर्देशों का पालन करेगा। विधीय तथा अन्य मामलों में, जिसके लिए केवल यही उत्तरदायी नहीं है, प्राचार्य, प्रबन्धन के निर्देशों का, जैसा उसे लक्ष्य के माध्यम से लिखित रूप से जारी किया जाय, पालन करेगा। प्रबन्धन या लक्ष्य द्वारा कर्मचारियों के सदस्यों को समस्त अनुरोध प्राचार्य के माध्यम से जारी किये जायेंगे और कर्मचारियों का कोई भी सदस्य सिवाय प्राचार्य के माध्यम से, प्रबन्धन के किये सदस्य से सीधे भेंट नहीं करेगा।

प्राचार्य को लिपिबद्ध तथा प्रशासकीय कर्मचारियों के सम्बन्ध में नियन्त्रण तथा अनुरागन की समस्त शक्तियाँ होंगी, जिसके अन्तर्गत वेतन-वृद्धि रोकने की शक्ति भी है। प्राचार्य के कार्यालय में समस्त नियुक्तियाँ उसकी सहमति से की जायेंगी।

६. प्राचार्य, प्रबन्धन तथा प्रबन्धन द्वारा नियुक्त किसी अन्य समिति का पदेन सदस्य होगा और उसे मत देने की शक्ति होगी :

परन्तु यह उस समिति का सदस्य न होगा, जो उसके आचरण की जाँच करने के लिये नियुक्त की जाय।

७. प्राचार्य के जन्म का दिनाङ्क..... है, जिसके प्रत्या में उन्होंने हाईस्कूल का प्रमाण-पत्र/..... परीक्षा का प्रमाण-पत्र, विद्ये हाईस्कूल परीक्षा के समकक्ष मान्य तथा है, प्रस्तुत किये हैं और उसकी एक प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न की है।

८. अन्य समस्त मामलों में इन पक्षकारों के आपसे अधिकार और दायित्व समय-समय पर सफलतापूर्वक विरचविद्यालय के परिचयमें तथा उत्तर प्रदेश विरचविद्यालय अधिनियम, १९७२ के उपबन्धों द्वारा निर्धारित होंगे।

प्रबन्धन की ओर से..... द्वारा आज दिनाङ्क..... २००..... को हस्ताक्षरित। निम्नलिखित की उपस्थिति में प्राचार्य द्वारा—

सहो (१)

पद.....

सहो (२)

पद.....

(३) शैक्षिक सत्र..... की वार्षिक शैक्षिक प्रगति रिपोर्ट का प्रारंभ (परिचय १६, २१ और २७, १६ देखिए)

१. अध्यापक का नाम
२. विभाग, जिससे यह सम्बद्ध हो
३. क्या प्राध्यापक, उपप्राचार्य, अध्यापक, प्राचार्य आदि है?
४. सत्र में प्राप्त शैक्षिक अर्हताएँ या विरचिताएँ, यदि कोई हो
५. अध्यापक को प्रकाशित रचनाएँ या उसके द्वारा किये गये अनुसन्धान-कार्य और/या राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पढ़े गये पत्रिका का विवरण,
६. सत्र के दौरान उसके मार्गदर्शन में कार्य करने वाले अनुसन्धान छात्रों को संख्या और क्या उनमें से किसी को अनुसन्धान-कार्य के लिए उपाधि प्रदान की गयी?
७. सत्र के दौरान विरचविद्यालय या संस्थान या महाविद्यालय में दिये गये व्याख्यान (पाठन कक्षा को छोड़कर) की संख्या.....

८. अभ्युक्ति

मैं स्वयंसेवा घोषणा करता हूँ कि इस शैक्षिक प्रगति रिपोर्ट की अन्तर्वस्तुओं में मेरी व्यक्तिगत जानकारी में सत्य है।

दिनाङ्क..... अध्यापक का हस्ताक्षर

श्री-हस्ताक्षरितपद-नाम

**परिशिष्ट - 'ड'**

(परिचय ११, १२-ख देखिए)

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय

स्व-मूल्याङ्कन विभाग का निर्देश

खण्ड-एक

१. नाम दिनाङ्क
२. पद-नाम
३. जन्म-दिनाङ्क
४. शैक्षिक अर्हताएँ
५. विरचविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने का दिनाङ्क
६. स्थायीकरण का दिनाङ्क
७. अध्यापन-कार्य का अनुभव  
संख्या का नाम धृत पदकित दिनाङ्क शैक्षिक दिनाङ्क तक कुल अवधि
८. विभिन्न स्तर पर अध्यापित पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों का नाम—  
(विलग्न श्रेणियों देखिए)  
(क) अधिस्नातक—  
(ख) स्नातकोत्तर—  
९. वत तीन वर्षों में अध्यापित पाठ्यक्रम (टीक-टीक श्रेणियों देखिए)  
(क) अधिस्नातक—  
(ख) स्नातकोत्तर—  
१०. पढ़ाये जाने वाले पाठ्यक्रम के लिये सामग्री के स्रोत का श्रेण, जिसका आपने अभ्यसन किया (पुस्तकें, जर्नल आदि)  
११. आपके द्वारा प्रयोग की गयी अध्यापन की रीति का श्रेण (अध्यापन, ट्यूटोरियल, संगोष्ठी, प्रैक्टिकल आदि)  
१२. निम्नलिखित शिक्षा-सत्र के दौरान ट्यूटोरियल का श्रेण—  
अधिस्नातक पाठ्यक्रम स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम कितनी बार निर्दिष्ट कार्य को जाँच  
१३. निम्नलिखित शिक्षा-सत्र में आप आर्बिट्रल कक्षाओं नीचे दी गयी निर्धारिता के किस स्तर में ले लिये—  
(जो प्रयोज्य हो उस पर चक्र बना देखिए)  
(क) १० प्रतिशत से १०० प्रतिशत तक  
(ख) ८० प्रतिशत से १० प्रतिशत तक  
(ग) ७० प्रतिशत से ८० प्रतिशत तक  
(घ) ७० प्रतिशत से नीचे।

**खण्ड-दो**

१. निम्नलिखित उपाधियों का श्रेण देखिये—

१. निम्नलिखित उपविधियों का श्रेण संक्षेप—

उपविधियाँ विश्वविद्यालय उपविधि देने जाने का शोध-प्रबन्ध का वर्ष विषय

एम.फिल.पी-एच.डी.पी.एड.पी.एल.सी.

२. शोधप्रबन्ध (संक्षेप), यदि प्रकाशित हुआ हो, का श्रेण (इसको एक प्रति संलग्न की जावे)

३. प्रकाशित शोध-पत्र, पुस्तक, विशेष निबन्ध (मोनोग्राफ), समीक्षा (रिव्यू), पुस्तक के प्रकरण, अनुवाद और सृजनात्मक रचना आदि, यदि कोई हो, का श्रेण

४. सम्मेलन, संशोध, कार्यशाला (संस्थापक) जिन्होंने भाग लिया प्रस्तुत किये गये निबन्ध और/वा पूरा पदोप रिपति का श्रेण देंगिए।

५. वीमाकातीय संस्थान, अधिगमन (ट्रिब्यूनल) वा अधिगमन पाठ्यक्रम (ऑरियन्टेशन कोर्स) जिसमें भाग लिया (श्रेण देंगिए)।

६. शोध मार्गदर्शन (रिपॉर्ट गाइडेन्स)/वृत्तिक परामर्श (मेकेरलल कन्सल्टेन्स), यदि कोई हो, का श्रेण

७. वृत्तिक/वैशिक निबन्धों, सोसइटी आदि की सदस्यता वा फेलोशिप (श्रेण देंगिए)।

८. ऐसे वैशिक कार्यशालाओं के सम्बन्ध में जो इस खण्ड के अन्तर्गत न आते हों, कोई अन्य सूचना।

#### खण्ड-तीन

अपनी संस्था के समीक्षित जीवन (कार्योपेरेट लाइफ) में अंशदान का श्रेण।

१. (क) पाठ्यपुस्तक विकास (ख) सांस्कृतिक/पाठ्योपेरेट कार्य-कलाप (ग) खेलकूद/सांस्कृतिक और प्रसार सेवाएँ (घ) प्रशासनिक कार्य (ङ) कोई अन्य

२. कोई अन्य सूचना, जो उपर्युक्त प्रकाशनों के अन्तर्गत न आते हों।

मैं प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर दी गयी सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही और वास्तविक है।

हस्ताक्षर.....विभाग.....

#### परिशिष्ट- 'घ'

(परिचय ११.१२ (ग) देखिए)

#### भाग-१

शैक्षणिक सत्र.....हेतु विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के शिक्षकों का वार्षिक शैक्षणिक प्रगति प्रतिवेदन।

१. शिक्षक का नाम..... २. विभाग.....

३. पद-नाम.....

४. सत्र के दौरान प्राप्त की गई शैक्षणिक योग्यता वा विशिष्ट उपलब्धियाँ।

५. सत्र के दौरान प्रकाशनों वा किम् गद् शोध का विवरण (शोध जर्नल पत्रिका का नाम लिखें)।

(१) प्रकाशित पुस्तकें—( ) पाठ्य-पुस्तक ( ) सन्दर्भ-पुस्तक

(२) राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय शोध-पत्रिकाओं में प्रकाशित पत्र— ( ) स्वतंत्र (Independent authorship) ( ) सह-लेखन (Co-authorship)

(३) प्रकाशनात्मक संस्कृत शोध-पत्र..... (४) परिसंवाद/सम्मेलनों में प्रस्तुत शोध-पत्र

(५) राज्य वा राष्ट्रीय आयोग/समितियों/राज्य निबन्धों के सम्बन्ध प्रस्तुत भेजे गये ज्ञापन।

६. शिक्षक के मार्गदर्शन में शोध-छात्रों का विवरण :—

(१) पञ्जीकृत शोध-छात्रों की कुल संख्या..... (२) शोध उपविधि प्राप्त छात्रों की संख्या.....

७. दिए गये विशेष व्यञ्जनों का विवरण :—

(१) विश्वविद्यालय सहायता

(२) अन्य संस्थान/विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सहायता

८. शैक्षणिक उपलब्धियों के सन्दर्भ में अन्य कोई सूचना।

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि शैक्षणिक प्रगति प्रतिवेदन में दी गई सूचनाएँ मेरी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सही हैं।

दिनाङ्क..... शिक्षक का हस्ताक्षर..... प्रतिहस्ताक्षर (विभागाध्यक्ष/प्रधानाचार्य)

#### भाग-२

१. शैक्षणिक योग्यताओं का विस्तृत विवरण :—

परीक्षा विषय वर्ग श्रेणी

हाईस्कूल इम्पेरे स्नातक स्नातकोत्तर शोध उपविधि डिप्लोमा वा प्रमाण-पत्र

२. प्रकाशित शोध-पत्र, पुस्तक, एकल विषय पर लेख (मोनोग्राफ), पुस्तक संख्या, पुस्तकों के अन्वय, अनुदान तथा रचनात्मक लेखन आदि, का विस्तृत विवरण।

३. पूर्ण की गई/वाला रही शोध-परियोजनाओं का विवरण :—

परियोजना का निधि प्रदान करने वाले/अर्थात् अभ्युक्ति शीर्षक अधिगमन का नाम

४. वैशिक सम्मेलनों/परिसंवाद तथा कार्यशालाओं में भागीदारी का विवरण (प्रस्तुत किये गये शोध-पत्रों तथा धारित पत्रों का पूरा विवरण)।

५. वीमाकातीय पाठ्यक्रम, पुनरपरीक्षा वा अधिविन्धात पाठ्यक्रम में भागीदारी (पूरा विवरण दें)।

६. किसी शोध-पत्रिका के सम्पादकीय मण्डल/शैक्षणिक निबन्धों की सदस्यता का विवरण।

#### भाग-३

अपनी संस्था के निर्दिष्ट जीवन में आय द्वारा दिए गद् योगदान का विवरण :—

१. (क) पाठ्यक्रम-विकास (ख) सांस्कृतिक/पाठ्योपेरेट गतिविधियाँ

(ग) खेलकूद/सांस्कृतिक एवं प्रसार सेवाएँ (घ) प्रशासनिक सम्बन्ध

(ङ) प्रवेश परीक्षा कार्यों में भागीदारी (च) अन्य कार्य।

२. जो उपर्युक्त प्रकर (श्रेणियों) में आव्यदिष्ट न हुई हों (कोई अन्य सूचना)।मैं सत्यापित करता हूँ कि उपर्युक्त दी गई सूचनाएँ सही एवं सत्यात्मक हैं।

दिनाङ्क हस्ताक्षर

पद-नाम

#### परिशिष्ट- 'डी'

(परिचय ११.१२ (ग) देखिए)

#### स्वसूच्यार्जन हेतु प्रश्न

सूच्यार्जन-वर्ष.....

१. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का पूरा नाम.....

२. प्राध्यापक का नाम.....

३. पद-नाम.....

४. जन्म-तिथि.....

५. वर्तमान विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में प्राध्यापक पद पर नियुक्ति आदेश संख्या सहित.....

६. कार्यभार ग्रहण करने की तिथि.....

७. स्थायीकरण की तिथि.....

८. शिक्षण अनुभव—

संस्था का धारित नियुक्ति की प्रकृति कब से कब कुल नाम पद तक अर्थात्

अंशकारीक/अवकाश प्रबन्ध/तदर्थ/अस्थायी/स्थायी (स्पष्ट उल्लेख किया जावे)



१. विभिन्न स्तरों पर पढ़ाने वाले विद्यार्थी एवं प्रशिक्षकों का विवरण :-

(क) स्नातक..... (ख) स्नातकोत्तर.....

१०. पढ़ाने वाले पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में आप द्वारा प्रस्तुत सामग्री का स्रोत (पुरतर्क, रोप-परिष्कार, आदि का विवरण दें)।

११. आप द्वारा अपनाये गये शिक्षण-विधियों का विवरण (व्याख्यान, उप-सैद्धांतिक कक्षाएँ, ट्यूटोरियल परिचय, प्रायोगिक, पटना, केस स्टडी, समूह-चर्चा आदि)

१२. वास्तविक व्याख्यान का विवरण:-

सब कक्षा विषय/प्रश्न-सत्र में सब में प्रवृत्त

सत्र का नाम आर्द्रित दिने गये परीक्षाकलाख्यान का व्याख्यान का संकाय

१३. सत्र में असाधारण अवकाश का विवरण (यदि सत्र में कोई लिया हो)।

परिशिष्ट - 'ब'

(परिचय २१.०६ देखिए)

सेवाकाल में मृत शिक्षकों/शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के अधिकारों की भाँती नियमावली

१. संक्षिप्त नाम तथा शारम्भ—

(१) यह नियमावली, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, सेवाकाल में मृत शिक्षकों/शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के अधिकारों की भाँती नियमावली कहलायेगी।

(२) यह जारी होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।

२. परिचय— जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में—

(क) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सेवक का तात्पर्य विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों से सम्बद्ध संस्कृत महाविद्यालय/विद्यालय में सेवायोजित ऐसे शिक्षक/कर्मचारी से जो,

(१) ऐसे सेवायोजन में स्वामी या, या

(२) यद्यपि अस्थायी है, तथापि ऐसे सेवायोजन में नियमित रूप से नियुक्त किया गया था, या

(३) यद्यपि नियमित रूप से नियुक्त नहीं है, तथापि ऐसे सेवायोजन में नियमित रिक्ति में, तब तक वर्ष की निरन्तर सेवा की है।

स्पष्टीकरण—(क) नियमित रूप से नियुक्ति का तात्पर्य यथावर्ति, पर पर या सेवा में भर्ती के लिए अधिकाधिक प्रक्रिया के अनुसार नियुक्ति किये जाने से है।

(ख) मृतक विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/विद्यालय सेवक का तात्पर्य ऐसे विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/विद्यालय सेवक से है, जिसकी मृत्यु सेवा में पहले हुए हो जाय।

(ग) कुटुम्ब के अन्तर्गत मृतक विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सेवक के निम्न-लिखित सम्बन्धी होंगे—

(१) पत्नी या पति, (२) पुत्र, (३) अधिकाधिक पुत्रियाँ अथवा विधवा पुत्रियाँ।

(घ) कार्यालय के प्रधान का तात्पर्य, यथावर्ति, विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के प्रधान से है।

(ङ) विश्वविद्यालय का तात्पर्य सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से है और महाविद्यालय का तात्पर्य सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से सम्बद्ध राज्य महाविद्यालय अथवा क्षेत्रीय संस्कृत महाविद्यालय/विद्यालय से है।

३. यह नियमावली उन सेवाओं और पदों को छोड़कर, जिस पर विश्वविद्यालय अधिनियम और परिचय में निर्धारित प्रक्रिया से नियुक्तियों की जाती है, विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की सेवाओं और पदों पर मृतक विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के सेवकों के अधिकारों की भाँती पर लागू होगी।

४. इस नियमावली का आद्योद्देश्य प्रथम—इस नियमावली के शारम्भ होने के समय प्रवृत्त किसी नियमों, विनियमों या आदेशों के अन्तर्गत किसी अधिकृत बात के होने हुए भी यह नियमावली तथा तदधीन जारी किया गया कोई आदेश प्रथमो होगा।

५. (१) यदि इस नियमावली के शारम्भ होने के पश्चात् किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाय, तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को, जो केंद्रों पर सरकार या राज्य सरकार को सेवा में या उसके स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियमित किसी शिक्षण के अधीन या विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिए आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुए विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सेवा में उपर्युक्त सेवायोजन प्रदान किया जायगा—

यदि ऐसा व्यक्ति— (१) उस पद के लिए चिह्नित शैक्षिक अर्हता रखता हो।

(२) अन्य प्रकार से विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सेवा के लिए अर्ह हो, और

(३) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सेवक की मृत्यु के दिनाङ्क से पाँच वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिए आवेदन करता है। परन्तु जहाँ विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का यह समाधान हो जाय कि सेवायोजन के लिए आवेदन करने के लिए निश्चित समय-सीमा से किसी विशिष्ट नामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहाँ या उन अपेक्षाओं को, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और सम्पूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अनुसूक्त या निश्चित कर सकता है।

५. (२) ऐसी नौकरी विश्वविद्यालय/उस महाविद्यालय में हो जायगी, जहाँ मृतक सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवायोजित था।

६. सेवायोजन के लिए आवेदन-पत्र की विषयवस्तु इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिए आवेदन-पत्र, जिस पत्र पर नियुक्ति अभिलिखित है, उस पत्र से सम्बन्धित नियुक्ति अधिकारी को सम्बोधित किया जायगा।

आवेदन-पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सूचना दी जायगी—

(क) मृतक विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सेवक की मृत्यु का दिनाङ्क।

(ख) विभाग और पद, जिस पर वह मृत्यु के पूर्व कार्यरत था।

(ग) मृतक के कुटुम्ब के सदस्यों के नाम, उनकी आयु तथा अन्य विवरण, विशेषतया उनके विवाह, सेवायोजन तथा आय सम्बन्धी विवरण।

(घ) कुटुम्ब की वित्तीय दशा का ब्यौरा, और

(ङ) आवेदक की शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएँ, यदि कोई हों।

७. प्रक्रिया, जब कुटुम्ब के एकाधिक सदस्य सेवायोजन चाहते हों—

यदि मृतक विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सेवक के कुटुम्ब के एकाधिक सदस्य इस नियमावली के अधीन सेवायोजन चाहते हों, तो विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सेवायोजन के लिए व्यक्ति की उपयुक्तता को निश्चित करेगा। समस्त कुटुम्ब विशेषतया उसकी विधवा तथा अल्पवय सदस्यों के कल्याण के निमित्त उसके सम्पूर्ण हित को भी ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जायगा।

८. आयु तथा अन्य अपेक्षाओं में शिथिलता— (१) इस नियमावली के अधीन नियुक्ति चाहने वाले अभ्यर्थी की आयु नियुक्ति के समय १८ वर्ष से कम नहीं होने चाहिए।

(२) चयन के लिए प्रक्रिया सम्बन्धी अपेक्षाओं से यथा लिखित परीक्षा अथवा चयन-समिति द्वारा सहायकार से मुक्त कर दिया जायगा। किन्तु अभ्यर्थी पर-विषयक प्राप्तिगत कार्य तथा दक्षता के न्यूनतम स्तर को नकारने रखेगा तथा इस बात का समाधान करने के उद्देश्य से अभ्यर्थी का सहायकार करने के लिए नियुक्ति अधिकारी स्वतन्त्र होगा।

(३) इस नियमावली के अधीन कोई नियुक्ति विद्यमान रिक्ति में की जायगी— इतिवन्त यह है कि यदि कोई रिक्ति विद्यमान न हो, तो नियुक्ति तुरन्त किसी ऐसे अधिसंख्य पद के प्रति की जायगी, जिसे इस प्रयोजन के लिए सुनिश्चित किया गया समझा जायगा और जो तब तक चलेगा, जब तक कोई रिक्ति उपलब्ध न हो जाय।

९. सामान्य अर्हताओं के सम्बन्ध में नियुक्ति अधिकारी का समाधान—

किसी अभ्यर्थी को नियुक्त करने के पूर्व नियुक्ति अधिकारी अपना यह समाधान करेगा कि—

(क) अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा है कि वह विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सेवा में सेवायोजन करने के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

टिप्पणी—सर्व सरकार या राज्य सरकार या इसके स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियमित किसी निगम अथवा विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा पदभ्युक्त व्यक्ति सेवा में नियुक्ति के लिए पत्र नहीं समझे जायेंगे।

(ख) वह मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त है, जिसके कारण उसके द्वारा अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो तथा इस बात के लिए अभ्यर्थी से उक्त मामले में लागू नियमों के अनुसार समुचित चिकित्सा अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने और स्वास्थ्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायगी। पुरुष अभ्यर्थी को दस्ता में उसकी एक से अधिक पत्नी ज्ञापित न हो और किसी महिला अभ्यर्थी को दस्ता में उसने ऐसे व्यक्ति से विवाह न किया हो, जिसकी पहले से ही एक पत्नी ज्ञापित हो।

१०. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति—राज्य सरकार इस नियमावली के किसी उपबन्ध के कार्यान्वयन में किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ कोई ऐसा सामान्य या विशेष आदेश दे सकती है, जिसे वह उचित व्यवहार या लोकहित में आवश्यक या समीचीन समझे।

परिशिष्ट - 'घ'

(परिनिघम ११.०७ देखिए)

राज्य महापताप्रान्त संस्कृत विद्यालयों/महाविद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षणेतर कर्मचारियों की मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति आनुसोचिक नियमावली

भाग-क सामान्य उपबन्ध

1. यह नियमावली 'उत्तर-प्रदेश राज्य महापताप्रान्त संस्कृत विद्यालयों/महाविद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षणेतर कर्मचारियों की मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति आनुसोचिक नियमावली' कहलायेगी।
2. यह ३० जून, १९८९ से प्रवृत्त समझी जायेगी।
3. यह नियमावली विधित्त मासिक वेतन भुगतान १ अप्रैल, १९८७ को परिधि में ३०/०६/१९८९ या उसके परचाय् कार्यात केवल उन राज्य महापताप्रान्त संस्कृत विद्यालयों/महाविद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षणेतर कर्मचारियों पर लागू होगी, जो किसी स्थानीय निकाय अथवा किसी अशासकीय प्रबन्धतन्त्र द्वारा सञ्चालित हैं तथा जो ५८ वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होने के पक्ष में अपना विकल्प इस नियमावली की विधि की विधि से छ: मास के अन्दर दे देंगे। विकल्प का एक बार प्रयोग कर लेने पर वह अन्तिम समझा जायगा। शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की विधि स्थान्त मानी जायेगी और शिक्षणेतर कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की विधि मासतन मानी जायेगी।
4. इस नियमावली की विधि की उपरान्त विद्युक्त शिक्षकों/शिक्षणेतर कर्मचारियों द्वारा अपने त्यागोपकरण की विधि से दो वर्षों के अन्दर ५८ वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होने के पक्ष में अपना विकल्प न देने पर यह नियमावली उन पर लागू नहीं होगी।

विकल्प का एक बार प्रयोग कर लेने पर वह अन्तिम समझा जायगा।

भाग-ख परिभाषाएँ

1. परिवार में शिक्षकों/शिक्षणेतर कर्मचारियों पर पूर्वतया अंकित निम्नलिखित सम्बन्धो होने—
  1. पुरुष कर्मचारी की दशा में, पत्नी
  2. महिला कर्मचारी की दशा में, पति
  3. पुर, जिसमें सौतेले तथा दत्तक दोनों प्रकार के बच्चे सम्मिलित हैं।
  4. अविवाहित तथा विधवा पुत्रियाँ।
  5. १३ वर्ष से कम आयु के बच्चे तथा अविवाहित व विधवा बहनें, जिनमें ऐसे सौतेले बच्चे व बहनें भी सम्मिलित हैं।
  6. पिता
  7. माता
  8. विवाहित पुत्रियाँ (जिनमें ऐसे सौतेली पुत्रियाँ भी सम्मिलित हैं)
  9. पूर्व मृत पुर के बच्चे।
2. 'स्थानीय निकाय' का तात्पर्य पंचायत समित्त तथा उत्तर-प्रदेश सरकार द्वारा मान्य किसी स्थानीय अधिकरण से है, जिसमें नगर महानपालिका, जिला परिषद् अथवा मेयोरीसमिड्ट परिषद् सम्मिलित हैं।
3. 'प्रबन्धक' का तात्पर्य तैर सरकारी रूप से प्रबन्धित संस्था की प्रबन्ध समिति या किसी स्थानीय निकाय अथवा किसी ऐसे अन्य निकाय का ऐसे किसी अधिकृत आधिकारी से है, जिसमें किसी संस्था का प्रबन्ध करने का अधिकार निहित हो और जो इस रूप में शासन द्वारा मान्य हो।
4. 'अर्हकारी सेवा' का तात्पर्य उस सेवा से है, जो पेंशन आगमन के लिए अर्हकारी सेवा के रूप में गिनी जाय।
5. शिक्षक/शिक्षणेतर कर्मचारियों का तात्पर्य उस स्थानीय पूर्णकालिक व नियमित रूप से विद्युक्त ऐसे व्यक्तियों से है, जो नियमित मासिक वेतन भुगतान के अन्तर्गत कार्यत राज्य महापताप्रान्त संस्कृत विद्यालयों/महाविद्यालयों के पूर्णकालिक शिक्षक/शिक्षणेतर कर्मचारी अधिष्ठान में हों।
6. 'परितस्थिती' का तात्पर्य मूल वेतन से है, जो शिक्षक/शिक्षणेतर कर्मचारी प्रतिमाह पाता है। जैसे—
 

उनको व्यतिरक्त अर्हकारी की दृष्टितन रखते हुए स्वीकृत वेतन की छोटकर जो भी वेतन उस पद के लिए स्वीकृत किया गया हो, जिस पर वह वा तो स्वयं वा स्थान-पत्र रूप से विद्युक्त हो और जिसको वह संवर्ग में अपनी स्थिति के कारण पाने का अधिकारी हो।

भाग-ग सेवानिवृत्ति आनुसोचिक

1. कोई शिक्षक/शिक्षणेतर कर्मचारी निम्नलिखित अवस्थाओं में इस नियमावली के अन्तर्गत आनुसोचिक पाने का पात्र होगा।
  1. विकल्प-पत्र के अनुसर ५८ वर्ष की अधिवय पर सेवानिवृत्त होने पर,
  2. ५८ वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होने वा विकल्प देने वाले ऐसे शिक्षक/शिक्षणेतर कर्मचारी, जो २० वर्ष की अर्हकारी सेवा पूरी कर लेने अपना ५५ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के परचाय् स्वेच्छया सेवानिवृत्त होना चाहे,
  3. ५८ वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होने वा विकल्प देने वाले ऐसे शिक्षक/शिक्षणेतर कर्मचारी, जो आगे सेवा के लिए स्थायी रूप से असमर्थ होने का प्रमाणपत्र देकर ५८ वर्ष की आयु के पूर्व सेवानिवृत्त हो।
2. आनुसोचिक के लिए अर्हकारी सेवा तथा आनुसोचिक की धनराशि की गणना राज्य कर्मचारियों की समय पर देय आनुसोचिक की गणना की विधि द्वारा ही की जायेगी।
3. आनुसोचिक स्वीकृत करने के लिए नियन्त्रक अधिकारी सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षणेतर कर्मचारी के पेंशन स्वीकृति अधिकारी होंगे।
4. आनुसोचिक स्वीकृत करने वाले अधिकारी स्वीकृति आदेश पर एक प्रमाणपत्र अभिलिखित करेंगे कि सेवानिवृत्त अभ्यापक पर कोई राजकीय/प्रबन्धतन्त्र की धनराशि काही नहीं है। यदि सरकार अथवा विद्यालय के प्रबन्धतन्त्र की कोई पावना शिक्षक/शिक्षणेतर कर्मचारी के उपर है, तो नियन्त्रक अधिकारी को यह अधिकार होगा कि इस नियमावली के अन्तर्गत शिक्षक/शिक्षणेतर कर्मचारी को देय आनुसोचिक में से उक्त पावना की धनराशि काटकर समाधेयित कर लें।
5. सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षणेतर कर्मचारी विधित्त अवधि में अपना विकल्प संलग्न प्रारूप पत्र 'क' में लीन प्रतियों में भरकर अपनी संस्था के माध्यम से नियमित मासिक वेतन भुगतान के अन्तर्गत विधित्त तक्षम अधिकारी (जिस विद्यालय निरीक्षक) को प्रतिहातखरित हातकर करने हेतु देगा। प्रतिहातखरितोपरान्त एक प्रति सम्बन्धित आधिकारी अपने पास रोककर एक प्रति नियन्त्रक अधिकारी को तथा अन्य प्रति विद्यालय/महाविद्यालय के प्रबन्धक को वापस कर देंगे, जो सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षणेतर कर्मचारी की सेवा-पुस्तिका में वापस कर दी जायेगी।
6. आनुसोचिक सम्बन्धो अन्य मामलों में, जिसको इस नियमावली में विरहित: व्यवस्था न की गयी हो, उसके लिए शिक्षा निदेशक, उत्तर-प्रदेश द्वारा शासन से स्पष्ट आदेश प्राप्त किये जायेंगे।
7. इस नियमावली के नियमों के विषय में किसी कठिनाई अथवा सन्देह की दशा में प्रकरण प्रशासन को वापारयक स्पष्टोकरण एवं आदेश हेतु शिक्षा निदेशक, उत्तर-प्रदेश के माध्यम से सन्दर्भित किया जा सकेगा।
8. इस नियमावली से शासित शिक्षक/शिक्षणेतर कर्मचारी संलग्न प्रार 'ख' पर अपने परिवार के एक वा अधिक सदस्यों को आनुसोचिक प्राप्त करने के लिए अधिकार देने के निमित्त एक नामाङ्कन नियम-१६ में उल्लिखित अधिकारी को करेगा, जिसमें न्यमित व्यक्तियों को मिलने वाली आनुसोचिक की धनराशि या अंश का स्पष्ट उल्लेख रहेगा। परिवार के सदस्यों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में किया गया नामाङ्कन अमान्य होगा।
9. शिक्षक/शिक्षणेतर कर्मचारी इस नामाङ्कन को नियम-१६ में उल्लिखित अधिकारी को लिखित सूचना देकर, दूसरे को हस्तान्तरित हो जाने की अवस्था नामाङ्कन में से न होने की दशा में किसी घटना के फलस्वरूप नामाङ्कन अवैध (इन्वैलिड) कहे जाने पर शिक्षक/शिक्षणेतर कर्मचारी इस नामाङ्कन को निरस्त करने की सूचना उक्त आधिकारी को मने नामाङ्कन के साथ देगा।
10. नामाङ्कन निरस्त करने की सूचना तथा नया नामाङ्कन उस विधि से प्रवाधो होगा, जिस विधि को वह उपर्युक्त नियम-१६ में उल्लिखित अधिकारी को प्राप्त होगा तथा प्रतिहातखरित किया जायगा।
11. शिक्षक/शिक्षणेतर कर्मचारी द्वारा अपनी मृत्यु-पूर्व कोई नामाङ्कन न करने की दशा में आनुसोचिक की धनराशि विधवा पुत्रियों को छोड़कर उपर्युक्त नियम के क्रम-१ से ४ तक पर उल्लिखित उसके परिवार के सदस्यों को बराबर-बराबर अंशों में भुगतान की जाय, तथा यदि परिवार के क्रमाङ्क १ से ४ तक के सदस्य न हों, तो उक्त नियम-५ के क्रम ५ से ९ तक उल्लिखित उसके परिवार के सदस्यों तथा विधवा पुत्रियों को बराबर अंशों में भुगतान की जायेगी। इस नियमावली के अधीन आनुसोचिक स्वीकृत करने के लिए सर्वश-पत्र शिक्षा निदेशक, उत्तर-प्रदेश द्वारा विधित्त प्रतियों पर दिया जायगा।
12. कोई भी आनुसोचिक उस दशा में नहीं दिया जायगा, जब कि शिक्षक/शिक्षणेतर कर्मचारी ने स्वयंभर दे दिया हो अथवा कटपकरण (मिस कन्वक्ट), दिवालिया होने वा कार्य असमर्थ के कारण सेवा से पदच्युत किया गया हो अथवा हटा दिया गया हो।



**अनुसूचिक आवेदन-पत्र**

सहायतागत संस्कृत विद्यालयों/महविद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजाज्ञा संख्या द्वारा अनुसूचित अनुसूचिक नियमावली के अन्तर्गत अनुसूचिक हेतु आवेदन-पत्र (नियमावली के) नियम-२५ के अनुसार :

**भाग-अ**

**(शायी, प्रधानाचार्य तथा प्रबन्धक के प्रयोग हेतु)**

१. विद्यालय का नाम.....
  २. शिक्षक/शिक्षणोत्तर कर्मचारी का नाम तथा स्थायी पता.....
  ३. पितर/पति का नाम.....
  ४. पद-नाम.....
  ५. वेतनक्रम.....
  ६. विद्यालय में अतिरिक्त नियुक्ति की तिथि.....
  ७. स्थायीकरण की तिथि.....
  ८. जन्मतिथि.....
  ९. ५८ वर्ष के अधिवय पर सेवानिवृत्त होने का विकल्प देने की तिथि.....
  १०. ५८ वर्ष की आयु पूरी करके सेवानिवृत्ति की तिथि तक पेंशन आगमन हेतु मान्य अर्हकारी सेवा—
  ११. ४५ वर्ष की आयु पूरी करके सेवानिवृत्ति की तिथि तक पेंशन आगमन हेतु मान्य अर्हकारी सेवा—
  १२. २० वर्ष की सेवा पूरी करके सेवानिवृत्ति की तिथि तक पेंशन आगमन हेतु मान्य अर्हकारी सेवा—
  १३. अपने सेवा के लिये स्थायी रूप से अतन्त्र होने का प्रमाण-पत्र देकर ५८ वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति के इच्छुक शिक्षक/शिक्षणोत्तर कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तिथि तक पेंशन आगमन हेतु मान्य अर्हकारी सेवा—
- नोट—१०, ११, १२ अथवा १३ जो लागू न हो, उसके सामने (x) का चिह्न बनावे।
१४. सन् १०, ११, १२, १३ के सम्मुख अतिरिक्त अतिरिक्त सेवा अधि का विवरण सेवा-पत्रिका के अनुसार—
- विद्यालय का नाम से तक वर्ष महीना
१५. अनुसूचिक हेतु मान्य एकाही अधि की संख्या, सन् १४ के सम्म अतिरिक्त मान्य सेवा अधि के आधार पर—
१६. सेवाकाल में मृत्यु की दशा में शिक्षक/शिक्षणोत्तर कर्मचारी की मृत्यु की तिथि—
१७. सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि के ठीक पूर्व शिक्षक/शिक्षणोत्तर कर्मचारी की परितन्त्रियों का विवरण—
- (१) मूल वेतन—
- (२) मईगार्ड व अतिरिक्त मईगार्ड भत्ते का यह अंश जो पेंशन आगमन हेतु सामन द्वारा वेतन का अंश माना गया हो—
- (३) विशेष वेतन अथवा व्यक्तित वेतन-योग

नोट—परितन्त्रियों के निर्धारण हेतु नियमावली के नियम-१३ के मोचे अतिरिक्त टिप्पणी को दृष्टिगत रखा जाय।

१८. अनुसूचिक नियमावली के नियम-१३ के अन्तर्गत सेवानिवृत्ति की तिथि को देय अनुसूचिक धनराशि अधि सन् ७ के सम्म अतिरिक्त राशि सन् १४ के सम्म अतिरिक्त विवरण के अनुसार पूर्ण एकाही सेवा अधि रु. .... अथवा रु. १,००,००० इनमें जो भी कम हो—

१९. मृत्यु हो जाने की दशा में नियमावली के नियम-१७ के अन्तर्गत देय मृत्यु अनुसूचिक की धनराशि अर्थात् सन् १७ में परिभाषित अंतिम उपरोक्तियों की धनराशि अथवा रु. १,००,००० इनमें जो भी कम हो—

२०. शिक्षक/शिक्षणोत्तर कर्मचारी द्वारा नियमावली के नियम-२१ के अन्तर्गत निम्नलिखित स्थितियों तथा उनसे प्रत्येक को देय अनुसूचिक का विवरण—

२१. सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षणोत्तर कर्मचारी के मृत्यु राजकीय/प्रबन्धक के बकायों का विवरण यदि कोई हो—

दिनाङ्क ..... शायी का हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि शायी द्वारा उपरोक्त तथ्यों का सम्पादन सम्बन्धित अधिसूचों से कर दिया गया है और वे सत्य हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उनके सामान्य परिवर्तन से स्वीकृत अधियों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कोई वसूली शेष नहीं है। निम्नलिखित मदों के अन्तर्गत वसूली शेष है तथा शायी ने न तो विद्यालय से त्यागपत्र दिया है और न ही उसे कभी कदाचारण, दिवालियापन या कार्य अक्षमता के कारण पदमुक्त किया गया है या हटाया गया है।

वसूली का विवरण (यदि कोई हो) धनराशि.....

हस्ताक्षर प्रधानाचार्य

(विद्यालय की मुहर)

मैं श्री प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्य के उपरोक्त कथन का समर्थन करते हुए श्री/श्रीमती/कु.....के अनुसूचिक की पूरी राशि रु.....(शब्दों में).....के मुताबिक की संस्तुति करता हूँ, क्योंकि इनके विरुद्ध किसी प्रकार की वसूली शेष नहीं है, रु.....की वसूली शेष है, जिसे मुताबिक की देय राशि में से काट लिया जाय।

हस्ताक्षर प्रबन्धक

मुहर

**भाग-ब**

**(जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय के प्रयोग हेतु)**

प्रबन्धक/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्य के उपरोक्त कथनों की पुष्टि करते हुए प्रमाणित किया जाता है कि सन् १६ अथवा १९ के अधिगत सेवानिवृत्तिक/मृत्युवन् अनुसूचिक की धनराशि.....की जीप में द्वारा शायी के माह के वेतन-विल से कर ली गयी है और श्री/श्रीमती/कु.....को अथवा इनके अतिरिक्त को रु.....की सेवानिवृत्तिक/मृत्युवन् अनुसूचिक की स्वीकृति की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर सेक्षाधिकारी हस्ताक्षर जिला विद्यालय निरीक्षक

दिनाङ्क ..... दिनाङ्क .....

मुहर मुहर

**भाग-ग**

**(मण्डलीय उप-शिक्षा-निदेशक के कार्यालय के लिये)**

श्री/श्रीमती/कु.....को रु.....के सेवानिवृत्तिक/मृत्युवन् अनुसूचिक की स्वीकृति प्रदान की जाती है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उनके प्रति राजकीय/प्रबन्धक का कोई बकाया शेष नहीं है, रु.....का बकाया शेष है, जिसका सम्पादन अनुसूचिक की कुल देय राशि अग्रुन रूपसे.....से काटकर कर लिया गया है।

दिनाङ्क ..... अनुसूचिक स्वीकृत करने वाले

अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित



प्रश्न-क

मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति अनुसूचिक नियमावली के धारा हेतु विकल्प-पर (नियमावली के नियम-१६ के अन्तर्गत)

१. मैं.....पुत्र  
राज्य-संख्या—५१३/१५-१७-१०-५६ (२८)/८७, दिनांक २२/२३ मार्च, १९९० में  
निहित प्रावधानों के अन्तर्गत स्वेच्छा से ५८ वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होने का विकल्प चुनता हूँ तथा राज्य-संख्या..... द्वारा लागू की गयी 'उत्तर-  
प्रदेश राज्य सहायतादायक संस्कृत विद्यालय/महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षणेतर कर्मचारियों की मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति अनुसूचिक नियमावली' का धारा करने का  
भी विकल्प देता हूँ।

अथवा

२. मैं.....पुत्र  
राज्य-संख्या—५१३क/१५-१६-१०-५६ (२८)/८७, दिनांक २२/२३ मार्च,  
१९९० के निहित प्रावधानों के अन्तर्गत स्वेच्छा से ५८ वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्ति न होने का विकल्प चुनता हूँ तथा राज्य-संख्या..... द्वारा  
लागू की गयी 'उत्तर-प्रदेश राज्य सहायतादायक संस्कृत विद्यालय/महाविद्यालयों में शिक्षको/शिक्षणेतर कर्मचारियों की मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति अनुसूचिक नियमावली' का  
धारा भी नहीं करता हूँ। बल्कि मैं वर्तमान लक्ष्य की योजना से ही पूर्ववत् शक्ति हूँ/रही।

सर्वोपस्थानक..... हस्ताक्षर..... दिनांक.....  
नाम..... नाम.....  
पद-नाम..... पद-नाम.....  
संस्था का नाम..... संस्था का नाम.....  
जनपद..... जनपद.....  
दिनांक—(१) जो विकल्प लागू न हो, उसको काट दिया जाय।  
३. उक्त सन्दर्भित मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति अनुसूचिक नियमावली की प्रतिलिपि की तिथि के अन्दर यह विकल्प चुनना है, परन्तु प्रतिलिपि की तिथि के उपरान्त निवृत्त अध्या-  
पक अपने स्वाधीनता की तिथि के छः माह के अन्दर यह विकल्प चुनने) संस्था विकल्प-पर की प्रतिलिपि  
दिनांक.....

श्री..... पद-नाम..... विद्यालय का नाम.....  
जनपद..... तो ५८ वर्ष की आयु पर स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने, अतएव मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति नियमावली चुनने अथवा न चुनने का विकल्प-पर  
आज दिनांक..... को प्राय किया।  
हस्ताक्षर..... प्रतिलिपिधारित..... पद-नाम.....  
हस्ताक्षर..... संस्था की मुहर..... (वि.वि.नि./म.उ.वि.नि.) मुहर

परिशिष्ट- 'ब'

(परिनियम २१.०८ देखिए)

गैर अशासकीय सहायतादायक संस्कृत पाठशालाओं में कार्यरत शिक्षक/शिक्षणेतर कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निर्वाह निधि के कार्यकारी सिद्धान्त

१. यह कार्यकारी सिद्धान्त 'उत्तर-प्रदेश राज्य सहायतादायक अशासकीय संस्कृत पाठशालाओं के शिक्षक/शिक्षणेतर कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निर्वाह निधि कार्यकारी सिद्धान्त' कहलायेगी।

भाग-क

परिभाषाएँ

- २. यह कार्यकारी सिद्धान्त ३० जून, १९८९ से प्रवृत्त समझे जायेंगे।
- ३. परिवार से तात्पर्य है—
  - १. (क) पुरुष अभिजात की दशा में अभिजात की पत्नी या पत्नियों और अभिजात के बच्चे तथा अभिजात के मृतक पुत्र की विधवा या विधवायें तथा बच्चे। प्रतिक्रम यह है कि यदि अभिजात निवृत्त करता है कि उसकी पत्नी नवविक रूप से उससे अलग हो गई है, अथवा जलिय कस्टमरी कानून, जो उस पद पर लागू हो, के अन्तर्गत अनुसंधान पाने की अधिकारियों नहीं रह गयी है, तो वह इन कार्यकारी सिद्धान्तों के उद्देश्य के लिए अभिजात के परिवार की सदस्या तब तक नहीं रहेगी, जब तक अभिजात जिला विद्यालय निरीक्षक को लिखित रूप से सूचित नहीं करता है कि उसको पत्नी उसके परिवार की सदस्या है।
  - (ख) महिला अभिजात के सम्बन्ध में उसका पति, अभिजात के बच्चे तथा मृतक पुत्र की विधवा या विधवायें तथा बच्चे। प्रतिक्रम यह है कि यदि अभिजात लिखित रूप से जिला विद्यालय निरीक्षक से इच्छा प्रकट करता है कि उसके पति को परिवार से निकाल दिया जाय तो अभिजात का पति परिवार का सदस्य इन कार्यकारी सिद्धान्तों के उद्देश्य के लिए तब तक नहीं रहेगा, जब तक अभिजात इसे लिखित रूप से रद्द करने के लिए सूचना न दे दे।
- दिनांक—(१) बच्चे का तात्पर्य वैध बच्चे से है।
  - (२) दत्तक बच्चा की बच्चा समझा जायगा, यदि वह विधिक रूप से मान्य होगा।
- २. 'स्थानीय निकाय' का तात्पर्य पंचायतिथि मण्डल तथा उत्तर-प्रदेश सरकार द्वारा मान्य किसी अधिकृत स्थानीय संस्था से है। इसमें नगर महापालिका, नगरपालिका, जिला परिषद, मेट्रोपॉलिटन एरिया कमिटी, टाउन एरिया कमिटी तथा कैम्पूमेन्ट बोर्ड सम्मिलित हैं।
- ३. 'प्रबन्धक' का तात्पर्य गैर सरकारी रूप से प्रबन्धित संस्था की प्रबन्ध-समिति या ऐसे स्थानीय निकाय, किसी ऐसे अन्य निकाय से है, जिसमें किसी संस्था का प्रबन्ध करने के अधिकार निहित हों और इस रूप में शासन द्वारा मान्य हो अथवा उस व्यक्ति से है, जिसमें तत्समय प्रावधानानुसार प्रबन्धन के अधिकार प्रतिनिहित हों।
- ४. 'कर्मचारियों' का तात्पर्य पूर्णकालिक निवृत्त ऐसे व्यक्ति से है, जो किसी राज्य सहायतादायक अशासकीय संस्कृत पाठशाला का शिक्षक/शिक्षणेतर कर्मचारी हो तथा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान से वेतन एवं भत्ते प्राप्त हों।
- ५. 'निधि' का तात्पर्य एतदर्थ स्थापित सामान्य भविष्य निर्वाह निधि से है।
- ६. 'संस्था' का तात्पर्य स्थानीय निकायों अथवा गैर सरकारी प्रबन्धकों द्वारा चलायी जाने वाली राज्य सहायतादायक संस्कृत पाठशालाओं से है, जो सम्पूर्णान्त संस्कृत विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ी राज्य परिनिर्मावली १९७८ के अन्तर्गत मान्यता-प्राप्त हों तथा इसके अन्तर्गत सम्मिलित हों। साथ ही जो नियमित मासिक वेतन भुगतान १९८७ के अन्तर्गत भी आते हों।
- ७. 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर-प्रदेश सरकार से है।
- ८. 'विभाग' का तात्पर्य शिक्ष विभाग, उत्तर-प्रदेश से है।
- ९. 'जमा धनराशि' का तात्पर्य सदस्यों के मूल वेतन तथा शहान द्वारा अर्पित पेंशन-भत्ते आदि की धनराशि से सामान्य भविष्य निर्वाह निधि के अन्तर्गत कटौती गई धनराशि तथा उस पर शहान के आदेश से देय एवं आगमित व्याज की धनराशि से है, जो उनके 'पत्र' (निधि) में जमा हो।
- १०. 'अभिजात' का तात्पर्य ऐसे कर्मचारी से है, जिसके लिए भविष्य निर्वाह निधि में अधिदान करना अपेक्षित हो या जिसे ऐसा करने की अनुमति दी गयी हो और जो इस प्रकार उक्त निधि में अधिदान कर रहा हो।
- ११. 'वेतन' का तात्पर्य कर्मचारी के मासिक मूल वेतन से है।

भाग-ख सामान्य उपबन्ध

- ४. ये कार्यकारी सिद्धान्त नियमित मासिक वेतन वितरण १९८७ की परिधि में कार्यरत केवल उन राज्य सहायतादायक अशासकीय संस्कृत पाठशालाओं के शिक्षको/शिक्षणेतर कर्मचारियों पर लागू होंगे, जो किसी स्थानीय निकाय अथवा किसी अशासकीय प्रबन्धन द्वारा सञ्चालित हैं तथा जिनकी राज्य-संख्या—५१३/१५-१७-१०-५६(२८)/८७, दिनांक २३ मार्च, १९९० एवं राज्य-संख्या—४०३१/१५-८-५६(२८)/८७, दिनांक २५ मार्च, १९९१ के अनुसार निर्धारित तिथि के अन्दर नवीन पेशानयोजनाअन्तर्गत अपना विकल्प-पर दिया हो।
- ५. इन कार्यकारी सिद्धान्तों से आवृत्त शिक्षको/शिक्षणेतर कर्मचारियों को अंशदानों प्रविधियों निधि खाते (यदि कोई हो) में वह तब धनराशि, जो प्रबन्धकों या राज्यीय अंशदान के रूप में २३ जून, १९९१ तक जमा की गयी है या जमा होने योग्य है, संकलित व्याज सहित राजकोष में रिजर्व के प्रति, लेखा शीर्षक—'०२०२-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति—०१-सामान्य शिक्ष—६००—सामान्य—०१-विशेषविधायक—०१०२ अन्य प्राणियों में एवं इन कर्मचारियों के अंशदान की समस्त धनराशि

उस पर संकलित व्याज सहित राजस्वों में विशेष लेखा रीकॉर्ड—८३३८—व्यवस्थापित विधियों की जमा—१०४ अन्य स्वायत्तशासी निकायों की जमा के अधीन गईं इकाई—०६ सहायक-ग्राम संस्कृत पत्रागाराओं के अध्यापकों एवं कर्मचारियों की भविष्य-निधि के लेन-देन' के अन्तर्गत जमा कर दी गयी हो।

६. इन कार्यकारी विभागों से अर्जित कर्मचारियों को राजस्वीय एवं प्रबन्धकीय अंशदान के रूप में कोई भी धनराशि देय न होगी।

७. इन कार्यकारी विभागों से अर्जित कर्मचारियों को भविष्य निर्वाह निधि योजनाओं में समतुल्यता के रूप में कम से कम मूल वेतन का १० प्रतिशत (दस प्रतिशत) की दर से कटौती प्रतिमाह करनी होगी। कर्मचारी पूर्व सूचना देकर अपनी दृष्टानुसार इस धनराशि को बचा भी सकता है।

८. इन कार्यकारी विभागों से अर्जित कर्मचारियों पर अंशदायी प्रविधायी निधि योजना के तहत पर ३०.६.८९ से सामान्य भविष्य निर्वाह निधि योजना लागू समझी जायगी। ९. अधिदाता के खाले में जमा धनराशि पर शासन द्वारा समय-समय पर राज्य कर्मचारियों के समान निर्धारित दर पर वार्षिक व्याज देय होगा।

१०. (१) निधि के अधिदाता द्वारा निधि की सदस्यता प्रदान करते समय किसी व्यक्ति को नगित करने का प्रयत्न जिला विद्यालय निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया जायगा, जिसमें यह उल्लेख किया जायगा कि अधिदाता के खाले में जमा यह धनराशि, जिसके भुगतान किये जाने योग्य होने के पहले यदि अधिदाता को मृत्यु हो गयी हो, अथवा भुगतान किये जाने योग्य हो गयी थी, परन्तु भुगतान न की गयी हो, नगित व्यक्ति को प्राप्त होगी। प्रतिबन्ध यह है कि यदि नामाङ्कन-पर दखिल कराने समय अधिदाता का परिवार है तो ऐसी दर में परिवार के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति को समाहित नहीं किया जा सकता।

(२) यदि अधिदाता द्वारा एक से अधिक व्यक्तियों को नामाङ्कित किया जाता है, तो नामाङ्कन-पर में अधिदाता द्वारा प्रत्येक नगित व्यक्ति को मिलने वाले हिस्से का इस प्रकार उल्लेख करना होगा कि खाले में जमा पूरी धनराशि का बटवारा हो सके। (३) प्रत्येक नामाङ्कन इस हेतु निर्धारित प्रारंभ में प्रस्तुत किया जायगा।

(४) अधिदाता द्वारा उपरोक्त नियम २० (१) में उल्लिखित अधिकारी को सूचित करते हुए किसी भी समय नामाङ्कन निरस्त किया जा सकता है, बशर्तें पर के साथ नया नामाङ्कन-पर संलग्न किया गया हो।

(५) अधिदाता द्वारा नामाङ्कन-पर में नगित व्यक्ति को मृत्यु की दशा में उसके तब पर लागू प्राप्त करने वाले व्यक्ति के नाम का उल्लेख किया जायगा।

(६) परिवार न रहने की दशा में नया नया नामाङ्कन-पर परिवार हो जाने की दशा में स्वतः निरस्त हो जायगा और अधिदाता को पुनः नामाङ्कन-पर भरना होगा।

(७) प्रत्येक नामाङ्कन-पर या निरस्तकरण को सूचना उसी तिथि से प्रकाशनी माने जायगी, जिस तिथि को वह सम्बन्धित अधिकारी को प्राप्त होगी।

११. अधिदाता की जमा धनराशि पर अन्तिम भुगतान आदेश की तिथि के पूर्व माह तक का व्याज आगमन किया जायगा। भविष्य-निधि खाले की धनराशि अन्तिम रूप से देय होने पर ६ माह के अन्दर अन्तिम भुगतान का प्रार्थनापत्र देने पर ही व्याज देय होगा। ६ माह के बाद प्रार्थनापत्र देने पर अधिकतम एक वर्ष का ही व्याज देय होगा।

१२. समस्त अस्थायी कर्मचारी, पुनर्निवेशित पदावतियों को छोड़कर, जिन्होंने एक वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली हो तथा समस्त स्थायी कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निर्वाह निधि का सदस्य होना अनिवार्य है। प्रतिबन्ध यह है कि वे कर्मचारी जिन्होंने अंशदायी प्रविधायी निधि योजना से राशित होना करना किना हो, पर सामान्य भविष्य निर्वाह निधि योजना लागू नहीं होगी।

१३. यदि किसी कर्मचारी ने अपना नामाङ्कन-पर प्रस्तुत नहीं किया है अथवा नामाङ्कन-पर उसके खाले में उल्लेख धनराशि के एक भाग के लिए दिया गया है, तो कुल धनराशि अथवा उस धनराशि के लिए, जिसके सम्बन्ध में नामाङ्कन-पर नहीं करा गया है, यह धनराशि अधिदाता के परिवार के सदस्यों में बराबर भाग में बाँट दी जायगी। प्रतिबन्ध यह है कि कोई अंश निम्न को देय न होगा, जब तक कि परिवार के और सदस्य हो—

१. पुराने विधिक रूप से बलिग हो।
२. मृतक पुराने पुराने, जो विधिक रूप से बलिग हो।
३. विवाहित पुरुषों, जिनके पति जीवित हो।
४. विवाहित पुराने पुरुषों, जिनके पति जीवित हो।

प्रतिबन्ध यह है कि मृतक पुराने की विधवा अथवा विधवाएँ तथा बच्चों को उतनी ही धनराशि देय होगी, जो उस पुराने की जीवित रहने की दशा में उसके अंश की होती।

१४. सेवाविधि की तिथि के चार माह पूर्व से भविष्य निर्वाह निधि को न तो कोई कटौती की जायगी और न ही कोई अंशित स्वीकृत किया जायगा, परन्तु पूर्व में लिए गये अंश का समाधान अन्तिम भुगतान के समय कर लिया जायगा।

१५. अधिदाता के भविष्य निर्वाह निधि खाले में जमा धनराशि को निकालने की अनुमति सामान्यतया अधिदाता के नौकरी छोड़ देने अथवा सेवाविधि होने अथवा अधिदाता को मृत्यु हो जाने की दशा में ही दी जायगी। परन्तु विशेष परिस्थितियों में अधिदाता को आर्थिक स्थिति और आवश्यकता को देखते हुए उसे आगे नियम-१६ एवं १७ के प्रावधानों के अनुसार अस्थायी अंशित तथा नियम १९, २० एवं २१ के प्रावधानों के अनुसार विशेष अंशित और अन्तिम निष्कासन की अनुमति सेवाकाल में सक्षम अधिकारी द्वारा दी जा सकती है।

१६. सदस्यों की निधि में जमा धनराशि से अंशित स्वीकृत करने वाले निम्नलिखित सक्षम अधिकारी होंगे—

(क) अस्थायी अंशित की स्वीकृति हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक/सहायक जिला विद्यालय निरीक्षक होंगे।

(ख) विशेष अंशित/अन्तिम निष्कासन (अग्रतत्परन्तव्य अंशित) के अन्तिम भुगतान की स्वीकृति के अधिकारी सम्बन्धित माहलतंत्र उप-निरीक्षक/निरीक्षक होंगे।

१७. अधिदाता को भविष्य निर्वाह निधि से साधारण अस्थायी अंशित की स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा निम्नलिखित दशाओं में उनके पत्र में जमा धनराशि से की जा सकती है। यह धनराशि अधिदाता के तीन माह के वेतन अथवा उसके निधि में जमा धनराशि का आधा इनमें से जो भी कम हो सीमित रहेगी—

(क) अधिदाता अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य की बीमारी के उपचार सम्बन्धी व्यय हेतु।

(ख) अधिदाता अथवा उसके परिवार के उस पर पूर्णतया आश्रित किसी सदस्य की आवश्यक अथवा उच्च-शिक्षा के सम्बन्ध में की गयी विदेश यात्रा के व्यय हेतु।

(ग) अपने अथवा उस पर पूर्णतया आश्रित सदस्य के विवाह, अन्वेषित अथवा ऐसे उत्पन्न के सम्बन्ध में व्यय के वहन हेतु, जो अधिदाता को धार्मिक/सामाजिक उत्ति-रिवाज के कारण करना अनिवार्य है।

१८. साधारणतया अस्थायी अंशित धन की वसूली स्वीकृत-कार्य अधिकारी के विवेकानुसार कम से कम बारह किरतों में और अधिक से अधिक चौबीस किरतों में की जायगी। कोई अधिदाता अपनी इच्छानुसार बारह से कम किरतों में अथवा दो या अधिक किरतों का भुगतान एक साथ कर सकता है।

१९. विशेष अंशित धनराशि निम्नलिखित विशेष स्थितियों में सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जायगी—

(क) अंशित की धनराशि तीन माह का वेतन अथवा सदस्य के पत्र में जमा धनराशि के आधे से अधिक होने पर।

(ख) पूर्व-स्वीकृत अंशित की वसूली न होने पर अथवा वसूली पूर्ण होने के बारह माह व्यतीत होने के पूर्व ही द्वितीय अंशित की माँग किये जाने पर।

२०. विशेष परिस्थितियों में स्वीकृत किये गये अंशित की वसूली सम्बन्धित अधिकारी के विवेकानुसार अधिकतम छाँस किरतों में की जा सकती है। किरतों की धनराशि पूर्ण रूपों में होगी।

२१. अन्तिम निष्कासन (अग्रतत्परन्तव्य अंशित) की स्वीकृति अधिदाता को उसकी २० वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर अथवा आयु के अनुसार अधिवर्षित पर सेवाविधि होने में केवल १० वर्ष रह गये हो, निम्नलिखित प्रयोजन हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा दी जा सकती है—

(क) अधिदाता के पुर/पुरी की राशि।

(ख) अधिदाता के पुर/पुरी की विदेश में उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु।

(ग) अधिदाता द्वारा भूमि क्रय करने, भवन के निर्माण, क्रय एवं भवन में परिवर्तन या परिवर्धन हेतु।

(घ) अधिदाता पर आश्रित व्यक्ति की दीर्घकालीन चिकित्सा हेतु अन्तिम निष्कासन अधिदाता के खाले में जमा धनराशि में से अधिकतम तीन चौथाई ३/४ धनराशि तक स्वीकृत किया जा सकता है।

२२. अधिदाता के खाले में जमा धनराशि का अन्तिम तथा पूर्ण भुगतान उसके सेवाविधि होने/सेवा से निष्कात दिये जाने/त्यागपत्र देने/मृत्यु हो जाने पर देय होगा।

२३. सामान्यतः अन्य निर्धारित शर्तों के रहते हुए अन्तिम निष्कासन की धनराशि अधिदाता के छः माह के वेतन अथवा उसके खाले में जमा अथवा धनराशि की आधी, जो भी कम हो, से अधिक नहीं, किन्तु विशेष परिस्थितियों में निधि में जमा अथवा धनराशि के तीन चौथाई के बराबर तक स्वीकार किया जा सकता है।

२४. भवन निर्माण हेतु निष्कासन के सम्बन्ध में यह भी प्रतिबन्ध है कि अधिदाता द्वारा इस प्रयोजन हेतु सभी सौतों से ली गयी धनराशि अन्तिम अथवा मध्यम आयु वर्ष १४ निर्माण योजना या अन्य सौतों से प्राप्त गृह निर्माण की धनराशि सहित कुल मिलाकर ७५,०००/- रूपया अथवा अधिदाता के पाँच वर्ष के वेतन, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी।

२५. एक से अधिक अस्थायी अंशित स्वीकृत करते समय पिछले अंशित की वसूली की अवशिष्ट धनराशि को अनुवर्ती अंशित के साथ सम्मिलित (कन्सालिडेटेड) करके वसूली की किरतों विधित की जायगी।

२६. भविष्य-निधि नियमों के अन्तर्गत अंशित पर कोई व्याज अधिदाता से नहीं लिया जायगा।

२५. एक से अधिक अत्यायी अधिपत स्वीकृत करने समय पिछले अधिपत की वस्तुओं की अर्थात् धनार्थि की अनुवर्ती अधिपत के लघु स्वीकृत (कन्सालिडेटेड) करने वस्तुओं की किराये निर्धारण की जायेगी।

२६. पवित्र-निधि निषेध के अन्तर्गत अधिपतों पर कोई लघु अधिपत से नहीं किया जाएगा।

२७. पवित्र-निधि से अधिपत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में किसी कर्मचारी के विषय में दिया गया विवरण किसी भी स्तर पर गसल/आपक पाये जाने पर सम्बन्धित संस्था के प्रधानाचार्य/प्रबन्धक उत्तरदायी होंगे तथा वे पवित्रक कार्यकारी के पानी होंगे।

२८. स्वीकृत की गयी अधिपत की धनार्थि की पूर्ण वस्तुओं निर्धारित समय तथा किराये में निर्धारित लघु से करने हेतु सम्बन्धित संस्था के प्रधानाचार्य/प्रबन्धक तथा किराये विचारण निर्देशक पूर्णतया उत्तरदायी होंगे। वस्तुओं की किराये भी किराये का स्थान अधिपतों की निर्णयन अधिपत, वसन्तर्हित अवकाश अधिपत या अर्थात्तन अवकाश अधिपत को छोड़कर किराये दत्ता में नहीं किया जाएगा।

२९. सम्बन्धित संस्था के प्रधानाचार्य/प्रबन्धक द्वारा वेतन किराये पर इस आधार का प्रमाण-पत्र अतिरिक्त किया जाएगा कि सामान्य पवित्र निर्वाह निधि से अधिपत दिये गये धनार्थि की किराये की कटौती सम्बन्धित कर्मचारी के वेतन से कर ली गयी है।

३०. अधिपत निष्ठागत (अदालावर्तनीय अधिपत) स्वीकृत करने के पूर्व लघु अधिपतों की अपने विवेकानुसार अधिपतों से इस बात का पूरा प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सन्तुष्ट हो लेना अपेक्षित है कि निच उद्देश्य के लिए निधि से अधिपत की मीन की गयी है, वह अधिपतपूर्ण है।

३१. अधिपतों के पवित्र निर्वाह निधि लेखों का लघु-रखण सम्बन्धित विचारण के प्रधानाचार्य एवं किराये विचारण निर्देशक, अथवा शिक्षा-निर्देशक द्वारा समय-समय पर निर्णय निर्देशों के अनुसार किया जाएगा तथा किराये वर्ष समाप्त होने पर अधिपतों की उत्तरे लेख में लघु धनार्थि की लेख सभी निर्णय की जायगी। मण्डलर्तन उप-विचार-निर्देशक को यह अधिपत प्राप्त होगा कि समय-समय पर वे पवित्र निर्वाह निधि लेखों की विविधता जाँच करेंगे। लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी/मण्डलर्तनीय अधिपत द्वाारा सन्तुष्ट वर्ष में लघु की गई धनार्थि की विविधता जाँच करने की आवश्यकता है।

३२. लघु धनार्थि पर लघु की धनार्थि की मीन प्रधानाचार्य/प्रबन्धक द्वारा मण्डलर्तनीय उप-विचार-निर्देशक के माध्यम से लघु की प्रस्तुत की जायेगी।

३३. इन कार्यकारी निष्ठागतों में जो किन्तु पवित्रता नहीं है, उनके सम्बन्ध में लघु कर्मचारी पर लघु की.पी.एफ. मीनपत के विषय लघु होंगे।